खण्ड-264, अंक-5
शुक्रवार, 20 फाल्गुन, शक संवत् 1887
(11 मार्च, 1966 ई0)

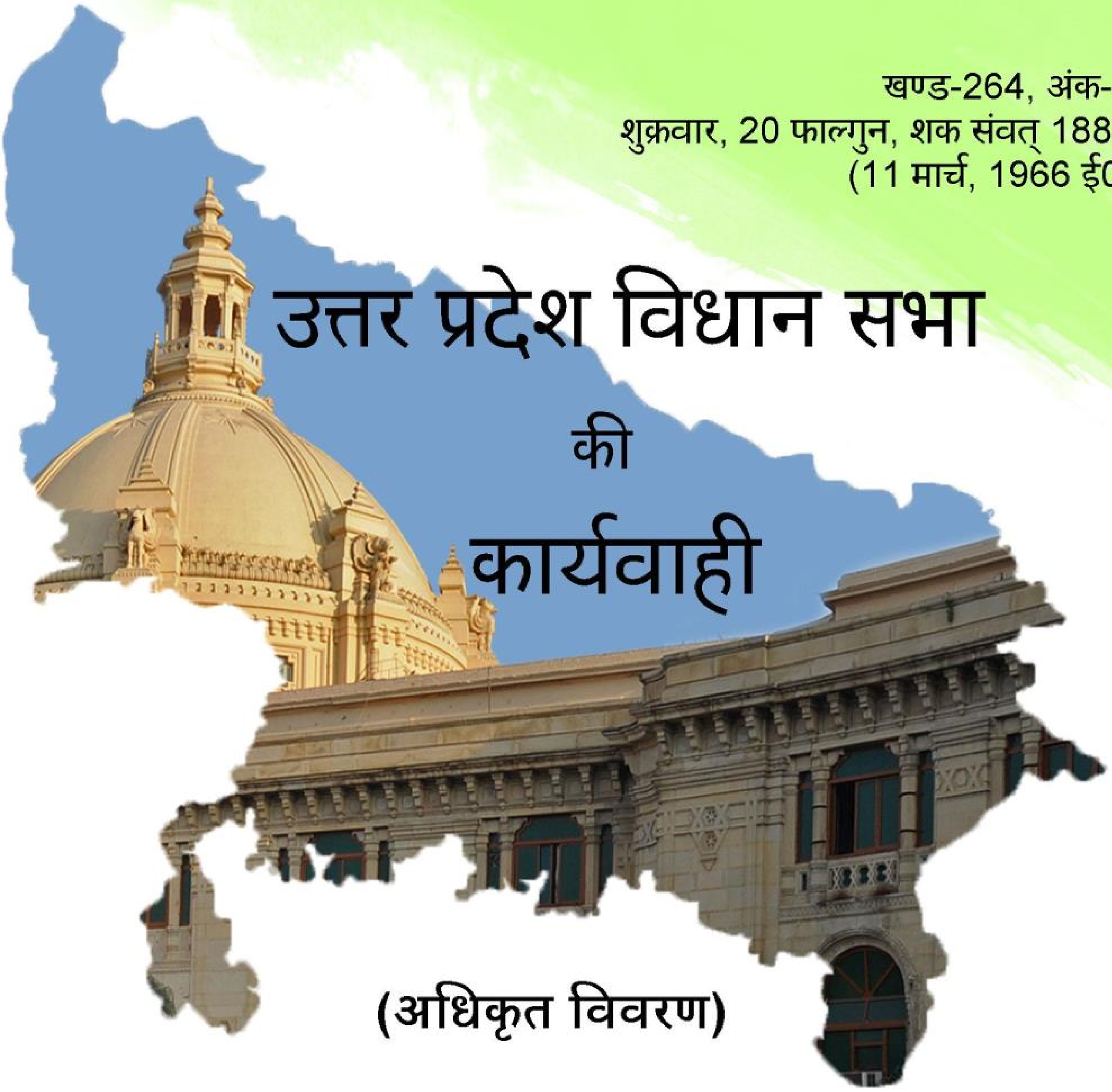

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 264 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

LATURE
UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ११ मार्च, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३२१

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोपीनाथ दीक्षित, श्री

गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगूर, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
डम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परभाईलाल, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री

बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह बैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (जल्लन जी)
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मनपुरी)

रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
बसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

(नोट--वित्त मन्त्री श्री कैलाशप्रकाश गृह मन्त्री श्री हरगोविन्दसिंह, गृह उपमन्त्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त तथा शिक्षा उप मन्त्री डाक्टर रामनारायण पाण्डेय भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ११ मार्च, १९६६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

भूमि-भवन-कर

**१—सर्वश्री टम्बेश्वरप्रसाद, (जिला सीतापुर), हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली), गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर), राजेन्द्र सिंह (जिला एटा), रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर), लोकपाल सिंह (जिला एटा), राम सिंह (जिला एटा), बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर) तथा शारदानन्द (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह पाकिस्तान से युद्ध बन्द हो जाने के बाद इस बदली हुई परिस्थिति में भूमि-भवन-कर को रद्द करने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

स्वायत्त शासन मन्त्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

जी नहीं।

भूमि और भवन कर उस परिस्थिति के कारण नहीं लगाया गया जो पाकिस्तान से युद्ध के कारण पैदा हुई अतः उसको उस युद्ध के समाप्त हो जाने के कारण रद्द कर देने का कोई प्रश्न नहीं उठता। कर प्रदेश के सुनियोजित विकास के लिए धन प्राप्त करने के लिए लगाया गया है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

माननीय मन्त्रि महोदय को याद होगा कि जिस समय विधेयक पेश हुआ उस समय उनका यह आश्वासन था कि जो बढ़ा हुआ अधिभार है यह इस इमर्जेन्सी को देखते हुए लगाया गया है?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जिस समय सदन में संशोधन विधेयक उपस्थित था उस समय स्पष्ट रूप से मैंने स्वयं कहा था कि यह आपातकालीन परिस्थितिवश नहीं बल्कि विकास हेतु लगाया गया है।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

क्या मन्त्रि महोदय को यह ज्ञात है कि जिस समय यह अधिभार लग रहा था उस समय इस सदन में बोलते हुए मन्त्रि महोदय ने यह कहा था कि यह इमर्जेन्सी के कारण लगाया जा रहा है। यदि यह सही है तो क्या इमर्जेन्सी समाप्त होते ही इसको हटाने का आश्वासन सरकार देगी?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जिस समय सदन में संशोधन विधेयक उपस्थित था.....

श्री यादवेन्द्र दत्त—

मेरा तो संशोधन वाले पहले विधेयक का सवाल है।

श्रीमती तारा अग्रवाल—

यदि आप उस समय की भी विधेयक की परिभाषा पढ़ेंगे तो भी उसके उद्देश्य और कारणों में लिखा है कि यह कर प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेश की आय बढ़ाने के लिए लगाया गया है।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

श्रीमन्, मैंने परिभाषा और भूमिका की बात नहीं की है। मैंने तो मन्त्रि महोदय द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर जानना चाहा है कि क्या सरकार उस आधार पर काम करेगी या नहीं? मेरे प्रश्न का उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि क्या यह आश्वासन दिया गया है कि क्या यह आपातकाल के लिए है?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

ऐसा आश्वासन न पहले दिया गया और न बाद में ही।

श्री रक्षपाल सिंह--

श्रीमन्, पिछले साल जब यह विधेयक प्रस्तुत हुआ तो उस समय जहां दस प्रतिशत तक लगाया जा सकता था वहां पच्चीस प्रतिशत तक लगाने की व्यवस्था सरकार ने कर ली और उस समय यह निश्चित रूप से कहा गया कि यह जो अतिरिक्त वृद्धि की गई है यह केवल दूकान और वाणिज्य से सम्बन्धित ही होगी, परन्तु उन्होंने उसके विरुद्ध लगाया। स्पष्ट रूप में कहा गया था कि यह आपातकाल के कारण ही लगा रहे हैं ....

श्री अध्यक्ष--

आप तो बहस करने लग गए। क्या जब संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुआ तब आश्वासन दिया गया।

श्रीमती तारा अग्रवाल--

मेरे पास संशोधन विधेयक के वक्त और विधेयक के पास करने के उपरान्त तक की कार्यवाही मौजूद है। एक-एक शब्द माननीय सदस्य पढ़ सकते हैं। यदि इस प्रकार का कहीं भी आश्वासन हो तो वे कह सकते हैं।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)--

मैं मन्त्रि महोदय से जानना चाहता हूं कि शहरों की हालत यह है कि शहरों में मकानों के किराए बहुत बढ़ गए हैं। मकान मिलने असम्भव हो गए हैं। अगर आपने आश्वासन नहीं भी दिया था तो भी शहरों में मकानों की दिक्कत महसूस करते हुए और लोगों की असुविधाओं को खयाल में रखते हुए यह कर हटा लिया जाय?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री चरणसिंह)--

इस अधिभार को हटाने के सिलसिले में गवर्नमेंट विचार करने से मजबूर है। गवर्नमेंट विचार नहीं कर सकती और सीधी-सी बात है कि राजकीय कर्मचारियों को नहीं हटाना चाहिए, सब की तनख्वाह बढ़नी चाहिए, डेवलपमेंट पर खर्च होना चाहिए, एक तरफ यह कहा जाता है। और उधर हमारी सब की इच्छा है कि कर लगाने का म्युनिसिपैलिटी वालों को अधिकार न हो और न गवर्नमेंट को अधिकार हो। आखिर यह स्थिति है, इसका क्या हल हो। इच्छा होते हुए भी इस अधिभार को हटाने का कोई विचार नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

१० से २५ प्रतिशत केवल दूकानों के लिए विधेयक में था किन्तु वह पुराने मकानों पर भी वसूल हो रहा है ? यदि हां, तो क्या उसे हटाने की कृपा सरकार करेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

पहली १० प्रतिशत की सीमा में सब मकानों पर एक ही दर अर्थात् ५ प्रतिशत के हिसाब से कर लगाया गया था परन्तु अब जो रहने के मकान रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत हैं उन पर कर ज्यादा लगेगा। इसी प्रकार व्यवसायी इमारतों का भी होगा। नई कर-निर्धारण की सीमा जो सरकार द्वारा प्राप्त की गई है उसका निर्धारण १-१०-६५ से हो तो गया है किन्तु वसूलयाबी नहीं हुई है ?

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)---

क्या कोटद्वार भाभर में जहां सिपाही लोगा और सरकारी लोग भूमि लेकर आबाद हुए हैं और अपने रहने के लिए मकान बनाए हैं वहां सरकार इस टैक्स को न लगाने की कृपा करेगी और अगर लगाती ही है तो ५ प्रतिशत से अधिक न लगाने की कृपा करेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

अभी तो प्रदेश भर में ५ प्रतिशत ही है। उसकी ही वसूली हुई है। १-१०-६५ से प्रतिशत की अधिकतम सीमा निर्धारण की गई है और आदेश लागू किया गया, वसूलयाबी अभी नहीं हुई है। एक मकान में अगर कई ५-५ रुपए के किराएदार हैं तो सरकार तो पूरे मकान पर लेती है और मकान मालिक उन किराएदारों से लेगा। जब डायरेक्ट असेसमेंट होगा तो १२० रुपए साल के किराए के मकान इस टैक्स से स्वतः बरी हो जावेंगे।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)---

यह टैक्स ग्रेव इमर्जेन्सी के समय आया था तो क्या सरकार अब इस बात पर विचार करेगी कि निम्नतम सीमा १० से बढ़ाकर २० रुपए कर दी जाय ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

फिर विकास के कार्य कैसे सम्पन्न होंगे ?

श्री यादवेन्द्रदत्त---

क्या सरकार सैनिकों और उनके परिवारों को इस कर से मुक्ति देने का विचार रखती है ?

श्री चरण सिंह---

इस कानून में वैसा कुछ नहीं है और न हमारा विचार ही है।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)---

जहां सरकारी लेबर क्वार्टर्स हैं वहां एक मजदूर से यह कर लिया जाता है और किसी से नहीं। तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि जिससे एक-सी छोटी तनख्वाह के मजदूरों पर यह टैक्स न पड़े ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

१० रु० मासिक किराए के चाहे मजदूर हों या कोई भी हों, सब इससे मुक्त हैं।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिए गए तारांकित प्रश्न]

आगरा महापालिका के अध्यापकों को एडहाक बढ़ोत्तरी

*१—सर्वश्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा) (अनुपस्थित), शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद), ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर) तथा बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जी० ओ० नं० जी०-१/४७८७-पन्द्रह, दिनांक २७ जुलाई, १९६५ के द्वारा अध्यापकों तथा शिक्षा संस्थाओं में कार्य करने वाले गैर अध्यापकों के वेतन में जो एडहाक बढ़ोत्तरी की गई है उस बढ़े हुए रुपयों को आगरा महापालिका अध्यापकों तथा गैर अध्यापकों को नहीं दे रही है? यदि हां, तो क्यों?

शिक्षा मन्त्री (श्री राममूर्ति)—

स्थानीय निकायों द्वारा संचालित एलीमेन्टरी स्कूलों के केवल अध्यापकों ही के लिए एडहाक बढ़ोत्तरी स्वीकृत की गई है जिसे आगरा महापालिका अध्यापकों को दे रही है।

गैर अध्यापकों को देने का प्रश्न नहीं उठता है।

*२—श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

[अग्रिम शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१-३—श्री बद्री प्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

[अगले शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

रसूलाबाद के कृषकों को सड़क में हस्तगत भूमि का मुआवजा

*४—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री सत्र १९६५ के तीसरे शुक्रवार के प्रश्न ४७ के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर में दी गई सूची के अंकित किसानों की भूमि विभाग द्वारा कब कब्जे में ली गई थी, और आपसी बातचीत द्वारा प्रत्येक को कितना-कितना मुआवजा देना निश्चित हुआ है और अब तक दिया गया या नहीं?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—

प्रश्नगत भमि पर कब्जा १९५८ में लिया गया था। प्रत्येक किसान को मुआवजा देना आपसी बातचीत के आधार पर निश्चित हुआ है तथा जिन जिन लोगों को अब तक मुआवजा दे दिया गया है उनका ब्योरा संलग्न सूची में दिया हुआ है?

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४७३-४७६ पर)

*५—श्री भीखालाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसानों से आपसी बातचीत कब और किसके द्वारा प्रारम्भ की गई और कब समाप्त की गई और मुआवजा देने में विलम्ब के विशेष कारण क्या हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत--

किसानों से आपसी बातचीत जनवरी, १९६४ में सार्वजनिक निर्माण विभाग के ओवरसियर और ग्राम लेखपाल द्वारा प्रारम्भ की गई थी और पूर्ण रूप से अगस्त ५, १९६५ तक समाप्त कर ली गयी थी। आपसी बातचीत समाप्त होने के पश्चात् मुआवजे के कागजात के बनाने तथा अन्य वैधानिक कार्यवाही करने के कारण मुआवजा वितरण करने में विलम्ब हुआ।

*६--श्री भोखालाल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग ने इस भूमि को अनियमित तौर पर हस्तगत को कार्यवाही किये बगैर कब्जे में ले लिया था और किसानों को उनके वैधानिक मुआवजे से भी वंचित कर दिया था ? यदि हां, तो इस अनियमित कार्य का दोषी कौन है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

ग्राम रसूलाबाद से हो कर चकलवंसी औरास, संडीला मार्ग निर्माण करने के पूर्व भूस्वामियो ने अपने भूमि लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही किये बगैर हस्तगत करने तथा उस पर सड़क निर्माण करने के लिये अपनी मौखिक सहमति दे दी थी। अतः अनियमितता का और किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

व्यवस्था का प्रश्न है। १, २ और ३ नम्बर के सवाल एजेन्डे पर हैं।

श्री अध्यक्ष--

सम्बन्धित मंत्री अस्वस्थ हैं और सभा सचिव भी बाहर गये हुये हैं। उन्होंने प्रार्थना की है कि उनके प्रश्न स्थगित कर दिये जावें और इस विशेष परिस्थिति के कारण वे स्थगित किये गये हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

मैं तो ऐसा समझता हूं कि कोई भी मंत्री उत्तर दे सकता है।

श्री अध्यक्ष--

पूर्व इसके कि माननीय सदस्य ऐसी कोई बात कहें उनको निश्चित रूप से यह जान लेना चाहिये कि वह बीमार हैं अथवा टाल रहे हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

मेरा यह कहना नहीं है कि मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। मेरा कहना तो यह है कि मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य यहां बैठे हैं, वे उनकी तरफ से उत्तर दे सकते हैं। इस से माननीय सदस्यों को उनके प्रश्न का उत्तर मिल जायगा और सदन का समय भी बच जायगा। उत्तर तो तैयार है ही।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

श्रीमन्, इनको जब आप आगे निर्धारित करें तो कहीं ऐसा न हो कि इतने आगे बढ़ जायं कि हम लोग उनके बारे में कुछ पूछ ही न सकें।

श्री अध्यक्ष--

जैसे नियम होंगे वैसा किया जायगा।

श्री भीखालाल--

श्रीमन्, यह जमीन पी० डब्लू० डी० ने सड़क बनाने के लिये सन् ४७ में काश्तकारों से लेने की बात की थी। ५८ में ली गयी। लेकिन मुआवजा देने की बातचीत ६ साल बाद ६४ में चलायी गयी। क्या यह जो मुआवजा देने में विलम्ब हुआ है उसका सूद और काश्तकारों को जो इस बीच का लगान देना पड़ा है उसको काश्तकारों को माननीय मंत्री जी दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

उनके कम्पेन्सेशन के पेपर्स तैयार हैं, वह शीघ्र ही मिल जायगा। इसके अलावा उनका जो हक होगा वह देने का प्रयत्न किया जायगा जो भी न्याययुक्त बात होगी, उस पर सहानुभूति-पूर्वक विचार किया जायगा और उसकी पूर्ति की जायगी।

श्री भीखालाल--

जब किसी जायदाद का लेन देन होता है तो जाहिल आदमी भी मौखिक बातचीत को नहीं मानता है। तो क्या माननीय मंत्री जी विभाग के उत्तर से संतुष्ट हैं कि काश्तकारों ने विभाग को मौखिक रजामन्दी दे दी थी ? क्या अपनी गलती को बचाने के लिये ही उन्होंने ऐसा उत्तर नहीं दिया है ? क्या मंत्री जी इस में पुनः जांच करायेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

मैंने इस को काफी गौर से देखा है और मुझे ऐसा नहीं लगता कि विभाग वालों ने इस में कोई गड़बड़ी की है। २८ अप्रैल, १९५९ को जमीन अध्यापित करने के आदेश दिये गये। उसके बाद काश्तकारों ने कहा कि वहां से सड़क निकालने के बजाय दूसरी पड़ती जमीन में से निकाल ली जाय तो हम जमीन स्वतः दे देंगे। चूंकि उसमें काश्तकारों को फायदा होता था इसलिय वहां से रास्ता निकाल लिया गया। उस पर कब्जा कर लिया गया, उसके बाद मुआवजा देने का इन्तजाम किया गया।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

५८ में गरीब काश्तकारों की जमीन ली गयी और ६४ में मुआवजे का स्टेटमेंट बनाया गया। लेकिन इस ६ साल की अवधि में उनसे लगान वसूल किया जाता रहा। जिस जमीन पर सरकार ने कब्जा कर लिया क्या उसका लगान उनसे वसूल किया जाना जायज है या नहीं, इस बारे में माननीय मंत्री जी की क्या राय है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं कि जब किसी सड़क के लिये जमीन ली जाती है तो उस पर ऐतराज उठाये जाते हैं और कभी-कभी किसान कहते हैं कि इस संरेखन को छोड़ कर दूसरी जगह जमीन ले ली जाय और उनके कहने के अनुसार उनके हित में काम किया जाता है और उस नये संरेखन के अनुसार कार्य करने में समय लग जाता है हालांकि वह चेन्ज उन किसानों के हित में ही होता है।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके नोटिस में यह बात आई है कि विभिन्न स्थानों पर जब कभी सरकार अपने कामों के लिये जमीन लेती है तो चार-चार, पांच-पांच साल तक मुआवजा आमतौर से नहीं दिया जाता और लगान बराबर वसूल किया जाता है लेकिन जहां कहीं फैक्टरीज का इंटरेस्ट होता है जैसे कि बरेली में रबर फैक्टरी के लिये जमीन लेने की सारी कार्यवाही एक साल में पूरी हो गई तो क्या मंत्री जी इस भेदभाव को दूर करेंगे और किसानों की बेदखली के बाद लगान न वसूल करने का आदेश देंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

साधारणतया यही आदेश हैं कि जब जमीन पर सरकार का कब्जा हो जाय तो किसानों से लगान न लिया जाय लेकिन अगर कहीं पर गलती से ऐसी वसूली हुई होगी तो उसकी जांच करा के लगान रिफंड करा दिया जायगा ।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या मंत्री जी इस सम्बन्ध में पता लगायेंगे कि कब्जा कब हुआ और उसके बाद भी किसानों का नाम उस जगह से खारिज क्यों नहीं हुआ जिस से कि लगान पड़ता रहा ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

आमतौर से जांच की जाती है लेकिन अगर किसी विशेष काश्तकार की शिकायत हो तो वह मेरे पास भिजवा दें, मैं जांच करा लूंगा ।

श्री मैनेजरसिंह---

मंत्री जी ने कहा कि आदेश दिये गये हैं कि भूमि हस्तगत कर ली जाय तो उसके बाद लगान न लिया जाय और अपने पहले उत्तर में उन्होंने कहा था कि जायज मुआवजा दिया जाता है तो मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि जब सरकार के स्पष्ट आदेश हैं कि कब्जा लेने के बाद फौरन लगान की वसूली बन्द कर दी जाय तो इस केस में जो ६ साल तक लगान लिया जाता रहा उसकी वापसी स्थायी आदेश के अनुसार जायज है या नहीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

मैंने तो निवेदन किया कि जिस किसी से भी कब्जा लेने के बाद लगान वसूल किया गया होगा तो वह अवश्य वापस कर दिया जायगा ।

श्री भीखालाल---

इस प्रश्न के साथ जो सूची दी गई है ४७ किसानों की उसके अनुसार क्रम १ से १९ तक १६ आदमियों को मुआवजा दिया गया और ३ को सूचना दी गई और २० से ४७ तक का मुआवजा सूची में दिया गया है लेकिन नीचे एक नोट दिया गया है कि सीरदार किसानों को मुआवजा देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है तो जब उनका मुआवजा वापस होगा तो फिर सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

प्रश्न यह विचाराधीन है कि सीरदार को अपनी जमीन बेचने का अधिकार नहीं होता है । तो प्रश्न यह है कि जो सीरदार हों वे भूमिधर बन जायं ताकि उसी हिसाब से उनको मुआविजा दिया जाय । इस से उनको ज्यादा लाभ होता है क्योंकि सीरदारी के जो रेट्स हैं वे कम होते हैं । ये सब चीजें देखने को थीं जिसके कारण यह कहा गया है ।

श्री भीखालाल---

माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने काश्तकारों से मौखिक रजामन्दी ले ली । तो क्या आपने इस बात पर विचार किया था कि जो सीरदार होते हैं, उनको ट्रांस्फर करने का अधिकार नहीं है और आगे चलकर अड़चनें पड़ेंगी । काश्तकारों को भूमिधर बनाने के लिये १० गुना लगान देना पड़ेगा । तो जो सरकार उनको मुआविजा देगी, उससे ज्यादा उनको १० गुना लगान देने में खर्च हो जायगा । तो ऐसी अवस्था में सरकार उन्हें मुआविजा किस आधार पर देगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत---

हम यह देखेंगे कि काश्तकार को किस हिसाब से अधिक फायदा होता है और उसी आधार पर हम उन्हें मुआवजा देने की कोशिश करेंगे ।

श्री कमला सिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

किसानों की जमीनें १९५८ में ली गयीं और उनको मुआवजा १९६४–६५ में दिया गया तो इन दिनों में वे कोई पैदावार नहीं कर सके। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वे भूमि के लेने के दिन से रुपया देने के दिन तक किसानों को जो नुकसान हुआ है, उसके लिये किसानों को कोई कम्पेन्सेशन देने का उपाय करेगी ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय कमला सिंह जी, क्या कोई ऐसा कानून है ?

श्री कमला सिंह यादव—

श्रीमन्, ऐसा तो कानून होना चाहिये।

श्री लखीसिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने अर्से के अन्दर किसानों को मुआवजा मिल जायगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जितना जल्दी हो सकेगा, मुआवजा दिलाने की कोशिश की जायगी।

*७—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

[६ठें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

सदर तहसील से बनी रेल राह में अध्याप्त भूमि का प्रतिकर

*८—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिला के सरदारनगर (सरैया) सदर तहसील से जो गन्ना ढोने के लिये रेल राह, देवरिया जिला के देवरिया तहसील के हैतिमपुर नामी स्थान तक बनी है उसमें दोनों जिलों के किस-किस गांव की कितनी-कितनी जमीन ली गई ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

गोरखपुर और देवरिया जिलों में अध्याप्त भूमि का विवरण निम्न है :

जिला	ग्राम	क्षेत्रफल (डेसमिल में)
गोरखपुर ..	सरईया ..	२.३४
	विलारी ..	९.१९
	बघाड़ा ..	८.२२
	सथरी ..	१.२८
	फुलवरिया ..	८.९०
	छवैला ..	०.८५
	मुहम्मदपुर ..	३.९९
	सोनबरसा ..	६.३३

जिला	ग्राम	क्षेत्रफल (एकड़ में)
देवरिया ..	लक्ष्मीपुर ..	६.९८
	पकड़ी ..	३.६१
	अर्जुन डुमरी ..	५.६७
	गौठा पोखरभिन्डा ..	०.८५
	अहिरौली ..	१.११
	गोपालपुर ..	८.०१
	मदरहा ..	०.५३
	मोतीपाकड़ कविलसहा ..	१४.२८
	घरईपुर ..	५.२५
	भिस्वामठलालगिर ..	५.५०
	जगदीशपुर ..	२०.४३
	पिपरालालमन ..	१.२६
	पटनी ..	६.६६
	करमहा ..	२०.०६
	पड़री ..	७.८५
	रामपुर सोहरौना ..	६.८५
	पटना मिश्रौली ..	५.८०
	रामपुर मिश्री ..	९.३७
	बतरौली ..	०.३७
	महुअवा महीजदिया ..	४.२३
	डुमरी एखलास ..	८.७६
	हेतिमपुर ..	२५.५९

*९—श्री चन्द्रबलीसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त रेल राह में ली गई दोनों जिलों की जमीनों का मुआवजा रेल राह बनने के ३५ साल बाद भी नहीं दिया गया? यदि हां, तो क्यों? उन्हें क्या गोरखपुर के खाद के कारखानों में ली गयी जमीनों के मुआवजा की दर से मुआवजा ४ माह के अन्दर दिलवाने की व्यवस्था की जायगी?

श्री जगन्प्रसाद रावत—

अधिकृत की गई भूमि का मुआवजा दिया जा चुका है। गोरखपुर के कुछ कृषकों ने सूचना पाने पर भी अपना प्रतिकर नहीं लिया, अतः उसका ८३१ रु० ४ आ० नियमानुकूल उनके नाम से राजकीय कोष में रेवेन्यू डिपाजिट में जमा कर दिया गया था।

*१०—श्री चन्द्रबलीसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त रेल राह में ली गई जमीनों की भी मालगुजारी ३५ साल से सरकार वसूलती आ रही है। यदि हां, तो क्या वसूली हुई सभी मालगुजारी किसानों को मय सूद वापस किया जायगा?

श्री जगन प्रसाद रावत—

गोरखपुर जिले में ४ ग्रामों और देवरिया जिले में भी ४ ग्रामों में किसानों के नाम कागजात में दर्ज हैं और उनकी मालगुजारी खारिज नहीं हुई है। वसूल की गई मालगुजारी का भुगतान और किसानों का नाम अधिकृत भूमि से काटने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

*११-१२—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

[अगले शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१३-१४—श्री कमला सिंह यादव—

[अगले शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

धौरा-टांडा सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण

*१५—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बरेली में नवीन प्रस्तावित धौरा-टांडा रोड के भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी धारा ४ के नोटिफिकेशन के पश्चात् कितने आब्जेक्शन्स सरकार को प्राप्त हुये और उनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत—

धारा ४ के नोटिफिकेशन के पश्चात् जिलाधिकारी, बरेली के पास सामूहिक रूप से ४ आपत्तियां प्राप्त हुई और इनमें आपत्तिकर्ताओं ने निवेदन किया है कि :—

(१) धौरा और टांडा के बीच जिला परिषद् की सड़क पहिले ही से स्थित है जिसका सुधार तथा जिसको बिना भूमि अर्जन के चौड़ा किया जा सकता है इससे धन की तथा उपजाऊ भूमि की बचत होगी।

(२) पुरानी सड़क सीधी है तथा प्रस्तावित सड़क घुमावदार है?

(३) प्रस्तावित सड़क में कई पुलियों का निर्माण करना होगा?

(४) कुछ पेड़ तथा एक बैठक का कुछ भाग प्रस्तावित सड़क के संरेखण में पड़ते हैं।

*१६—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या यह सही है कि नवीन प्रस्तावित धौरा-टांडा रोड यदि न बनाई जावे और जिला परिषद् की पुरानी धौरा-टांडा रोड को बनाया जावे तो—(अ) कम लम्बी सड़क बनानी पड़ेगी, (ब) मिट्टी कम डालनी पड़ेगी, (स) पुलियां कम बनानी पड़ेगी, (द) मुआविजा कम देना पड़ेगा? यदि नहीं, तो क्या सरकार दोनों प्रकार से सड़क बनाने पर होने वाले व्यय को अलग-अलग बताने की कृपा करेगी?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस सड़क के प्रस्तावित संरेखण के खिलाफ सरकार के पास भी कई प्रार्थना पत्र आये हैं जो सरकार के विचाराधीन हैं और सड़क के संरेखण के बारे में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है?

श्री हरीशकुमार गंगवार—

माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सड़क की महत्ता को देखते हुए यह अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायगा चाहे पुरानी सड़क बनायी जाय या नई सड़क बनायी जाय, यह निर्णय कितनी जल्दी ले लिया जायगा?

श्री जगनप्रसाद रावत--

जो आपत्तियां की गई थीं उसके सम्बन्ध में भी हमने विभागीय अधिकारियों से पूछा थ उनकी रिपोर्ट हमारे पास आ गई है और जल्दी ही इसका फैसला कर लिया जायगा कि हमको कौन-सा संरेखण रखना है।

श्री हरीश कुमार गंगवार--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नीचे से जो रिपोर्ट आयी है उसमें प्रस्तावित नई सड़क बनाने का जोर दिया गया है या जो पुरानी सड़क चल रही है उसको ही बनाने के लिए जोर दिया गया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

नई प्रस्तावित सड़क और पुरानी सड़कों को ही दोनों के सम्बन्ध में लिखा है, कुछ इसमें फायदे हैं, कुछ उसमें फायदे हैं, तो दोनों को देख कर के अन्त में हमें किस बात में सुविधा होगी उसी के अनुसार निर्णय लिया जायगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात का स्पष्ट आश्वासन देंगे कि यह सड़क अगले वित्तीय वर्ष में निर्मित हो जायगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

शुरू तो हो ही जायगी।

*१७-१९--श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

[अगले शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

ऐट ब्लाक में झरने पर निर्माण-कार्य

*२०--श्री विजयसिंह (जिला जालौन) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार जालौन जिले में ऐट ब्लाक में भरसुंडा और धुरट के बीच स्थित झरने पर कंक्रीट के ड्रम डाल कर पुल बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

इस समय ऐसी कोई योजना नहीं है।

*२१--श्री विजयसिंह (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त झरने के पुल के लिये ब्लाक ऐट में बी० डी० ओ० को दिसम्बर, १९६५ में जनता की कोई दरख्वास्त प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

जिला नियोजन अधिकारी, जालौन से इस संबंध में आवश्यक पूछताछ की गई है।

*२२--श्री विजयसिंह (अनुपस्थित)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में स्थानीय महत्व (लोकल इम्पार्टेंस) के रोड्स पर तीसरा कोट नहीं कराया जाता या उनको माडर्नाइज करने को कोई धन नहीं दिया जाता ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

साधारणतया सभी सड़कों के निर्माण में तीन कोट का प्राविधान किया जाता है। धनाभाव के कारण कभी-कभी तीसरे कोट का कार्य स्थगित भी करना पड़ता है। सड़कों का माडर्नाइजेशन उनके ऊपर यातायात के भार तथा धन की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

*२३-२४--श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)--

[१८ मार्च, १९६६ के लिये स्थगित किये गये।]

*२५-२७--श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)--

[१८ मार्च, १९६६ के लिये स्थगित किये गये।]

*२८-२९--श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)--

[१८ मार्च, १९६६ के लिये स्थगित किये गये।]

बिक्री-कर कमिश्नर कार्यालय के कर्मचारियों के मामले

*३०--श्री राजेन्द्रसिंह--

क्या वित्त मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि बिक्री-कर कमिश्नर कार्यालय में जून, १९६५ से पहले की कितनी पदोन्नतियां स्थायीकरण विषय पर कर्मचारियों के प्रार्थना-पत्र तथा न्यायालयों द्वारा दिये गये निन्दा टिप्पणी बिना उचित कार्यवाही के पड़े हुये हैं? और क्यों?

वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)--

इस सम्बन्ध में सूचना अभी एकत्रित की जा रही है।

कानपुर में कलक्टरगंज रेलवे क्रासिंग पुल का निर्माण

*३१--श्री सन्तसिंह यूसुफ--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर स्थित कलक्टरगंज के रेलवे क्रासिंग के पास के पुल का पुनर्निर्माण हो रहा है जो लगभग एक वर्ष से प्रारम्भ है, परन्तु अभी तक पूरा नहीं हुआ? यदि हां, तो क्यों और क्या जनता की सुविधा को ध्यान में रख कर शीघ्र पूरा कराने की कृपा करेंगे?

श्री जगनप्रसाद रावत--

जी हां, रेलवे ट्रेक (Railway track) के विद्युतीकरण की योजना के अन्तर्गत रेलवे विभाग द्वारा यह पुल ऊंचा किया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों ने सूचित किया है कि यह कार्य एक माह में पूरा होने की आशा है। पुल से सम्बन्धित सड़क को ऊंचा करने का आगणन रेलवे विभाग को भेज दिया गया है और उसकी स्वीकृति के बाद लगभग ५ माह में यह कार्य भी पूर्ण हो जायेगा।

श्री सन्तसिंह यूसुफ--

माननीय अध्यक्ष, मैं आप के द्वारा मंत्री जी से यह बात कहना चाहता हूं कि यह जो पुल है यह एक-तिहाई शहर को कवर करता है और काफी दिन से यह रास्ता बन्द है जिससे लोगों को बहुत परेशानी है, खास कर किदवई नगर, बाबूपुरवा आदि कालोनीज के लोगों को काफी परेशानी है, इसलिए मंत्री जी से प्रार्थना है कि रेलवे विभाग को कह कर इसको जल्दी कराने की कोशिश करेंगे।

श्री जगन प्रसाद रावत--

अवश्य।

नर्सरी स्कूल

*३२—श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस प्रदेश में कितने नर्सरी और मान्टेसरी विद्यालय बच्चों के हैं जिनको सरकारी अनुदान मिलता है, जिनमें कितने सरकारी, मिशनरियां और कितने अन्य प्रकार के हैं?

श्री राममूर्ति—

कुल ३० प्राइवेट नर्सरी स्कूलों को सरकारी अनुदान मिलता है। इसमें मिशनरी के कोई भी स्कूल नहीं हैं और न सरकार के।

करारी-मंझनपुर सड़क

*३३—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री प्रयाग जिले की तहसील मंझनपुर के कस्बा करारी से मंझनपुर तथा सराय आकिल जाने के लिये बनने वाले नये मार्ग के स्थान पर पुरानी सड़क को ही ठीक कराने की कृपा करेंगे?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जहां तक सम्भव हो सका, पुरानी सड़क ही अपनाई गई। केवल उन स्थानों पर जहां आबादी थी तथा मोड़ अधिक थे और यातायात के उपयुक्त नहीं थे, नये संरेखण को अपनाया जा रहा है।

*३४—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि करारी कस्बे की जनता द्वारा हस्ताक्षरित कोई आवेदन-पत्र सरकार को दिसम्बर, १९६५ में श्री नाथूराम शिक्षक, एम० एल० ए० द्वारा अग्रसारित इसी आशय का मिला है कि पुरानी सड़क ही ठीक कराई जाय? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

श्री जगन प्रसाद रावत—

इस सम्बन्ध में श्री नाथूराम शिक्षक का कोई प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ परन्तु उनका एक प्रार्थना-पत्र अधिशासी अभियन्ता, इलाहाबाद के कार्यालय में प्राप्त हुआ था। इस सम्बन्ध में शासन को भी अन्य व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं। उन पर मुख्य अभियन्ता की रिपोर्ट मांगी गई है तथा भूमि प्राप्ति की कार्यवाही इस समय स्थगित करा दी गई है।

श्री नाथूराम शिक्षक—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो प्रार्थना-पत्र मैंने दिया उस सम्बन्ध में और जनता ने दिया, क्या इस बीच में कोई और तीसरा प्रार्थना-पत्र भी माननीय मंत्री महोदय के समक्ष आया है?

श्री जगन प्रसाद रावत—

कई प्रार्थना-पत्र आये हैं और इसी वजह से कार्यवाही रोक दी गई है।

श्री नाथूराम शिक्षक—

गांव के पूर्वी हिस्से से उत्तर की तरफ ले जाने में काफी दूर पड़ता था और मुसलमानों ने एतराज किया था कि हमारी कब्रगाह होकर यह रास्ता जा रहा है इसलिये नहीं छोड़ा जायगा और वहां की आम जनता ने बतलाया कि एक रास्ता पूर्व से पश्चिम जाता है जिसमें मुआविजा न देना पड़े और आसानी से लोग उस जगह को छोड़ने को तैयार हैं, तो क्या माननीय मंत्री नव प्रार्थना-पत्र पर विचार करने को तैयार हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत--

जो भी प्रार्थना-पत्र आये हैं सब पर विचार किया जायगा।

पूर्वी जिलों में विकास कार्यों के लिए केन्द्रीय अनुदान

*३५--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पटेल आयोग की संस्तुति के आधार पर केन्द्रीय सरकार से यातायात (सड़क) के मद में आजमगढ़, गाजीपुर, देवरिया और जौनपुर में अलग-अलग कितना-कितना रुपया मिला? और अब तक कितना-कितना व्यय हो चुका है?

श्री जगनप्रसाद रावत--

इस सम्पूर्ण त्वरित विकास योजना के लिये केन्द्रीय सरकार से इकट्ठा धन मिलता है जिसको योजना के विभिन्न खंडों में आवश्यकतानुसार प्रति वर्ष वितरित किया जाता है। १९६४-६५ में इसके लिये कुल ४.०० करोड़ रुपये की धनराशि मिली थी जिसमें से २५.०० लाख रुपये सड़कों के विकास के लिये मिला। इस वर्ष ४.५० करोड़ रुपये देने का आश्वासन केन्द्रीय सरकार ने दिया है। इसमें से ७०.०० लाख रुपया सड़कों के विकास के लिये मिला। प्रति वर्ष उपलब्ध धनराशि का जिलेवार विभाजन विभिन्न कार्यों की प्रगति के अनुसार किया जाता है। दिसम्बर, १९६५ तक व्यय का जिलेवार विभाजन संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४७७ पर)

[११ मार्च, १९६६ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-२--श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)--

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

डी० ए० वी० इन्टर कालेज, बिल्थरा रोड का अनुदान

*३--श्री रामसुन्दर पाण्डेय (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डी० ए० वी० इन्टर कालज, बिल्थरा रोड, जिला बलिया का आवर्तक अनुदान व्यवस्थातक को मार्च, १९६५ से आज तक न देने का कारण क्या है?

श्री राममूर्ति--

प्रबन्ध समिति के बीच झगड़े और न्यायालय में विवाद के कारण संस्था के व्यवस्थापक को अनुदान नहीं दिया गया।

*४--श्री रामसुन्दर पाण्डेय (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त विद्यालय की किसी नयी कमेटी द्वारा दीवानी में मुकदमा दायर किया गया था और अदालत में खारिज होकर पुरानी कमेटी ही को मान्यता मिली? यदि हां, तो आवर्तक अनुदान न देने का कारण क्या है?

श्री राममूर्ति--

इस विद्यालय में पुरानी प्रबन्धकारिणी समिति के होते हुए ही एक नई कमेटी बन गई और उसने शिक्षा विभाग से मान्यता मांगी। मान्यता न मिलने पर इस कमेटी ने मुन्सिफ बलिया (पश्चिम) की अदालत में पुरानी कार्यकारिणी के विरुद्ध मुकदमा दायर किया जो खारिज हो गया। इस पर सिविल जज, बलिया के यहां अपील हुई जो सफल न हो सकी। ८-२-६६

को प्रधानाचार्य एवं पुरानी प्रबन्ध समिति के बीच समझौता हो गया। प्रधानाचार्य अपने पद पर पुनः वापिस आ गए और विभाग ने भी इस पुरानी कमेटी को मान्यता दे दी है। विद्यालय अब शांति पूर्ण ढंग से चल रहा है।

सिविल जज, बलिया के फैसले की नकल प्राप्त होते ही इस विद्यालय का अनुपालन अनुदान प्रबन्ध समिति को देने पर बिचार किया जायगा।

बाराबंकी जिले में माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का चुनाव

*५—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या यह बात सही है कि जिला विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी ने १९६४–६५ में माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को इन्टरव्यू करके प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्त करने की कोई सूची बनाई थी? यदि हां, तो क्या सरकार चुने गये प्रधानाध्यापक पद की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

शिक्षा उप मंत्री (डाक्टर रामनारायण पाण्डेय)—

जी हां। सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४७८ पर)

*६—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त सूची में से कितने व्यक्तियों को प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्त किया गया है और कितने व्यक्ति अभी शेष हैं?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

सूचना मिली है कि संलग्न सूची 'अ' के प्रथम तीन व्यक्ति ही अब तक प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्त हुए हैं। सूची 'अ' के शेष ८ व्यक्ति तथा सूची 'ब' के सभी १० व्यक्ति अभी प्रधानाध्यापक नहीं बनाये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४७८ पर)

*७—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त स्वीकृत सूची के बाद कितने ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति हुई है जिनका नाम उक्त सूची में नहीं है और स्वीकृत सूची के व्यक्तियों को जगह न देकर बाहर के व्यक्तियों की नियुक्ति का क्या कारण है?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

सूची के बाहर के किसी व्यक्ति को प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया नहीं बताया गया है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या माननीय मंत्री इस बात की जांच करायेंगे कि केवल ३ व्यक्तियों की नियुक्ति की गयी है और नियुक्तियां ऐसी की गयी हैं कि सूची में जिनके नाम आये हैं उनको नियुक्त न करके आफिशियेटिंग चांस दिया गया है?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

माननीय सदस्य यह बतला सकें कि किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है और किस को नियुक्त नहीं किया जा रहा है, तब यह बात पूछी जा सकती है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

यह जो क्रमवार सूची बनाई गयी है और जिन लोगों के साथ जस्टिस नहीं हो रही है क्या भविष्य में इस बात की सरकार व्यवस्था करेगी कि सूची में से ही लोगों को नियुक्त किया जायगा ?

श्री राममूर्ति—

जब कोई स्थान रिक्त हो जाता है तब सूची में से लोगों को जगह दी जाती है लेकिन अगर १०दिन के लिये स्थान रिक्त होता है तो आफिशियेटिंग चांस दे दिया जाता है और जब छुट्टी से आदमी आता है तो उसे हटा दिया जाता है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री सदन के मेज पर कोई सूची रखेंगे कि कितनी जगह ऐसी हैं जो मुस्तकिल तरीके से साल भर के ऊपर खाली हैं लेकिन उनमें आफिशियेटिंग चांस दिया गया और सूची में से नियुक्ति नहीं की गयी ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

माननीय सदस्य किसी नाम को बतलावें तब उसकी जांच करा लेंगे ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या माननीय मंत्री भविष्य के लिये ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो जगह आगे खाली होगी उन पर नियुक्ति सूची के अनुसार भविष्य में सीनियारिटी के आधार पर ही की जायगी और अन्य लोगों की नियुक्ति नहीं की जायगी ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

अभी तो इसी सूची से कर रहे हैं और उन्होंने यही सूचित किया है कि इसी में से ले रहे हैं ।

श्री रामअवार कनौजिया (जिला बहराइच)—

मंत्री महोदय ने कहा कि १०, १५ दिन के लिये टेम्पोरेरी प्रबन्ध कर लिया जाता है, तो क्या कोई निश्चित समय रखा गया है कि इतने समय तक स्थानीय प्रबन्ध किया जायगा और इसके बाद के समय के लिये सूची में से नियुक्ति की जायगी ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

यह जिला बोर्ड का मामला है । माननीय सदस्य वहां पर इस नियम को ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं । हमारे यहां जो सूचना आई है उसके हिसाब से मैंने बता दिया है ।

*८—श्री हरीशकुमार गंगवार—

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

फर्रुखाबाद जिले में ओवरसियर के खिलाफ जांच

*९—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि कन्नौज, जिला फर्रुखाबाद, पी० डब्लू० डी० के एक ओवरसियर के खिलाफ अनुचित तरीक से धन जमा करने की सी०आई० डी० द्वारा अभी हाल में जांच करा ली गई है, जिसमें यह तथ्य प्रकाश में आये हैं कि उपरोक्त ओवरसियर ७० हजार की पालिसी लिये हुए हैं और एक कार भी मेन्टेन करता है ? यदि हां, तो पूरी रिपोर्ट क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

(क) जांच अभी चल रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसका इतिहास क्या है और क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग से यह संबंधित है या किसी का संरक्षण प्राप्त है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--

मेरी जानकारी में तो ऐसी कोई बात नहीं है और न ही इतिहास की बात ही जानता हूं। सी० आई० डी० की रिपोर्ट आने के बाद जो उचित कार्यवाही होगी वह की जायगी।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

सी० आई० डी० की रिपोर्ट में क्या यह तथ्य प्रकाश में आया है, जो प्रश्न में दिया हुआ है, कि वह ओवरसियर ७० हजार रुपये की पालिसी लिये हुए हैं और एक कार भी मेन्टेन करते हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

जो भी कम्प्लेन्ट्स आयीं सब सी० आई० डी० को भेज देते हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

मैं यह स्पष्ट जानना चाहता हूं कि सी० आई० डी० ने जो जांच पूरी करके दी उसमें यह रिपोर्ट दी है कि वह ७० हजार रुपये की पालिसी लिये हुए हैं और एक कार भी मेन्टेन करते हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

मेरे पास तो सूचना यह है कि अभी जांच चल रही है।

श्री अध्यक्ष--

पहले यह पूछिये कि क्या रिपोर्ट आ गयी है।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या सी० आई० डी० की रिपोर्ट माननीय मंत्री जी के पास आ गयी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

मैंने निवेदन किया कि जांच चल रही है।

श्री बेदराम--

सी० आई० डी० हर महीने के बाद प्रगति रिपोर्ट देती है, तो क्या वह आ गयी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

मेरे पास कोई प्रगति रिपोर्ट नहीं आई है।

श्री बेदराम--

श्रीमन्, एक साल हो गया।

श्री अध्यक्ष--

विलम्ब हो रहा है, यह दूसरी चीज है।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

जिन ओवरसियर के खिलाफ जांच चल रही है क्या वे आजकल कन्नौज में ही काम कर रहे हैं या हटा दिये गये ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

काम कर रहे हैं लेकिन वहां नहीं ।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—

यही एक ओवरसियर नहीं, प्रदेश में हर ओवरसियर और इंजीनियर की यही हालत है । तो पूरे प्रदेश में हर ओवरसियर की जांच सी० आई० डी० से करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

हर ओवरसियर के पीछे एक सी०आई० डी० रखना चाहते हैं । (हंसी)

श्री कमलासिंह यादव—

क्या यह सही है कि सी० आई० डी० ने एक बार जांच कर के अपनी रिपोर्ट मंत्री जी को भेजी थी लेकिन कुछ और बातों की जानकारी के लिये मंत्री जी ने उसे फिर वापस कर दिया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

न मेरे पास कोई रिपोर्ट आयी, न मैंने दोबारा जांच करने के लिये भेजी ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

यह देखते हुए कि इस ओवरसियर के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और कन्नौज में रहकर वह गवाहों को बिगाड़ सकते हैं और तथ्यों को मिटा भी सकते हैं, तो एक वर्ष के बाद भी उसे स्थानान्तरित या निलम्बित न करने के क्या कारण हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मेरी सूचना तो यह है कि वह कन्नौज में अर्से से नहीं है, उसका स्थानान्तरण अर्से से हो गया और निलम्बित तब किया जायगा जब यह मालूम हो जायगा कि शिकायत में कुछ तथ्य है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मंत्री जी ने इससे पहले उत्तर में कहा था कि वह वहां काम कर रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

यह नहीं कहा था ।

श्री सोहनलाल धुसिया—

क्या मंत्री जी मेहरबानी करके बतायेंगे कि वह रिपोर्ट इस असेम्बली की लाइफ तक आ जायगी या नहीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

यह तो रिपोर्ट तैयार करने वाले को पता हो ।

श्री कल्पनाथसिंह—

जो जांच सी० आई० डी० की चल रही है उस संबंध में क्या मंत्री जी से इस बात की जानकारी करने की कोशिश की है कि उसके खिलाफ प्राइमाफेसी केस बनता है या नहीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जब रिपोर्ट आयेगी तभी तो सोचा जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष—

एक रिपोर्ट आ चुकी, उसकी बुनियाद पर पूंछते हैं ।

श्री जगनप्रसाद रावत—

रिपोर्ट आ चुकी है, यह तो मैंने नहीं कहा ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

श्रीमन्, जब मंत्री जी इस विभाग के मंत्री नहीं थे तो वे सरकार के खिलाफ बोला करते थे और कहते थे कि सरकारी रिपोर्टें नहीं आती हैं, तो फिर अब जल्दी रिपोर्ट क्यों नहीं मंगाई जाती है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री जे० पी० मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, ओवरसियर का प्रश्न ऐसा है कि मेरे जिले के डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर के खिलाफ सी० आई० डी० दो साल से जांच कर रही है और ३० अप्रैल तक सेशन है तथा ३० अप्रैल तक ही मेम्बरों की जिन्दगी भी है, तो क्या उनको ३० अप्रैल तक, जितनी उनके विभाग में सी० आई० डी० की जांच चल रही है उनके पूरी हो जाने की संभावना है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जहां तक मेरे विभाग का संबंध है, जितनी जल्दी हो सकती है उसके कराने की कोशिश कर सकता हूं । लेकिन जहां तक सी० आई० डी० का संबंध है, उनकी जांच करने का तरीका है, उसको मैं रोक नहीं सकता हूं ।

*१०–१२—श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)—

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*१३–१५—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ)—

[१८ मार्च, १९६६ के लिये स्थगित किये गये ।]

पाठ्य-पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण

*१६—श्री झारखण्डेराय (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार पाठ्य-पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या शिक्षा मंत्री जी इस पूरी योजना पर विस्तृत प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—

जी हां, योजना की रूप-रेखा संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४७९ पर)

पे-रेशनलाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट

*१७—श्री विजयसिंह (जिला जालौन) (अनुपस्थित), श्री रामकिशोर त्रिपाठी तथा श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पे-रेशनलाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट को अब तक कार्यान्वित न करने का क्या कारण है और वह कब तक कार्यान्वित हो जायेगी ?

श्री जयराम वर्मा—

कमेटी की रिपोर्ट को अब तक कार्यान्वित न कर सकने का कारण यह है कि सरकार इस कमेटी द्वारा प्रस्तावित वेतन मानों की कुछ असंगतियों पर विचार कर रही थी। इन असंगतियों पर २८ फरवरी, १९६६ को सरकार ने निर्णय ले लिया है और अब संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक आदेश तैयार किये जा रहे हैं और ये आदेश शीघ्र ही जारी कर दिये जायंगे।

*१८—श्री विजय सिंह (अनुपस्थित), श्री रामकिशोर त्रिपाठी तथा श्री कमलासिंह यादव—

भारत सरकार ने जो पुनः महंगाई भत्ता बढ़ाने का विचार किया है क्या उत्तर प्रदेश सरकार उपरोक्त रिपोर्ट के बावजूद भी निम्न श्रेणी के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहें अथवा महंगाई भत्ता बढ़ाने पर पुनः विचार करेगी ?

श्री जयराम वर्मा—

भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जो वृद्धि की है वह निम्नलिखित है :

वेतन	वृद्धि रु०
११० रु० से कम	५
११० रु० या उससे अधिक परन्तु १५० रु० से कम	८
१५० रु० या उससे अधिक परन्तु २१० रु० से कम	११
२१० रु० या उससे अधिक परन्तु ४०० रु० से कम	१२
४०० रु० या उससे अधिक परन्तु १,००० रु० से कम	१०
१,००० रु० तथा उससे अधिक	उतनी धन-राशि जिसे वर्तमान महंगाई भत्ते सहित वेतन में मिलाकर १,१०० रु० हो जायं।

प्रदेशीय सरकार अपने वर्तमान साधनों को देखते हुये वेतन अथवा महंगाई भत्ते में कोई वृद्धि करने में कठिनाई महसूस कर रही है।

*१९—श्री विजयसिंह (अनुपस्थित), श्री रामकिशोर त्रिपाठी तथा श्री कमलासिंह यादव—

क्या यह सही है कि सरकारी अधिकारियों के रिटायरमेंट का समय ५८ वर्ष से ५५ वर्ष करने जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जयराम वर्मा—

ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो असंगतियां थीं, जिन पर सरकार विचार कर रही थी, वे क्या-क्या थीं ?

श्री जयराम वर्मा—

इसकी तफसील, श्रीमन्, मेरे पास नहीं है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो केन्द्रीय सरकार ने भत्ता अपने कर्मचारियों का बढ़ाया है उसको देने में सरकार को कितना रुपया व्यय करना पड़ेगा ?

श्री जयराम वर्मा--

केन्द्रीय सरकार को कितना खर्च करना पड़ेगा, इसकी जानकारी मुझे नहीं है ।

श्री कमलासिंह यादव--

केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों को ११० रु० तक ५ रु० की बढ़ोतरी की है उसके अनुसार मंहगाई को देखते हुये अपने यहां ऐसे कर्मचारी जो १०० रुपये तनख्वाह मंहगाई को मिलाकर पाते हैं उनको इतना भत्ता देने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ?

श्री जयराम वर्मा--

श्रीमन्, यह बताया जा चुका है कि अपने साधनों को देखते हुये कठिनाई महसूस करते हैं कि हम कोई वृद्धि कर सकें ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान स्तर पर तनख्वाह देने में कितने रुपये खर्च करने पड़ेंगे ?

श्री जयराम वर्मा--

श्रीमन्, एक रुपये की वृद्धि पर पौन करोड़ रुपया बढ़ता है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या मंत्री जी ने इसको देखते हुये कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का महंगाई-भत्ता बढ़ता चला जा रहा है इससे यहां के कर्मचारियों के पे स्केल में फर्क आ गया है और उनको असंतोष भी बहुत हो रहा है, फाइनेंस कमीशन से आरजू की है कि हमारे यहां के कर्मचारियों को इस स्तर पर लाने के लिये अनुदान या सहायता दी जाय ?

श्री जयराम वर्मा--

श्रीमन्, अब तो फाइनेंस कमीशन का कोई सवाल नहीं है । फाइनेंस मिनिस्टर से जरूर बात हुई थी कि यह कठिनाई प्रदेशीय सरकार को होती है अगर केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बार-बार वृद्धि करती है । यह भी बात हुई कि केन्द्रीय सरकार के वृद्धि करने से अगर राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन या भत्ते में वृद्धि करना चाहती है तो वे अपने रिसोर्सेज से कर सकती हैं और वे कोई सहायता देने के लिये तैयार नहीं है । हमारी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम कोई वृद्धि कर सकें । लेकिन इसके लिये दूसरे उपाय सोचे जा रहे हैं और इसके अलावा मंहगाई में भी कमी हो रही है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसका निश्चय सरकार ने किस दिन लेकर विभागों को भेज दिया था तथा कितना समय और लगने की संभावना है ?

श्री अध्यक्ष--

वह यह जानना चाहते हैं कि राजाज्ञा प्रसारित करने में कितना समय लगेगा ।

श्री जयराम वर्मा—

कुछ विभागों की राजाज्ञायें जारी हो चुकी हैं। पी० डब्लू० डी०, एक्साइज, सचिवालय, एनीमल हस्बेन्डरी, (गजटेड आफिसर्स) और एन्टरटेनमेंट ऐन्ट बैटिंग टैक्स की राजाज्ञायें जारी हो गई हैं। १२ विभागों की राजाज्ञायें वित्त विभाग द्वारा एक्जामिन हो चुकी हैं और उनके आदेश जल्दी ही जारी हो जायेंगे। बाकी विभागों के भी एक्जामिन हो रहे हैं और जल्दी से जल्दी जारी हो जायेंगी।

*२०—२२—श्री ऊदल—

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*२३—श्री हरीशकुमार गंगवार—

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*२४–२५—श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच) तथा श्री विजयसिंह—

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

मैनपुरी में बाई पास

*२६—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या यह सत्य है कि मैनपुरी में ईसन नदी के कचहरी के पुल से राधारमण रोड-कालीचरन रोड से होती हुई वाटर वर्क्स के चौराहे से शिकोहाबाद रोड पर बाई पास बनाने के लिये मैनपुरी की नगरपालिका के अध्यक्ष के पास एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, पी० डब्लू०डी०, मैनपुरी ने सन् १९६५ ई० में ऐसा आदेश भेजा था कि कालीचरन रोड की पटरियों पर कोई प्रोजेक्शन का नक्शा पास न करें, क्योंकि सरकार बाई पास बनाने जा रही है? यदि हां, तो यह बाई पास कब तक बन जायेगा?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां। धनाभाव के कारण अभी बाई पास के निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा निश्चित होने पर इस पर विचार किया जायगा।

हेतिमपुर—महुआडीह सड़क में अध्याप्त भूमि का मुआवजा

*२७—श्री चन्द्रबलीसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि देवरिया जिले में हेतिमपुर से महुआडीह तक (हेतिमपुर–देवरिया सड़क का एक भाग) की सड़क में आई किसानों की जमीनों का अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है तथा १४-१५ साल बाद भी इसका मुआवजा न देने का कारण क्या है? मुआवजा कब तक दे दिया जावेगा?

श्री जगनप्रसाद रावत—

यह सड़क श्रमदान द्वारा निर्मित की गई है। इसको जनता ने अपने स्वेच्छा से अपनी भूमि में बनाकर सरकार को रख रखाव के लिये दिया है। अतः प्रतिकर देने का प्रश्न नहीं उठता।

*२८—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण हटा दिया गया।]

*२९—श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी)—

७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

खलीलाबाद में कपड़ा व्यापारियों द्वारा कैश मेमो न इस्तेमाल करना

*३०--श्री चन्द्रबलीसिंह (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिला के खलीलाबाद नामी स्थान पर थोक के व्यापारी बिक्री हेतु छपा कैश मेमो इस्तेमाल नहीं करते हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सच है कि इस प्रकार सारे कैश मेमों के इस्तेमाल से बड़ी मात्रा में बिक्री-कर की और धर्मादा की चोरी हो रही है ? इसे रोकने की कौन विधि अपनाई गई है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक बिक्री-कर का छपा हुआ कैशमेमों अनिवार्य रूप से जारी करने की व्यवस्था नहीं है ।

*३१--श्री मनोलासिंह--

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*३२--श्री शिवनाथसिंह--

[६ठे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ७८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

दीक्षा विद्यालय, रायबरेली

*३३--श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)--

क्या शिक्षा मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि राजकीय दीक्षा विद्यालय, रायबरेली, में कितने ऐसे अध्यापक हैं जो ३ साल से अधिक से उसी स्कूल में हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

रायबरेली शहर के दो दीक्षा विद्यालयों में काम करने वाले ऐसे अध्यापकों की कुल संख्या ११ है ।

*३४--श्री विपिनबिहारी तिवारी तथा श्री शारदानन्द--

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*३५--श्री इन्द्रासनसिंह--

[अगले सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*३६--श्री रक्षपालसिंह--

[१८ मार्च, १९६६ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३७-३९--श्री सत्यवीर कुंवर (जिला बिजनौर)--

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*४०--श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)--

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*४१-४२--श्री कल्पनाथसिंह--

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*४३-४४--श्री कृष्णानन्द राय--

[६ठे शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ४०-४१ के अन्तर्गत निर्धारित किये गये ।]

*४५—श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर), श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़) तथा श्री ऊदल—

[१८ मार्च, १९६६ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४६-४८—श्री विक्रमशाह (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*४९—श्री होरीलाल यादव—

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*५०—श्री सुरजनराम विशारद तथा श्री ऊदल—

[१८ मार्च, १९६६ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५१-५२—श्री शिवचरण—

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

कोषागारों से सम्बन्धित फार्मों की भाषा

*५३—श्री माधोनारायण मुद्गल (जिला मैनपुरी) तथा श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय कोषागार (खजानों) में ऐसे कौन से कागजात हैं जैसे बिल, वाउचर, चालान इत्यादि जो कवल अंग्रजी में ही स्वीकार किये जाते हैं, हिन्दी में नहीं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करायेगी कि वे हिन्दी में स्वीकार किये जावें ?

श्री जयराम वर्मा—

कुछ द्विभाषी फार्मों को छोड़कर कोषागारों में अन्य सभी फार्म अर्थात् बिल, वाउचर, चालान, आदि अंग्रेजी में ही स्वीकार किये जाते हैं । चूंकि ये फार्म आडिट में एकाउन्टेन्ट जनरल के सामने जाते हैं तथा ए० जी० ने अभी राज्य कार्यालयों से हिन्दी में पत्र-व्यवहार करना स्वीकार नहीं किया है, अतः अपवाद के तौर पर उनमें अंग्रेजी के इस्तेमाल की छूट दे दी गई है । एकाउन्टेन्ट जनरल के अनुरोध पर विभागीय मैनुअल तथा उनके अन्तर्गत फार्म आदि का अनुवाद भाषा विभाग प्राथमिकता के आधार पर कर रहा है ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब हमारे राज्य की निर्धारित नीति है हिन्दी का प्रसार और प्रचार करने की, हिन्दी में अपना समस्त राजकीय कार्य करने की और वह हमारी एक मात्र भाषा हो चुकी हैं, तब खजाने में अंग्रेजी क्यों चलती है ? क्या आप ए० जी० को बाध्य करेंगे कि वह सारे कागजात हिन्दी में चलायें ?

श्री जयराम वर्मा—

ए० जी० तो केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत है, वह इस प्रदेश सरकार के अधीन नहीं है । वह हिन्दी का इस्तेमाल करने में अपनी कठिनाई बताते हैं कि वह हिन्दी में नहीं कर सकते हैं । लेकिन कोशिश की जा रही है, मैनुअल का हिन्दी में अनुवाद किया जा रहा है । अनुवाद हो जाने पर और यदि उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो काम हिन्दी में होने लगेगा ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि खजाने के जो कागजात हैं वह ए० जी० से सम्बन्धित हैं जो कि केन्द्रीय सरकार के मातहत हैं, इसलिये उनकी मजबूरी है, लेकिन जो विभाग कतई सम्बन्धित नहीं हैं वह अपने परिपत्र, दौरे के कार्यक्रम और दूसरे आदेश अंग्रेजी में निकालते हैं, उसके लिये आपने क्या किया है ? जो आज्ञायें और बकियां अंग्रेजी में निकलती हैं, उसे रोकने के लिये आपने क्या प्रयत्न किया है ?

श्री अध्यक्ष--

वह बाकिया किस विभाग की हैं ?

कुंवर श्रीपालसिंह--

वित्त विभाग की अन्य राजाज्ञायें अंग्रेजी में निकलती हैं ।

श्री जयराम वर्मा--

श्रीमन्, यह सही है कि हमारे राज्य की भाषा हिन्दी है और इस विधान मंडल का सारा काम हिन्दी में होता है, लेकिन सरकार के दूसरे काम भी हिन्दी में हों, इसका पूरा प्रयास किया जाता है और होते भी हैं । परन्तु हिन्दी में काम होते हुये भी कुछ चीजें उसके साथ साथ अंग्रेजी में तैयार होती हैं । चूंकि बहुत से सरकारी कर्मचारी लम्बे समय से अंग्रेजी में काम करते-करते उस में अभ्यस्त हो चुके हैं । हिन्दी में काम करने में उन्हें थोड़ी दिक्कत पड़ती है और समय लगता है । सरकारी कर्मचारियों की विवशता है, इसी से कुछ अंग्रेजी का इस्तेमाल होता है । यहां पर भी, श्रीमन्, कुछ माननीय सदस्य कोटेशन अंग्रेजी में पढ़ा करते हैं, उनको भी मजबूरियां हुआ करती हैं ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि माननीय सदस्यों के जो वेतन बिल हैं उनका एक अक्षर भी अंग्रेजी में नहीं लिखा जाता है, फिर भी उस पर ए० जी० ने कोई आपत्ति कभी नहीं की है ? तो आप फिर ए० जी० का बहाना क्यों कर रहे हैं ? क्या आपको उनकी इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त हुई है ? सदस्यों की वेतन बिलों की भांति जो अन्य बिल कोषागारों में हैं, उनको आप हिन्दी में करने की कोशिश करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा--

उनके कराने की कोशिश की जा रही है और इसी के मैनुअल का अनुवाद कराया जा रहा है । यह सही है कि एम०एल०एज० के लिये टी० ए० फार्म्स हिन्दी में ही हैं लेकिन ट्रेजरी फार्म नम्बर ३५ भी हिन्दी में ही है । बाकी जो आडिट के सम्बन्ध में कुछ चीजें हैं, जिनके बारे में वह कठिनाई महसूस करते हैं, उसमें हमारी मजबूरी हो जाती है ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल--

हिन्दी में काम करना यदि ए० जी० स्वीकार नहीं करते हैं तो क्या उनको विवश करने के लिये केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में बाध्य करेगी ? इस बात को दृष्टि में रखते हुये कि यह हिन्दी भाषा भाषी प्रान्त है और हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा है और हमारे नागरिक हिन्दी में ही काम करते हैं, केन्द्रीय सरकार के पास क्या इस बात को रखा जायगा कि एकाउन्टेन्ट जेनरल के यहां भी काम हिन्दी में ही हो ?

श्री जयराम वर्मा--

हम केन्द्रीय सरकार को बाध्य तो नहीं कर सकते, यह प्रयास ही किया जा सकता है कि यहां हिन्दी में काम हो ।

कुंवर श्रीपालसिंह--

१७ वर्ष का इतना समय व्यतीत हो गया, अब कितना समय और लगेगा हिन्दी को पूर्णतः लागू करने में, क्या पूरा युग बीतेगा ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

नोट--तारांकित प्रश्न ५३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*५४—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

[७वें शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

पाठ्य-पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण

*५५—सर्वश्री दयाराम शाक्य तथा हरीशकुमार गंगवार—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार पाठ्य-पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करने का विचार कर रही है? यदि हां, तो किस स्तर की पुस्तकों की तथा उक्त योजना कब से लागू की जायगी?

श्री राममूर्ति—

सम्प्रति प्रस्ताव वह है कि प्राथमिक कक्षाओं की भांति कक्षा ६ में जुलाई, १९६६, से हिन्दी व गणित की राष्ट्रीयकृत पुस्तकें चलाई जायें।

*५६—श्री माताप्रसाद—

[१८ मार्च, १९६६ के लिए स्थगित किया गया।]

जिलाधीश बलिया के पास जमा जमीन का मुआवजा

*५७—श्री मैनेजरसिंह—

क्या निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जिले के अन्तर्गत सुरेमनपुर एवं दक छपरा हाल्ट रेलवे स्टेशन के बीच नई रेलवे लाइन के निर्माण हेतु हस्तगत की गई भूमि का मुआवजा कब रेलवे से किया गया है? और अब तक किसानों को न दिए जाने का कारण क्या है?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस भूमि का मुआवजा रेलवे प्रशासन ने जिलाधीश, बलिया, के पास अप्रैल, १९६५ ई० में जमा कर दिया परन्तु रेलवे से अधिकृति पत्र (Authority letter) की प्राप्ति न होने के कारण सम्बन्धित कृषकों को मुआवजा न दिया जा सका। यह अधिकृति-पत्र अब १५-२-६६ को प्राप्त होने पर, जिलाधीश, बलिया, के द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

*५८—श्री मैनेजरसिंह—

[७वें शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

इंडियन इम्पलीमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, अलीगढ़, का आडिट

*५९—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि असिस्टेंट कमिश्नर, सेल्स टैक्स ने इंडियन इम्पलीमेंट्स मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, अलीगढ़, के मामलों में सरकारी कोष का नुकसान किया? यदि हां, तो सरकार ने उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की?

श्री कैलाश प्रकाश—

असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा इंडियन इम्पलीमेंट्स मैनुफैक्चरिंग कम्पनी अलीगढ़, के मामले से सम्बन्धित बिक्री-कर राजस्व का कोई नुकसान नहीं हुआ है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

*६०—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार को मालूम है कि आडिटिंग इन्सपेक्टर ने अपनी आडिट रिपोर्ट १९ जून, १९६३, व एकाउन्टेन्ट जनरल, इलाहाबाद ने २५ जून, १९६५ की रिपोर्ट के पार्ट २-पी (४) में उक्त अफसर को सरकारी कोष का नुकसान करने का जिम्मेदार ठहराया है? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या अमल किया?

श्री कैलाश प्रकाश—

आडिट रिपोर्ट पर आधारित महालेखापाल ने अपने पत्र संख्या RAW/ST/R&R-4/65-66/1417, दिनांक जून, २५, १९६५, में इंडियन एम्प्लीमेन्ट्स मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, अलीगढ़ के सेन्ट्रल सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के विषय में आपत्ति (Audit Objection) की है परन्तु उसमें किसी अधिकारी विशेष को जिम्मेदार नहीं ठहराया है।

*६१—श्री नेकराम शर्मा—

क्या उक्त अफसर के विरुद्ध और भी शिकायतें सरकार के पास आई हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री कैलाशप्रकाश—

श्री आर० बी० गोयल, असिस्टेंट कमिश्नर, आगरे, के खिलाफ एक अन्य शिकायत सरकार के पास आई है जिस पर जांच की जा रही है।

अध्यापकों का राजनीति में भाग लेना

*६२—आचार्य मोहनलाल (जिला पीलीभीत) तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार राज्य सहायता पाने वाली शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों के राजनीति में क्रियाशील भाग लेने पर कोई प्रतिबन्ध लगाने पर ध्यान देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राममूर्ति—

नहीं।

इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगाने पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को भी ध्यान में रखना होगा।

फिर भी शिक्षा संहिता के पैरा २९४ में इस प्रकार का प्राविधान है कि यदि प्रबन्ध समिति का कोई सदस्य या कोई अध्यापक ऐसा कार्य करे अथवा विद्यार्थियों को ऐसा कार्य कलाप करने के लिए उत्तेजित अथवा प्रोत्साहित करे जिससे शांति और व्यवस्था भंग होती हो, अथवा संस्था उनमें अनुशासन बनाए रखने में असफल रहे, तो शासन द्वारा साधारणतया अनुदान रोक दिया जायगा।

*६३-६४—श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

[७वें शुक्रवार के लिए स्थगित किये गये।]

*६५—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)—

[७वें शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

*६६-६७—श्री रामचन्द्र विकल—

[७वें शुक्रवार के लिए स्थगित किये गये।]

*६८-६९—श्री ज्वालाप्रसाद तथा श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

[७वें शुक्रवार के लिए स्थगित किये गये।]

स्याना—बुगरासी मार्ग पक्का करने की मांग

*७०—श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद), आचार्य मोहनलाल तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र स्याना, जिला बुलन्दशहर, में स्याना-बुगरासी मार्ग को पक्का बनाने की सरकार अब क्या व्यवस्था कर रही है?

श्री जगनप्रसाद रावत—

प्रश्नगत सड़क को पक्का कराने की कोई व्यवस्था करना इस समय सम्भव नहीं है।

*७१—श्री बंशीलाल, आचार्य मोहनलाल तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त मार्ग सन् १९५४ से सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकार में है और हाल ही में जिलाधीश, बुलन्दशहर, ने सचिव, निर्माण विभाग, का ध्यान उक्त मार्ग को तुरन्त पुख्ता कराने की आवश्यकता की ओर दिलाया है?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस सड़क को १९५५–५६ में कच्ची सड़क के रूप में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कराया गया था, और तब से वह विभाग के अधिकार में ही है। जिलाधीश, बुलन्दशहर ने इस सड़क को पक्का कराने के लिए ५–१०–६४ को लिखा था। उनको उत्तर दे दिया गया था कि चालू योजना काल में इस सड़क का निर्माण सम्भव नहीं है।

*७२—श्री रियासत हुसैन—

[१८ मार्च, १९६६, के लिए स्थगित किया गया।]

फर्रुखाबाद जिले में एन० सी० सी० आफिसर्स का राजनीति में भाग लेना

*७३—सर्वश्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद), सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी), महरारसिंह तथा राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में किन-किन इन्टरमीडिएट कालेजों के एन० सी० सी० आफिसर (सेकेन्ड लेफ्टीनेन्ट), विभिन्न राजनैतिक दलों में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं?

श्री राममूर्ति—

एन० सी० सी० के किसी भी अधिकारी के विरुद्ध राजनैतिक दल में भाग लेने की कोई भी सूचना या शिकायत शासन के पास नहीं प्राप्त हुई है।

*७४—सर्वश्री कोतवालसिंह भदौरिया, सूबेदारसिंह, महरारसिंह तथा राजेन्द्र सिंह यादव—

क्या सरकार कृपया यह भी बताएगी कि क्या एन० सी० सी० आफिसर (सेकेन्ड लेफ्टीनेन्ट) का पद राजकीय है या व्यक्तिगत? यदि यह राजकीय पद हैं, तो सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी जो राजनैतिक दलों के कार्यों में सक्रिय भाग ले रहे हैं?

श्री राममूर्ति—

एन० सी० सी० आफिसर्स का पद राजकीय है जो केन्द्रीय सरकार से नियन्त्रित होता है।

एन० सी० सी० ऐक्ट एवं रूल्स के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की जायगी।

*७५-७६—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—

[१८ मार्च, १९६६ के लिए स्थगित किये गये।]

स्थानीय निधि लेखा परीक्षण विभाग का प्रतिवेदन

*७७—श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षण विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन इस सदन के समक्ष पिछले कितने वर्षों से प्रस्तुत नहीं किए गए तथा उनके प्रस्तुत न किए जाने का क्या कारण है?

श्री जयराम वर्मा—

किसी अधिनियम या नियम में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षण विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाय। इस कारण वार्षिक प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए।

फतेहपुर जिले में माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता

*७८—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले के उन माध्यमिक विद्यालयों (जूनियर हाई स्कूल) के नाम क्या हैं जिन्हें इस वर्ष जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अस्थायी मान्यतायें दी गई हैं? यह मान्यतायें कब और किन कक्षाओं तक की हैं?

श्री राममूर्ति—

प्रश्नगत विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४८० पर)

*७९—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उक्त माध्यमिक विद्यालयों की कई प्रबन्ध समितियों ने जब आठवीं कक्षा तक के लिए मान्यता की मांग की थी तो परिस्थितियों में जबकि वह आठवीं कक्षा तक की शिक्षा अपने विद्यालयों में नियमित ढंग से दिला रहे हैं तथा मान्यता दिए जाने सम्बन्धी सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं फिर भी उन्हें आठवीं तक मान्यता न देकर आठवीं कक्षा तक ही मान्यता देने का मूलभूत आधार क्या है? और क्या अग्रिम वर्ष उनकी मांग पूरी की जा सकेगी?

श्री राममूर्ति—

प्रश्नगत विद्यालयों को आठवीं कक्षा तक मान्यता न देने का कारण यह बताया गया है कि उन्होंने मान्यता की सभी शर्तें अभी पूरी नहीं की हैं। अतः संप्रति कक्षा ६ तक की ही अस्थायी मान्यता दी गई है।

विद्यालय यदि मान्यता की शर्तें पूरी करने में प्रगति दिखायेंगे तो अगले वर्ष उनकी मांग पर विचार हो सकेगा।

*८०-८१—श्री रियासत हुसैन—

[७वें शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

*८२-८३—श्री रघुनाथ, श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर), श्री विजयपाल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री रघुवीरराम—

[७वें शुक्रवार के लिए स्थगित किये गये।]

*८४–८६—श्रीमती विनय लक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी गढ़वाल)—

[१८ मार्च, १९६६ के लिए स्थगित किये गये।]

राब पर से क्रय कर हटाने का विचार

*८७—श्री जगदीशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—

क्या सरकार गुड़ खांडसारी उद्योग की वर्तमान स्थिति को देख कर राब पर क्रय कर आदि जो उस समय गन्ने के डायवर्जन को रोकने के लिए लगाए गए थे, हटाने पर विचार करने की कृपा करेगी?

श्री कैलाशप्रकाश—

यह सत्य नहीं है कि गुड़ खांडसारी पर क्रय कर गन्ने के डाइवर्जन को रोकने के लिए ही लगाया गया था। तथापि राब पर से क्रय कर हटाने के सम्बन्ध में सरकार को जो प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं वे विचाराधीन हैं।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[७वें शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

२—श्री ऊदल—

[७वें शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

३—श्री मैनेजरसिंह—

[७वें शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

४–६—श्री उमाशंकर—

[१८ मार्च, १९६६ के लिए स्थगित किया गया।]

७—श्री मैनजर सिंह—

[१८ मार्च, १९६६ के लिए स्थगित किया गया।]

अल्प बचत योजना में जमा धन

८—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अल्प बचत योजना में प्रदेश में आवश्यक मात्रा में रुपया जमा न होने का क्या कारण है?

श्री कैलाशप्रकाश—

मुख्यतः निम्नलिखित कारण हैं:—

(१) अल्प बचत योजना एक स्वैच्छिक योजना है जिसका संचालन केवल इसके प्रचार तथा जनता को इसके मूल उद्देश्यों तथा लाभों को समझाने से होता है। इसमें धन जमा करने के लिए किसी प्रकार का दबाव या जोर नहीं डाला जा सकता।

(२) प्रदेश की अधिकांश जनता देहात में रहती है जो कि डाकखाने के कुछ नियमों को निभाने में कठिनाई महसूस करती है।

(३) अल्प बचत योजना की प्रतिभूतियों पर मिलने वाली ब्याज की दरें अन्य बैंकों की तुलना में कुछ कम आकर्षक हैं।

(४) इस योजना की सफलता काफी सीमा तक गैर-सरकारी व्यक्तियों एवं संस्थाओं पर निर्भर है। इनसे और अधिक सहयोग तथा सहायता की आवश्यकता है।

भूतपूर्व सदस्य श्री लक्ष्मणदत्त भट्ट के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

अध्यक्ष महोदय, आज मुझे एक दुखद समाचार मिला है। हमारे सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री लक्ष्मणदत्त भट्ट जी की मृत्यु ३ मार्च ही को गयी। आप इस सदन में दो बार चुनकर आये और १० वर्ष तक सदस्य रहे। नैनीताल जिले के वे बहुत पुराने राजनीतिक कार्यकर्ता थे। आप रामनगर म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन थे। मैं अपनी और अपने दल के लोगों की समवेदना उनके परिवार तक पहुंचाना चाहती हूं। आप से प्रार्थना है कि आप हमारी पार्टी के लोगों की समवेदना उनके शोक संतप्त परिवार के लोगों तक पहुंचा दें।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय लक्ष्मणदत्त जी एक प्रसिद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता थे। मैं अपने को तथा अपने दल को माननीय मुख्य मन्त्री जी की भावनाओं से सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उनके परिवार के लोगों तक हमारी समवेदनायें पहुंचा दें।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो विचार प्रकट किय हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आप से प्रार्थना करता हूं कि आप उनके परिवार के लिए हमारा यह संदेश पहुंचा दें।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय भट्ट जी के सम्बन्ध में नेता सदन ने जो शोक प्रकट किया है और जो विचार विरोधी दल द्वारा प्रकट किये गये हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आप से निवेदन करता हूं कि हमारे दल की समवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन और माननीय उपनेता विरोधी दल ने जो विचार व्यक्त किए हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आशा करता हूं कि आप हमारी समवेदनायें उनके संतप्त परिवार को पहुंचा दें।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, हमारे सदन के किसी भूतपूर्व सदस्य का निधन तकलीफ देता है। मैं अपने को और अपने दल के विचार मुख्य मन्त्री जी के विचारों से सम्बद्ध करता हूं और चाहता हूं कि आप उनके परिवार तक हमारी समवेदना पहुंचा दें।

श्री अध्यक्ष—

इस सदन द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से मैं अपने आपको भी सम्बद्ध करता हूं और आप से निवेदन है कि हम सब खड़े हो कर श्री लक्ष्मणदत्त जी की आत्मा को मौन श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर एक मिनट के लिए खड़े हुए।)

नगीना, जिला बिजनौर में होली के अवसर पर साम्प्रदायिक दंगे के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत मैंने एक सूचना स्वीकार की है माननीय टम्बेश्वरप्रसाद की और इसी विषय की एक माननीय बसन्तसिंह, माननीय हरिनाथ तिवारी, माननीय हरीशकुमार गंगावार और माननीय श्रीराम की है। जो माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी की सूचना है वह मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं। "दिनांक ७-३-६६ को मध्याह्न १ बजे जब सदा की भांति होली खेलने वाले लोग मुहल्ला लुहारी सराय (नगीना जिला बिजनौर) से निकले वहां पर पहले से इकट्ठे सैकड़ों की संख्या में एक विशेष सम्प्रदाय के लोग, जो अस्त्रों से जैसे छुरी, बर्छी, भाले तथा बन्दूक आदि से लैस थे, जलूस पर एकाएक धावा बोल दिया। पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारों के साथ चारों ओर से ईंटों की बौछार जलूस पर होने लगी वहां पर उपस्थित अधिकारी भी स्थिति को नियंत्रण में न कर सके तथा पुलिस जो संख्या में नगण्य थी, स्वयं भी हमले में शिकार बनी। हमला करने वालों ने बाजार को लूटा तथा आग लगा दी जिससे लगभग सौ दुकानों को बलवाइयों ने पूरी तरह लूटा और जला कर ध्वस्त कर दिया। मन्दिर के भीतर घुस कर उसकी मूर्तियां तोड़ डालीं। स्थिति अब भी नियंत्रण से बाहर है। छुरे आदि की घटनाएं अब भी हो रही हैं। वहां की जनता आतंकित है और अपने को अरक्षित पा रही है। अभी तक बाजार नहीं खुला है। लोग शहर छोड़ कर भाग रहे हैं। स्थिति अत्यन्त उत्तेजनात्मक है। शान्ति और व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो गया है। सरकार नियंत्रण करने में पूर्णतया असफल रही है। लूट का माल बरामद करने में पुलिस उपेक्षा बरत रही है।" तो इस पर सम्बन्धित मंत्री जी कब वक्तव्य देंगे?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

१८ तारीख को इस पर वक्तव्य हो जायगा।

इलाहाबाद की हंडिया तहसील में सूखे की स्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

(माननीय नाथूराम शिक्षक से) क्या आपको वक्तव्य मिल चुका है?

श्री नाथूराम शिक्षक—

अभी मुझको नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय बैजनाथ पांडेय की भी उसी विषय पर हंडिया तहसील के बारे में सूचना आयी है। तो इसके साथ में माननीय शिक्षक की सूचना को भी भेज देता हूं। दोनों पर वक्तव्य हो जायगा। इसके लिये माननीय राजस्व मंत्री से पूछकर तिथि निश्चित कर दी जायगी।

श्री बैजनाथ पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हंडिया तहसील की परिस्थिति के बारे में मैं जिलाधीश को, कमिश्नर को कुछ जानकारी करा चुका हूं। उनकी रिपोर्ट यहां आ चुकी है। इस विषय पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि वहां पर जो परिस्थिति पैदा हो गई है उसकी जानकारी करने के लिये यहां से मुख्य मंत्री जी को जाकर देखना चाहिये। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि वहां पर इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई है कि गरीब लोग बहुत दुखी हैं और परेशान हैं। मैंने वहां की स्थिति को गांवों में घूमकर देखा है। मुख्य मंत्री

जी स्वयं वहां की स्थिति जाकर देखें। जिला अधिकारी वहां की स्थिति के बारे में तोड़ मरोड़कर लिखते हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहबाद)—

मेरे पास जो सूचना आई है। वहां पर लोग बिना पानी के मर रहे हैं। सरकार ने थोड़े से घड़े पानी के भेजे हैं, लेकिन जानवरों के लिये भी चारा नहीं रह गया है। पानी और चारे के बिना पशु मर रहे हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि मुख्य मंत्री जी वहां जाकर देखें कि स्थिति किस प्रकार की है। इसके माने यह हैं कि सरकार इस क्षेत्र को इग्नोर करना चाहती है। इसलिये मैं समझता हूं कि केवल वक्तव्य से काम नहीं चलेगा मुख्य मंत्री जी को स्वतः वहां चलना चाहिये और वहां चल कर स्थिति को देखना चाहिये।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

सदन में जब वह बात उठी थी उसके बाद मैंने वहां के कमिश्नर से टेलीफोन पर बात की और जरूरी इंस्ट्रक्शन्स भेजे हैं। ३०० टन गल्ला वहां पहुंच गया है और दूकानें खुल गयी हैं और एल० एस० जी० के जो इंजीनियर हैं वे स्वयं वहां जाकर देख आये हैं और इमीडियेटली पानी की व्यवस्था टैंकर के जरिये की जा रही है। वहां पानी का परमानेंट इन्तजाम करने की बात सोची जा रही है। अफसर लोग घूम कर स्थिति पर वाच रख रहे हैं और मुझे दुख है कि मैंने जिन मिनिस्टर साहब को वहां जाने को कहा था उन्होंने किन्हीं कारणों से वहां जाने में देरी की, लेकिन आज शाम को ही गेंदा सिंह जी वहां जा रहे हैं।

१९६६–६७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १४—पुलिस (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—

पुलिस के अन्तर्गत अनुदानों पर बहस हो रही थी। माननीय रघुवीर राम।

श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय यादवेन्द्रदत्त जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में पुलिस के शासन ने जनता को आतंकित कर रखा है। जनता उसके नीचे कराह रही है। जन प्रतिनिधियों, जनता, यूनीवर्सिटी के विद्यार्थियों, सभी को इसने परेशान कर रखा है और आप इस बात को जानते हैं कि उन्होंने, लगभग सारे वर्गों ने ही प्रदेश के मुख्य मंत्री, गुलजारीलाल नन्दा, और दूसरे बड़े नेताओं को लिख कर दे रखा है कि हरगोविन्दसिंह जी को इस पद से हटा दिया जाय। जौनपुर के सारे ही विधायकों तथा कांग्रेस पार्टी तक ने लिख दिया है कि इनके न हटने से जौनपुर में कांग्रेस पार्टी ही खत्म हो जायगी, मगर दुख के साथ कहना पड़ता है कि सभी वर्गों की एक स्वर से इस मांग के बावजूद भी मुख्य मंत्री जी ने हरगोविन्दसिंह जी को इस पद से नहीं हटाया। मेरी समझ में नहीं आता कि उनमें कौन सी खुसूसियत है, कौन सी कार्यकुशलता है, कौन सी अक्लमन्दी है जिसके कारण वह इसी पद पर बहाल हैं ?

श्री अध्यक्ष—

मैं एक बात निवेदन कर दूं। हम अनुदान पर बहस कर रहे हैं इसलिये आप अनुदान पर बोलिये। जब अविश्वास का प्रस्ताव आप लाइये गा तब इस प्रकार बोलियेगा। अभी तो इस पर बोलिये कि पुलिस की नीतियों में क्या खराबी है।

---

†१० मार्च, १९६६ की कार्यवाही से।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

अनुदान सम्बन्धी जो हेड है उसके बारे में तो उन्हें कुछ कहना ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

मैं निवेदन कर दूं। जैसे श्री यादवेन्द्रदत्त जी ने भाषण दिया है—पहले अनुदान के सम्बन्ध में बोल लीजिये और अन्त में इस प्रकार का एक शब्द कह दीजिये। लेकिन माननीय सदस्य ने तो शुरू ही इस नारे से किया तो अनुदान के सम्बन्ध में क्या कहेंगे? हम अनुदान के बारे में सुनना चाहते हैं माननीय रघुवीर राम के विचार।

(कुंवर श्रीपालसिंह के कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष—

श्रीपालसिंह जी, यह शोभा नहीं देता कि हम एक ही बात को रटते रहें।

श्री रघुवीरराम—

हमारे समय पर भी ध्यान दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष—

आप अनुदान पर बोलिये।

श्री रघुवीरराम—

मैं अनुदान पर ही आ रहा हूं। मान्यवर, मैंने यह अनुभव किया कि पूरे प्रदेश में जितने एस० पी० हैं, अंग्रेजों के काल से यह परम्परा चली आ रही है कि आज भी प्रत्येक थाने से रिश्वत माहवारी इन एस० पीयों के लिए निर्धारित है और जिस जिले का पुलिस अधीक्षक अपने थानेदारों से रिश्वत लेगा वहां का थानेदार जनता की क्या परवाह करेगा। इस पर आप खुद विचार कर सकते हैं। गृह मंत्री इसपर ध्यान दें कि जितने थानेदार हैं वह रिश्वत लेते हैं, गलत रिपोर्ट लिखते हैं। यहां तक होता है कि थाने के दरवाजे पर कत्ल का केस रखा है, उसके घर में आग लगी है, परिवार के मुंह में खून भरा है, लेकिन पुलिस की कलम उस वक्त तक नहीं चल सकती है जब तक कि परिवार वालों से रिश्वत न ले ली जाय। तभी रिपोर्ट दर्ज होती है। देश में डेमोक्रेसी है, आप यहां समाजवादी प्रणाली कायम करने की बात करते हैं, लेकिन यह क्या हो रहा है? मैंने अपनी आंख से देखा कि एक तरफ लाश रखी थी और एक तरफ रिश्वत ली जा रही थी। अगर आप में हिम्मत है कि जिले के एस० पी० को आप टंगवा दें, गोली से मरवा दें तो बहुत हद तक भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं और जनता को राहत दे सकते हैं। लेकिन एस० पी० घूस लेते हैं और थानेदारों को छूट देते हैं।

दूसरी बात यह कहूं कि आप सीतापुर का नंगा नाच देखिये कि वहां क्या हो रहा है। जन-प्रतिनिधियों की क्या दशा है? चाहे विरोधी दल के सदस्य और उधर के बैठने वाले सदस्य। आज यह हालत है कि कहीं भी पब्लिक मीटिंग में कोई सवाल नहीं कर सकता, पुलिस के खिलाफ नहीं बोल सकता। महमूदाबाद टाउन एरिया के चेयरमैन के हाथ में हथकड़ी लगा कर वहां के दारोगा ने उनका पूरे बाजार में प्रदर्शन किया। गृह मंत्री तक बात पहुंची। डी० आई० जी० के पास जब गये तो उनसे कहा गया कि तुम्हारा सवाल अब असेम्बली में जो साहब उठा चुके हैं उनसे कहो और धक्का देकर निकलवाया गया। आपका यह सिपाही आपके सामने हाजिर है? ९ मार्च, १९६५ को कानपुर के मंगलपुर थाने में पब्लिक मीटिंग थी और यह खादिम बोलने के लिए गया था। आपका यह खादिम बोल रहा था, कुछ अनुचित बात नहीं कही। उसका सदन में सवाल उठ चुका है और उस पर पूरा विरोधी दल वाक-आउट कर चुका है। उस मीटिंग के स्टेज पर से थानेदार ने मेरा हाथ पकड़ कर खींचा और हाथ में हथकड़ी लगा कर कानपुर में

भेजा। वह केस चल रहा था और सजा हो गयी थी। मैंने जज के यहां अपील किया और इसी ५ तारीख को मेरे पक्ष में निर्णय हुआ।

मैं गाजीपुर का रहने वाला हूं, और कानपुर के मंगलपुर क्षेत्र के थानेदार ने मेरे खिलाफ १०७/११७ का केस चलाया। माननीय टम्बेश्वर प्रसाद ने यहां सदन में उस सम्बन्ध में प्रश्न उठाया था कि माननीय सदस्य से कौन सा ऐसा खतरा था जो उनके खिलाफ १०७/११७ का केस चलाया गया? मैं श्रीमन्, माननीय गृह मंत्री से मिला भी था, भीखालाल तथा चन्द्र जीत यादव व कुछ और माननीय सदस्य भी मेरे साथ थे, मंत्री जी ने कहा रिपोर्ट मेरे पास आने दो उसको देख कर ही कुछ करूंगा। जब पुलिस जन प्रतिनिधियों को बोलने नहीं देगी तो यह प्रजातंत्र के लिये कितना घातक होगा।

एक घटना और ६-३-६६ की है। बैजूराम जी एम० एल० ए० के क्षेत्र में हरिजन सम्मेलन हो रहा था। श्री बनारसीदास भी वहां मौजूद थे। माननीय बैजूराम का लड़का उस सम्मेलन का इन्तजामकार था, वह वहां साइकिलें आदि रखवाने का प्रबन्ध कर रहा था। सिधौली के थानेदार ने उसे उसी स्थान पर पकड़ा और उसे मारा और थाने ले जाकर बन्द कर दिया, वहां भी उसे मारा पीटा और रात भर उसे पेट के बल लिटाये रखा। तो एम० एल० ए० के लड़के के साथ यह व्यवहार किया गया। लेकिन बनारसीदासजी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। पब्लिक के चुने हुए नुमायन्दों के साथ जब पुलिस का ऐसा व्यवहार हो, चेयरमैन के हथकड़ी लगा कर उसे घुमाया जाय, एम० एल० ए० के लड़के को इस तरह पीटा जाय, एम० एल० ए० के खिलाफ १०७/११७ की कार्यवाही का मुकदमा चलाया जाय तथा ऐसी घटनायें आये दिन हो रही हैं, उनको देखते हुये बड़ी शर्म आती है।

श्रीमन्, गृह मंत्री जी की नाक के नीचे नरही में भइया जी वाला जो कांड हुआ वह सबको विदित है। किस तरह से उनको पीटा गया, और क्या कार्यवाही हुई, हम सब जानते हैं। आज सारे प्रदेश में नाजायज हथियार बनाने के कारखाने चल रहे हैं। उसमें पुलिस का पूर्णतया हाथ रहता है। पुलिस उन हथियारों को अपने यहां थानों में रखती है और उनको जिसको उन्हें फांसना होता है उसके यहां रख कर उसको पकड़ लेती है। लखनऊ में अभी दो कान्सटिबिलों ने एक औरत को पकड़ कर उसके जेवरात छीन लिये। वह उसी वक्त थाने पहुंची और उसने रिपोर्ट लिखाई। इस तरह की घटनायें आज आये दिन हो रही हैं और सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है। गृह मंत्री जी की नाक के नीचे, जहां कि आई० जी० आदि बड़े बड़े आफिसर्स हों वहां इस तरह की घटना हो तो यह बड़े ही शर्म की बात है।

मान्यवर, पुलिस के बारे में मैं आप को कहां तक कहूं? उसके बारे में जो कुछ भी कहा जाय वह थोड़ा है।

आखिर में एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में जब कि हमारा मुल्क गुलाम था बनारस विश्वविद्यालय के छात्रों ने पूर्वी जिलों में सन १९४२ के आन्दोलन में जान डाल दी थी लेकिन उस समय भी पुलिस विश्वविद्यालय के प्रांगण में नहीं गयी, लेकिन यह लज्जा की बात है कि आज जब कि अपनी सरकार है और आप समाजवादी राज्य कायम करने की बात कर रहे हैं, माननीय गृह मंत्री भी पूर्वी जिले जौनपुर के ही हैं जो वाराणसी से लगा हुआ है, उनकी पुलिस ने यूनीवर्सिटी के अन्दर घुस कर मनमाना अत्याचार किया है, छात्रों पर लाठी चार्ज किया है, गोलियां चलाई हैं, टीचरों तक को मारा पीटा है, लेकिन फिर भी वहां पर माननीय हरगोबिन्द सिंह तशरीफ नहीं ले गये ताकि मौके पर जाकर ठीक से देख सकें कि असलियत क्या है। इसके अलावा और भी कितने जिलों में यही हालत है, आज यू०पी० की जनता कराह उठी है, विरोधी दल कराह उठा है, आज विरोधियों को तरह तरह से परेशान किया जाता है और अपनी बात कहने से पुलिस रोक रही है। मेरा आपसे अनुरोध और निवेदन है तथा आपके द्वारा माननीया मुख्य मंत्री से निवेदन है कि अगर वे माननीय गृह मंत्री को इस पद से हटा दें तो

[श्री रघुवीरराम]

पूर्वी जिलों की नाक रह जाय, प्रदेश की नाक रह जाय क्योंकि ऐसा असभ्य, डकैत और चोर आदमी गृह मंत्री नहीं रहना चाहिये ।

श्री रघुबीरसिंह (जिला एटा)--

अध्यक्ष महोदय, सरकार के सम्पूर्ण विभागों में पुलिस का महत्व पूर्ण स्थान है । हमारी सरकार के जितने भी विभाग हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिये पुलिस का सहयोग आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है । चूंकि इस विभाग का बड़ा ही महत्वपूर्ण दायित्व है इसलिये इस विभाग को हमें बड़े से बड़े अधिकार देने ही पड़ेंगे । परन्तु साथ ही साथ जहां इस विभाग को बड़े से बड़े अधिकार देने पड़ेंगे वहां सरकार को भी दूसरे विभागों की अपेक्षा इस विभाग को सतर्कता और तत्परता के साथ देखना चाहिये ।

इस विभाग के मुख्य तीन कर्त्तव्य हैं अपराधों की संख्या में कमी करना, अपराधियों को सजा दिलाना और समाज में शांति और व्यवस्था स्थापित करना । परन्तु इतने बड़े कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिये हमें यह देखना है कि आया उस विभाग को हमने कितनी सुविधायें दी हैं तथा आज के इस युग में इन सुविधायों को और कुछ बढाना आवश्यक है या नहीं । इस बात को देखते हुए कि आजकल अपराधी भी वैज्ञानिक हो गये हैं, यातायात के साधन होने से आदमी एक रात में न मालूम कहां से कहां पहुंचता है । तो इस प्रकार की परिस्थिति के बदलने के साथ ही साथ हमें इन कर्त्तव्यों को सम्पन्न करने के लिये पुलिस विभाग को कुछ और सुविधायें देनी पड़ेंगी । जैसे प्रत्येक थाना स्तर पर एक टेलीफोन आवश्यक है क्योंकि बहुत से थाने ऐसे होते हैं जो हेडक्वार्टर से बहुत पीछे पड़ते हैं और जहां सड़कें नहीं हैं, कहीं-कहीं तो गांव तक यातायात के साधन ही कोई नहीं हैं, इसलिये हर थाने के स्तर पर सरकार को टेलीफोन तथा जीप की व्यवस्था करनी चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि आज जांच पड़ताल के जो तरीके हैं, उनमें भी परिवर्तन की आवश्यकता है क्योंकि इस बात को आप जानते हैं, कि जब हम गुलाम थे और हम इतना नहीं समझते थे जितना कि आज समझे हैं, आज जब कि हमारे दिमाग में तरह-तरह की योजनायें बनाने की शक्ति आ गयी है, फिर भी पुराने जमाने से चले आ रहे तरीके ही जांच पड़ताल के कायम हैं । इसलिये हमें जांच-पड़ताल के तरीके में भी कुछ परिवर्तन करना जरूरी है और अच्छा यही है कि जांच-पड़ताल के वैज्ञानिक तरीके अपनाये जायं ।

तीसरी बात यह है कि आजकल नाजायज हथियार हर जगह काफी हैं । मुझे अपने जिले एटा के बारे में मालूम है, दूसरे जिलों में भी ऐसा ही है । इसलिये उन नाजायज हथियारों का मुकाबला करने के लिये लाइसेंस अधिक संख्या में दिये जायं । परन्तु जैसा कि कल माननीय दुबे जी ने एटा के बारे में कहा था कि वहां महीनों और सालों से लाइसेंस के लिये दरख्वास्तें पड़ी हैं और एटा के अधिकारियों द्वारा उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और लाइसेंस नहीं दिया जाता । ऐसी बात नहीं है । मुझे भी जानकारी है । जैसे उस तरफ के बैठने वाले माननीय सदस्यों से लोग लाईसेंस प्राप्त करने के लिये सम्पर्क स्थापित करते हैं वैसे ही मुझसे भी करते हैं। ऐसे लोगों के कहने पर मैंने जिलाधीश एटा से इस संबंध में बात की मुझे तो मालूम हुआ कि एटा के जो चार डिवीजन हैं उनमें अधिक लाइसेंस दिये गये । तब कमिश्नर आगरा ने संकेत किया कि एटा में अन्य चार जिलों की अपेक्षा अधिक लाइसेंस दिये जा रहे हैं इसलिये लाइसेंस देने में कुछ कमी बरती जा रही है । एटा जैसे अपराधी जिलें में लाइसेंस कितने ही अधिक संख्या में दे दिये जायं वे थोड़े ही हैं ।

इसके साथ ही साथ मुझे आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से यह भी निवेदन करना है कि यह पुलिस मैनुअल बहुत पुराना हो चुका है । यह उस समय का बना हुआ है जब हम गुलाम थे । इसलिये इस मैनुअल में परिवर्तन की आवश्यकता है । मैं नौ साल से देख रहा हूं कि हर एक विभाग में संशोधन आये हैं परन्तु पुलिस विभाग में कोई संशोधन नहीं आया है । चारों तरफ से यह बात कही जाती है कि पुलिस में घूसखोरी है । मैं मानता हूं कि घूसखोरी है ।

लेकिन साथ ही साथ में सदन के माननीय सदस्यों से आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है कि गृह मंत्री या इधर के बैठने वाले सदस्य यह चाहते हों कि इस घूसखोरी को प्रोत्साहन मिले। इस घूसखोरी को रोकने के लिये जितना कर्त्तव्य हमारा है उतना ही उधर के बैठने वालो का भी है। अगर इधर के बैठने वालों के भाई भतीजे पुलिस विभाग में हैं तो उधर के बैठने वालों के भी हैं। इस घूसखोरी का निराकरण केवल कानून बनाने से नहीं हो सकता यह तो समाज की ऐसी चीज है कि हमें इसमें आध्यात्मिक चेतना लानी पड़ेगी।

इस संबंध में मैं कुछ सुझाव आपके माध्यम से देना चाहता हूं। पहिली बात यह कि जिला स्तर पर जो भ्रष्टाचार निरोधक समितियां बनी हैं, ये बिल्कुल निष्क्रिय हैं क्योंकि इनके पास कोई अधिकार नहीं हैं। मैं निवेदन करूंगा कि अगर भ्रष्टाचार को रोकना है तो जिले के स्तर पर जो भ्रष्टाचार निरोधक समितियां हैं उनको अधिकार दे दिये जायं ताकि उनको प्रोत्साहन मिले, अन्यथा ये नाम की कमेटियां बनी होंगी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रत्येक थाने के अन्य सज्जन स्तर पर एक समिति का गठन किया जाय। उसके सदस्य, ब्लाक के समस्त सदस्य और थाने के सदस्य हों और उसकी अध्यक्षता कोई पुलिस उच्चाधिकारी जैसे डी०वाई०एस०पी० या एस०पी० करे। परामर्श के लिये एक साल में चार कमेटी बुलाई जायं और आवश्यकतानुसार महीने के अन्दर जैसे भी थाने का वातावरण रहा हो। अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार हो कि मीटिंग की जानकारी के बाद भी यदि कोई थानेदार या सिपाही निष्क्रिय रहा हो, भ्रष्टाचार किया हो तो उसके संबंध में चेतावनी दे सकते हैं या स्थानान्तरण कर सकते हैं और इससे भी अधिक दोष होने पर उनको हटाया जा सकता है। मीटिंग के माध्यम से यह भी पता चल सकता है कि इस क्षेत्र में कौन-कौन से बदमाश हैं या दलाल काम कर रहे हैं। इन सब का निराकरण इन समितियों के माध्यम से हो सकता है अगर वे ठीक तरह से काम करें। दूसरे जिलों में चाहे इन समितियों के गठन में सरकार देर करे परन्तु एटा जिले का नाम चूंकि जस समय सदन में गूंज पर है इसलिये मैं चाहता हूं कि एक्सपेरीमेंट के लिये कम से कम वहां पर इस समिति की स्थापना सरकार अवश्य कर दे। और अगर मालूम पड़े कि ये ठीक काम कर रही है तो इन समितियों की स्थापना दूसरे जिलों में भी करना चाहिये।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि जितने अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनके कामों की जिम्मेदारी बड़े अधिकारियों पर भी अवश्य होनी चाहिये क्योंकि जो काम भी कान्स्टेबिल करता है थानेदार अवश्य ही उसके बारे में कुछ न कुछ जानता है, थानेदार जो करता है उसके बारे में डी० एस० पी० जानता है। इसलिये कान्स्टेबिल के कामों की जिम्मेदारी थोड़ी बहुत थानेदार पर और थानेदारों के कामों की जिमेदारी डी०एस०पी० और डी०एस०पी० की जिम्मेदारी एस० पी० पर होनी चाहिये इसी प्रकार आगे डी० आई० जी० की जिम्मेदारी आई० जी० पर डाली जानी चाहिये। जब तक सरकार तक यह लिंक नहीं बनेगा तब तक भ्रष्टाचार केवल कहने मात्र से समाप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार सक्रियता और सतर्कता से इस विभाग को देखने की आवश्यकता है।

श्रीमन्, एक बात यह कही गयी कि एटा जिले के अधिकारी निष्क्रिय हो गये हैं और ऐटा में गेंग बहुत सक्रिय हैं। श्रीमन्, ऐटा एक ऐसा जिला है जहां सदैव से गेंग सक्रिय रहे हैं। कहा गया कि एक साथ १६ आदमियों की हत्या कर दी गयी। एक बार इसी तरह से मिलिक में ५० आदमियों की एक साथ हत्या कर दी गयी थी। उस समय भी वहां कोई न कोई अधिकारी अवश्य ही रहा होगा। यह कह कर मैं किसी गिरोह की हिमायत नहीं कर रहा हूं लेकिन यह कहना चाहता हूं कि वहां का वातावरण ही कुछ ऐसा है कि वहां आदमी बदला लेने की भावना से काम करता है। अगर कहीं कत्ल हो जाय तो वहां आदमी अदालत से उसका फैसला कराने की बात नहीं सोचता वह सोचता है कि मैं अपने बाहुबल से इसका बदला लूंगा। इसी तरह से माननीय दुबे जी ने सहावल स्टेशन की घटना का जिक्र किया। उनको यह गलतफहमी करायी

[श्री रघुवीरसिंह]

गयी कि उन्होंने थानेदार अपराधी से यह कहा मत मारो मेरी सर्विस खतरे में पड़ जायगी। परन्तु अपराधी ने थानेदार की बात न मानते हुए कत्ल कर दिया। वस्तुस्थिति यह थी कि वह आदमी हथियार छिपा कर लाया और एक सेकिंड में काम तमाम करके चल दिया। यात्री लोग भाग निकले और वह उन्हीं में मिल गया और पहचाना नहीं जा सका और निकल गया। यह बात सत्य है कि उस लेन में तीन थानेदार थे। एटा में जैसा वातावरण है सरकार को वहां के थानों में अत्यन्त अनुभवशील व्यक्तियों को रखना चाहिये। इसलिये यह कहना गलत है कि आज ही एटा में ऐसा वातावरण है। वह तो हमेशा से है। हमें तो यह देखना चाहिये कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से ये घटनायें कम हुई हैं या ज्यादा।

किसी एक जाति विशेष की ओर भी संकेत किया गया कि महाबीर रोडा को उसी जाति के लोग संरक्षण देते हैं। एटा में अब तक श्रीमन्, जितने गिरोह हुए हैं उनमें कोई ठाकुरों का, कोई ब्राह्मणों का, कोई काछी, कोई लोध और कोई राजपूतों का रहा है। जितनी भी कौमें एटा में हैं उन सब के ही गिरोह बनते बिगड़ते चले आये हैं। कभी कोई मारा गया, कभी कोई तहसनहस हुआ तो कभी कोई गिरफ्तार हो गया। इसलिये किसी जाति विशेष के लिये कहने से कोई लाभ नहीं होगा। उससे वातावरण और भी खराब होगा और लोग सोचेंगे कि हम पर कीचड़ उछालने की बात की जा रही है।

इसके साथ ही साथ जब तक पुलिस विभाग पर हमारी आस्था एवं निष्ठा न होगी जब तक पुलिस विभाग के अच्छे कामों की तारीफ न की जायगी, तब तक हम पुलिस विभाग को सुधार नहीं सकते, तब तक इस विभाग को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। इन शब्दों के साथ में इस पुलिस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी और आज भी माननीय सदस्यों के भाषणों को सुना। माननीय दुबे जी ने कोई बात ऐसी छोड़ी नहीं जिसमें उन्होंने सारे पुलिस विभाग के चित्र को खींच न दिया हो। अध्यक्ष महोदय, पुलिस के कार्यों की क्या व्याख्या की जाय? जब से यह सरकार बनी है सारे महकमों की ऐसी ही हालत है, लेकिन पुलिस तो रोज रोज ऐसे काम कर रही है कि उसकी व्याख्या बड़ी मुश्किल है। हालत यह हो रही है कि सारे प्रान्त में हम कितनी ही संजीदगी से काम लें सारी गंभीरता और शिष्टता बरतें और कोशिश करें कि प्रजातन्त्र के नियम सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष दोनों की ओर से ठीक लागू हों, लेकिन जब मुतवातिर गलत काम देखते हैं तो गुस्सा आता है, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं। सारे पुलिस विभाग में ऐसा मालूम पड़ता है कि विधान सभा के सदस्य, लोक सभा के सदस्य और राजनीतिक कार्यकर्ता चाहें जिस दल के हों सब में एक अविश्वास सा पुलिस की तरफ से पैदा है। हम पुलिस की कोई भी कितनी ही शिकायत करें, दर्जनों शिकायतें करते हैं पुलिस के बड़े अफसरों से, मंत्री जी से तो हम कभी नहीं मिलते, यह भी नहीं मालूम है हमें तो कि उनका दफ्तर कहां है और हम समझते हैं कि उनसे तो कोई बात कहना ही बेकार है इसलिये हम आई० जी० से ही बात करते हैं, उन्हीं को कागज देते हैं और उसको वह फौरन नीचे भेज देते हैं। इनका जांच का तरीका इतना गलत है कि वह शिकायत फिर उन्हीं पुलिस कप्तान और डी० वाई एस० पी० के पास जाती है। लेकिन इन डी० वाई० एस० पी० और थानेदार में फर्क ही क्या है, वह फिर उन्हीं के पास पहुंच जाती है जिनकी शिकायत है। नतीजा यह है कि जितनी भी शिकायतें की जाती हैं तो अन्त में उनका ही एक उत्तर मिल जाता है कि फलां फलां शिकायत की शासन ने जांच कराई लेकिन मामला निराधार पाया गया। तब मन में गुस्सा आता है कि हम कितनी ही सच्ची बात कहें लेकिन हमारी बात नहीं मानी जाती। इसलिये सब से पहले यह जांच का तरीका बदलना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहिये, जिसके खिलाफ शिकायत होती है जांच के लिये मामला उसी के पास भेज दिया जाता है। नतीजा यह है कि कोई भला आदमी शिकायत ही नहीं करता और जनता में यह आस्था बढ़ती जाती है कि शिकायत करना ही बेकार है।

राजनैतिक कत्ल दिन रात होते हैं। अभी ५ मार्च, १९६६ को दिन के ११ बजे एस० एस० पी० का एक कार्यकर्त्ता श्री साबर अली मारा गया बाराबंकी में। एक दल के नेता को इस तरह से दिन दहाड़े मारा जाता है, उसमें १९ आदमी मुलजिम हैं, वह लोग वहां के जिला परिषद के अध्यक्ष के यहां परिश्रय पाते हैं, मुझे अभी माननीय शुक्ला ने, जो सदन के सदस्य हैं बताया। और मैं आप से क्या कहूं, हमारा मथुरा जिला तो कोई क्रिमिनल जिला नहीं है, लेकिन वहां भी पुलिस कप्तान को दिन दहाड़े गोली मारी गई और बड़ी मुश्किल से वह मुजरिम भी पकड़ पकड़ में आये। अभी होली में मैं मथुरा गया था, वहां एक पहलवान है वह अब पहलवानी छोड़ चुका है, लेकिन वह एक गरीब आदमी की लड़की को जबरदस्ती पकड़ ले गया और उसको तीन दिन तक बन्द रखा, उसके साथ सौ गुण्डे थे। यह सब शिकायत पुलिस कप्तान और थानेदार को की गई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तीन दिन के बाद ४००-५०० आदमियों की भीड़ हुई तो किसी तरह लड़की को छुड़ाया गया, उसकी डाक्टरी परीक्षा हुई है, उसको अगर हमारे गृह मंत्री जी देख लें तो उनको कितना अधिक गुस्सा आयेगा यह मैं नहीं कह रहा हूं यह बात माननीय रघुवीर सहाय जी ने कही कि सी० आई० डी० को सुपुर्द कर दिया जाय, लेकिन यह ही क्या सही है कि वह भी ठीक काम करेगी ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लोग शासन चलाने वाले होते हैं, उनकी एक आंख में गुस्सा होता है और दूसरी आंख में दया रहती है। गुस्सा और जुल्म करने वालों के प्रति और दया सताये हुए लोगों को संरक्षण देने के लिये होता है। लेकिन मुझे तकलीफ है कि आपके दिमाग में या तो गुस्सा एकदम आ जाता है या एकदम अपने लोगों को संरक्षण देने के लिये आपके दिमाग में दया आ जाती है। दोनों में आपकी अधिकता है। आप दोनों में बैलेन्स नहीं कर पाते हैं। विरोधी पक्ष का काम यह है कि वह सरकार की सही आलोचना करे और सरकार का यह फर्ज है कि वह उसका समुचित उत्तर दे लेकिन आपने, जिन्होंने इस प्रदेश की ८ करोड़ जनता का भार अपने कन्धों पर उठा रखा है, बड़े लचीले ढंग से खेद प्रकट किया। आपका यह कहना कि "हमारा यह अहसान है कि आप लोगों के घर अब पुलिस नहीं जाती, कितने लज्जा की बात है? कोई काश्तकार, जो बिना पढ़े-लिखे हो, निरक्षर हो, गृह मंत्री को अगर इस प्रकार की बात करते देखता है तो इस आदरणीय सदन का और माननीय सदस्यों का सिर झुक जाता है। यह कहां की बात है कि विरोधी पक्ष प्रदर्शन भी न कर सके और अपनी बात भी न कह सके ? यह तो श्रीमन्, उन गांवों की दो स्त्रियों के समान हो जाता है कि एक स्त्री एक को बेईमान कहे और दूसरी स्त्री दूसरे को महाबेईमान कहे। हो सकता है कि आप कोई गलत काम न भी करें, लेकिन आपके ऊपर एक भावना यह हो रही है कि ये आदमी गलत बात कहने वाले हैं। इसलिये आप अपनी आदत को सुधारें और मुंह से ठीक बोलने की बात करें। चूंकि आप ऐसा नहीं करते हैं इसलिये माननीय सदस्य आपसे नाराज हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र में यह नहीं है कि केवल एक पार्टी का ही शासन हो। कल दूसरी पार्टी भी पावर में आ सकती हैं। दुनिया बदल रही है, कहीं पर अहिंसात्मक क्रान्तियां हो रही हैं, कहीं पर सशस्त्र क्रान्तियां हो रही हैं। आपके ही देश में आज पंजाब बंगाल में, राजस्थान में क्या हालत है और आसाम में क्या हालत है ? तरह तरह के उपद्रव आज देश में हो रहे हैं। यह जरूरी नहीं है कि जो पार्टी १८-२० वर्ष से शासन चला रही है वही शासन में रहे। हो सकता है कि दूसरी पार्टी आपकी तरफ बैठ जाय। उस दशा में जब हमारे ऊपर भार आयेगा तो जो इधर आयेंगे उन्हें चाहिये कि विरोधी पक्ष के नाते उन्हें भी ईमानदारी से इस तरह की आलोचना करनी चाहिए कि जिसमें कोई जान हो पर सरकारी पक्ष ने तो यह बात बना ली है कि फलां फलां शिकायत की जांच करवायी गयी और निराधार पायी गयी।

[श्री राधेश्याम शर्मा]

अभी कुछ दिन हुए कोसी कलां में एक जलसा हुआ। उसमें करीब करीब ५-६००० आदमी थे। राजस्थान के सोशलिस्ट पार्टी के नेता सत्यपाल सिंह जी भी थे। वहां पर पुलिस की कोई बात भी नहीं हो रही थी और न ही कोई शिकायत हो रही थी। माननीय लखी सिंह जी का वह क्षेत्र है। वहां के दरोगा के दिमाग म यह बात आयी कि वहां पर सोशलिस्ट पार्टी का असर बहुत बढ़ रहा है तो उन्होंने सोचा कि कैसे इस जलसे को रोकें। तो उन्होंने ४ आदमियों को थाने पर बुलाया। उनको शराब पिलायी और उसके बाद उन्हें भीड़ में भेजा। बिना किसी कारण जब कि वहां कोई थानेदार का जिक्र नहीं था, बल्कि और बातें हो रही थीं, ताशकन्द समझौते से पुरानी सभा की बात है, तो सभा में आकर कुछ लोगों ने हल्ला करना शुरू कर दिया कि सोशलिस्ट पार्टी मुर्दाबाद। भीड़ ने उनके ऊपर हमला किया, अगर मैं और लखीसिंह जी वहां न होते तो शायद उनको भीड़ मार ही देती और हमारा नाम बदनाम होता। इस बारे में एस० पी० को लिख कर दिया गया, आई० जी० को लिखकर दिया गया, आई० जी० के पास जैसे ही कोई बात जाती है तो उस पर बड़ी जल्दी ही आर्डर लिखकर वह नीचे भेज देते हैं लेकिन नीचे जाकर उसमें उतनी ही देर हो जाती है, सी० आई० डी० से जांच करायी गई, और मुझे जहां तक पता लगा उसने यह भी कहा कि सोशलिस्ट पार्टी के जलसे में थानेदार ने दरअस्ल उपद्रव कराया। अब उस थानेदार को कहीं हटाना चाहिये था, उसे कोई सजा मिलनी चाहिये थी। लेकिन उसको तरक्की दे कर के डी० एस० पी० बनाया जा रहा है। यह हालत है। तो जो गलती करता है उसको आप तरक्की दें और जो गलती ठीक करे उसको आप सजा दें।

माननीय रघुवीर सहाय जी ने ठीक कहा कि पुलिस में सभी के रिश्तेदार लोग हैं, हमारे भी रिश्तेदार हैं, मैं कहता हूं कि हाल यह है कि कोई ईमानदार आदमी पुलिस में रह नहीं सकता। जो पटवारी की दुर्दशा होती है कलेक्टर का कैम्प पटवारी के सिर पर लगेगा, उसी तरह आई० जी० से लेकर नीचे के अधिकारी तक का कैम्प थानेदार के सर पर लगता है और थानेदार कोशिश करता है कि वह सारा जनता के सर पर लगे। पुलिस के सिपाहियों की क्या दुर्दशा है वह क्या कहूं। आज सुबह माननीय शिवप्रसाद जी से बात हो गई पुलिस के संबंध में तो कहते हैं, मुझे तो बड़ा खेद हुआ और मैं अगर उप मंत्री पुलिस का होता और माननीय शिव प्रसाद गुप्त जैसी हालत मेरी होती तो मैं एक दम इस्तीफा लगा देता। माननीय शिव प्रसाद गुप्त जी कहते हैं कि उसमें तो हमारा भी बस नहीं चलता, एस० पी० वगैरह, नीचे के अफसरों के मामले में, सब इंसपैक्टरों के मामले में हमारा भी बस नहीं चलता, तो दुबे जी की बात मुझे सही लगती है....

गृह उप मंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

माननीय सदस्य ने एक बात जरा-सी इसमें छोड़ दी। इन्होंने ट्रांसफर के सिलसिले में कहा था, हमने कहा कि नीचे के लोगों का ट्रांसफर सरकार के अधिकार में नहीं होता, यह सरकारी अफसर करते हैं और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष—

साधारण शिष्टता यह है कि जो निजी बात हो उसका जिक्र सदन में न हो।

श्री राधेश्याम शर्मा—

ठीक है, श्रीमन, जो मेरे कानों में बात आयी वह मैंने कह दी। जब यह हालत हो रही हो तो प्रजातन्त्र कैसे चलेगा? इनकी पुलिस तीन, चार कामों में बड़ी मुस्तैदी से काम में लायी जाती है। अभी १९६७ का आम चुनाव होगा, सरकारी पार्टी के लोग तो ज्यादातर इसलिये नहीं कुछ कह सकेंगे कि दरोगाओं के जिम्मे कुछ वोट भी होते हैं। जितने भी अंग्रेजी राज्य के सामन्तवादी और साम्राज्यवादी प्रकृति के लोग हैं जिनकी तादाद सारे देश में ३३ सैकड़ा है, ६६ सैकड़ा जनता पर डिवाइड ऐन्ड रूल की नीति से शासन करते हैं, वे सब आकर थानों में बैठते हैं, चाहे उनको पुलिस का दलाल कहिये, या दरोगा का हमदर्द कहिये, चाहे जो भी सरकार

बने वे उसी के साथ रहेंगे, चाहे मिट्टी की ही सरकार क्यों न हो तो भी वह उसके साथ रहेंगे, ऐसे लोग हर थाने में आकर बैठते हैं और बातचीत करते हैं कि अब की बार इस क्षेत्र में कौन एम० एल० ए० हो सकता है। तो कांग्रेस के लोग जिनका जनता से संबंध नहीं है, बल्कि ३३ सैकड़ा लोगों से संबंध है चूंकि लोगों से सम्बन्ध है वह सोचते हैं कि हमारा वोट खराब हो जायगा जिस दरोगा की पदोन्नति हुई है उसी क्षेत्र से मैं एम० एल० ए० हूं। सोचा गया कि ब्राह्मण का लड़का है, छोटी उम्र का है, एम० एल० ए० हो गया है इसे पलटा जाय। दरोगा ने दलालों को बुलाकर पूछा तो मालूम हुआ कि बड़ा कुकर्म होगा। मेरे कान में आया कि दरोगा जी ने कप्तान से कहा कि जनसंघटन वहां का मजबूत है, मेरा ट्रान्सफर कर दो। जहां जनसंघटन कमजोर होता है वहां दरोगाओं का जोरशोर चलता है। दरोगा वहां का समझता था कि जनसंघटन वहां का अच्छा है। पुलिस को रखना है तो ठीक करके रखो। आप कहते हैं कि सारा महकमा खराब है तो इस बुरे महकमों तो तोड़ ही दो। उसके रखने से ही कौन सी अराजकता रुक जाती है।

एक बात पुलिस की कठिनाई के संबंध में मुझे यह कहनी है कि बरसात में उसके पास टार्च, बूट बरसाती नहीं होते। सिपाहियों की तनख्वाह भी कम है। मेरा कहना है कि महकमा चलाना है और ठीक ठीक प्रजातंत्र चलाना है तो फिर सरकारी पार्टी और विरोधी दल के आदमियों में आपको कोई फर्क नहीं करना चाहिये। कल माननीय न्याय मंत्री ने बड़ी गलत बात कही इस सदन में कि सरकारी पार्टी के आदमी की बात वह इसलिये सही मानते हैं कि उस पर शासन को विश्वास है। प्रजातंत्र को चलाने वाला आदमी यह बात कहता है तो बड़ी गलत बात है। सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और नेता सदन सारे सदन के नेता होते हैं और सरकारी तथा विरोधी दल के सदस्यों के सभी के नेता होकर वह सरकार का संचालन करते हैं और तभी वह सदन के नेता हैं। अगर वह यह कहते हैं कि सरकारी पार्टी की बात मानेंगे तो फिर विरोधी पक्ष कैसे जिन्दा रहेगा और जब विरोधी पक्ष जिन्दा नहीं रहेगा तो प्रजातंत्र कैसे चलेगा यह बात मेरी समझ में नहीं आती ?

रामसुन्दर पान्डेय, दुबे जी अथवा अन्य माननीय सदस्यों ने यह बात कही कि इस महकमे में कुनबा परस्ती, बेईमानी, भ्रष्टाचार और गलत काम करने की प्रवृत्ति है तो इससे आपको चिढ़ना नहीं चाहिये। इससे मामला खराब होता है। आपका उत्तर होना चाहिये कि माननीय सदस्य लिख कर दें तो जांच करा ली जायगी। स्पेसिफिक सबूत मांगिये और मिलने पर उन चीजों को दूर कीजिये। गलत कामों को खत्म करने से आप और शासन लोकप्रिय होंगे न कि चिढ़ने से और गलत काम करने से। जब तक यह सरकार गलत काम नहीं रोकेगी तब तक सरकार जनप्रिय नहीं हो सकती।

नवल किशोर जी एक बात बार बार कहते हैं कि विरोधी पार्टीज में दम नहीं है। यह बात ठीक है। कहता हूं कि वह संगठित हो कर एक बार इस सरकार को उलट दें। फिर जब नई सरकार बनेगी तो काम सही हो जायगा। प्रजातंत्र में सरकार बदलने से तीन फायदे होते हैं जो सरकार उलटती है वह सोचती है कि उसने गलत काम किया इसलिये जनता ने उसे पलट दिया। विरोधी पक्ष यानी आने वाली सरकार यह समझती है कि अगर हमने कोई गलत काम किया तो जनता हमको पलट देगी और जनता यह समझती है कि यह किसी का मनमाना काम नहीं है, प्रजातन्त्र में सरकारें बदलती रहती हैं, तो उनका डर निकल जाता है। इसलिये मैं विरोधी पक्ष से कहता हूं कि इस सरकार को खत्म करके नयी सरकार बनाओं और हमारी सरकार अगर ठीक चलेगी तो जनता साथ देगी और अगर ठीक काम नहीं करेगी तो जनता उसे भी पलट देगी। इस तरह दो, चार बार में अच्छी सरकार जरूर बन जायेगी।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

अध्यक्ष महोदय, आज ४२ वर्ष के बाद मैं पुलिस विभाग पर बोलने जा रहा हूं। इस विधान सभा का जो पहला रूप था, यानी कौंसिल उसमें सन १९२४ में मैंने पहले पहल पुलिस पर भाषण

[श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर]

दिया था। अपने उस भाषण की प्रोसीडिंग्स में देखने लगा, तो मुझे तीन बातें याद आयीं। उस वक्त मैंने यह कहा था कि विलायत में पुलिस का क्या स्थान है, वहां पुलिस से जनता कितनी मदद लेती है।

(इस समय १ बजकर १ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुए।)

दूसरी बात यह कि उस जमाने में, सन् १९२४ में नहीं बल्कि सन् १९१५ में जब मैंने इंगलैन्ड में एक अंग्रेज से पूछा कि आप हिन्दुस्तान में किस विभाग में काम करते थे तो उसने कहा कि "आई बिलांग टु ए मच बदनाम डिपार्टमेन्ट"। अब हमारे प्रदेश में केवल पुलिस ही बदनाम डिपार्टमेन्ट नहीं है बल्कि एक और बदनाम डिपार्टमेन्ट हो गया है जिसे कहते हैं पी० डब्लू० डी० जिसको कुछ लोग पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेन्ट कहते हैं और कुछ पब्लिक वेस्ट विदाएट डेन्जर कहते हैं। तीसरी बात मैंने सन् १९२४ में एक बड़े वीर पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट की बड़ी तारीफ की थी कि उसने किस योग्यता से, किन मुसीबतों से सुल्ताना डाकू को पकड़ा था और जब मैंने उस बजट की बहस में सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब की तारीफ की—उस वक्त मैं स्वराज्य पार्टी का सदस्य था—तो स्वराज पार्टी के सब मेम्बर मेरे ऊपर बिगड़ गये और कहा कि पुलिस अफसर की तारीफ क्यों की। आज भी मैं पुलिस की तारीफ करने खड़ा हुआ हूं। मुझे याद है कि उस वक्त पुलिस का बजट डेढ़ करोड़ रुपये का था और आज वह १८ करोड़ का है। उस जमाने में सन् २२ में ९७४ खून हुए थे और आज १९६५ में २,००० से ऊपर मर्डर हुए हैं। तो मर्डर भी बढ़े और पुलिस का खर्च भी बढ़ा।

देखना यह है कि यह पुलिस डिपार्टमेंट वह डिपार्टमेंट है कि आज बंगाल में जब वहां के सदस्यों ने असेम्बली में उधम किया तो पुलिस की मदद ली गयी जो जनता वहां की स्ट्राइक कर रही है उसमें भी पुलिस की मदद लग गयी और आर्मी की भी मदद लेनी पड़ी है। अगर हमें अपने मुल्क में शांति कायम रखना है तो हमको पुलिस की मदद करनी होगी। उसकी आलोचना कीजिये लेकिन अगर हम इस तरह से पुलिस पर हमेशा आक्षेप करते रहेंगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। हम पुलिस फायरिंग की शिकायत करते हैं तो आप देखते हैं कि पुलिस डर गयी है कि अगर हम फायरिंग करते हैं तो हमारी आलोचना होती है। इनक्वायरी मांगी जाती है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज हमारी पुलिस कामयाब नहीं हो पाती है। उसका मुख्य कारण यह है कि हमारी पुलिस को आज पब्लिक का सहयोग नहीं मिलता है। खून के मामलों में, चोरी के मामलों में और डकैती वगैरह के मामलों में पुलिस को गवाही नहीं मिलती हैं। क्या आज आप कह सकते हैं कि पुलिस की तरफ से किसी मामले में आप गवाही देने के लिये तैयार हैं। हम लोग डर जाते हैं कि कहीं पुलिस की तरफ से गवाही देकर हम बदनाम न हो जायं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज पुलिस के साथ कोआपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम पुलिस के साथ सहयोग नहीं करते हैं तो हमारे यहां अमन चैन कायम नहीं रह सकती है।

मैं मानता हूं कि आजकल पुलिस के ऊपर बहुत से आक्षेप होते हैं। उनमें कमियां भी हो सकती हैं। कुछ मामलों में वे दोषी भी पाये जाते हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि अगर हम किसी दल को, किसी समाज को या किसी आदमी को बराबर यह कहते रहें कि वह ठीक नहीं है वह गुंडा है, बदमाश है तो उसका असर उसके ऊपर उल्टा होता है। वह सोचता है कि हम बदमाश हैं, गुंडे और बुरे माने जाते हैं तो बुराई उनके अन्दर घर कर जाती है और यह बात समाज के लिये अच्छी नहीं है। इसलिये हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि हमें बार बार उसके ऊपर आक्षेप नहीं करने चाहिये। लेकिन आज हमारा विरोधी दल समझता है कि उसके लिये सारी बातें जायज हैं और वह जरा-जरा सी बात पर वाक आउट कर देता है और नारे लगाने लगता है। १९६२ में जब प्रेसीडेंट से मिला तो उन्होंने कहा था कि यू० पी० की असेम्बली बहुत नीचे हद तक पहुंच गई है। पर बंगाल इस मामले में बहुत आगे

बढ़ गया है वहां की असेम्बली में बड़ा गड़बड़ हुआ । मेरे कहने का मतलब यह है कि जब कहीं ऐसी घटना होती है तो उसका असर दूसरों पर भी पड़ता है । यदि किसी को बार-बार कहा जायगा कि तुम चोर हो, डकैत हो, झूठे हो, बदनाम हो तो अच्छा नहीं होगा । इसलिये इस तरह का आक्षेप नहीं करना चाहिये ।

आज कल हमारे पुलिस विभाग का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है । हमारे खून के केसेज की तादाद बढ़ती चली जा रही है । अब देखना यह है कि डिटैक्शन कितना हो रहा है ? १९६२–६३ में २१९२ मर्डर्स हुये जो उसके बाद २४४१ हो गये । मेरे कहने का मतलब यह है कि इसमें बढ़ोत्तरी हो रही है । इस पर हम लोगों को विचार करना है । इसके साथ ही साथ हमें यह भी देखना होगा कि हमारे समाज में अब कितने ही नये अपराध होने शुरू हो गये हैं जिनको हम पहले जानते तक नहीं थे । अब मोटरों की चोरी होने लगी है, साइकिलों की चोरी होने लगी है, रिक्शा की चोरी होने लगी है यानी कहने का मतलब यह है कि नये नये अपराध होने लगे हैं । कहने का मतलब यह है कि आजकल पुलिस की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गयी है । हमने १९२४ में कहीं नहीं सुना था कि स्टूडेंट्स स्ट्राइक कर रहे हैं । लेकिन आजकल कोई यूनिवरसिटी ऐसी नहीं है जहां स्ट्राइक न होता हो । इसलिये अगर हम पुलिस की बार बार निन्दा करेंगे तो हमारे समाज के हित में अच्छा नहीं होगा ।

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें यह देखना है कि समाज में शांति किस तरह से रह सकती है । किस तरह से हमारे यहां अमन रहे, चैन रहे, चोरी न हों, डकैती न हों । लेकिन आज हमें यह मानना पड़ेगा कि हमारे यहां डकैतियां बढ़ गई हैं, चोरियां बढ़ गई है, मर्डर्स बढ़ गये हैं । इसलिये पुलिस को ज्यादा मुस्तैदी के साथ, ज्यादा सावधानी के साथ काम करना चाहिये । मुझे इस बात का भी हर्ष है कि हमारे कुछ बहादुर पुलिस सिपाहियों और पुलिस अफसरों ने देश पर समय समय पर हुए हमले के समय अपनी वीरता का जोरदार प्रदर्शन किया है और उसमें उन्होंने अपनी पूरी ताकत से देश की रक्षा का काम किया है और उनमें से बहुत से इस कार्य में शहीद भी हुये हैं । यह भी हमारे लिये खुशी की बात है कि ऐसे बहादुर सिपाहियों का सम्मान करने के लिये सरकार ने उन्हें उच्च पदवियां और पुरस्कार प्रदान किये हैं और इसके अतिरिक्त उनके परिवार की भी सरकार ने उचित सहायता की है। हमको यह भी याद रखना चाहिये कि पुलिस के सिपाही केवल गांवों में, शहरों में ही हमारे बीच में काम नहीं करते हैं । वह दुर्गम स्थानों में, ऊंचे पहाड़ों पर जहां बर्फ पड़ती है अपने डयूटी की पाबन्दी करते हैं । जहां गोलियां बरसती हैं वहां पर भी वह जाते हैं । एक डिप्टी एस० पी० नेगी की जोशीमठ के पास चट्टान गिरने के कारण उसकी मौत हो गई । अब उसके बीवी बच्चे मुसीबत में हैं सरकार को इनको देखना चाहिये कि उनकी परवरिश और शिक्षा का उचित प्रबंध हो जिसने देश की रक्षा और हिफाजत में अपना जीवन न्यौछावर किया है ।

*श्री कुमार करुणा कृष्ण नायर (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । कल जो दृश्य यहां पर हुआ है उसका मूल कारण यह था कि विरोधी दलों का उत्तर प्रदेश की पुलिस में आज विश्वास नहीं रहा है । और उसी अविश्वास के प्रतीक यहां के गृह मंत्री रहे हैं और उसी कारण यह रुख उनके प्रति लोगों का ज्यादा जाहिर हुआ । उत्तर प्रदेश की पुलिस काफी दिनों से कुख्यात हो चुकी है। पुलिस फोर्स के अस्तित्व का एक ही कारण है कि कानून और सुव्यवस्था की रक्षा हो, कमजोर आदमी की रक्षा हो और ईविल व रांग डुवर्स का दमन हो । इस प्रदेश के उच्च न्यायालय के एक जज ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के समान आर्गनाईज्ड क्रिमिनल कहीं नहीं दिखाई पड़ते हैं । यह रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उस तजवीज से निकाला गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कुमार करुणा कृष्ण नायर]

कहा कि ऐसा रिमार्क जनरल है और स्वीपिंग है। लेकिन मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता को इसमें लेशमात्र भी संदेह नहीं है कि जो कुछ उन्होंने कहा है वह सत्य तो है ही, भले ही स्वीपिंग रहे हों या जनरल रहे हों। हर एक डिपार्टमेंट चाहे पुलिस हो, उसके लिये प्रिस्टीज की जरूरत रहती है। जैसा कल दुबे जी ने कहा था—प्रिस्टीज दो तरह की होती है एक माइट प्रिस्टीज होती है और दूसरी राइट प्रिस्टीज होती है। माइट प्रिस्टीज खतरनाक होती है, क्योंकि वह खराबी और अच्छाई दोनों ही कर सकती है, किन्तु राईट प्रिस्टीज केवल अच्छाई ही करती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तो राईट प्रिस्टीज का रास्ता ही छोड़ दिया है और केवल मात्र माइट का ही रास्ता पकड़ लिया है। मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता हूं और उदाहरण भी ज्यादा नहीं देना चाहता हूं। इसका कारण जो मेरे सामने आया है वह मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। आखिर इसका कारण क्या है, जो छोटे पुलिस के सिपाही से लेकर आई०जी०, डी०आई०जी० पुलिस मंत्री तक जनता का अविश्वास हो रहा है, पावर का दुरुपयोग यह करते हैं या नहीं ? इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुरुपयोग अवश्य होता है। किसी अधिकारी को या विभाग को कानून के अन्तर्गत वह अधिकार दिये जायं, जिनका वह नियंत्रण कर सके, जिनको वह संभाल सके। लेकिन जहां पर ऐसा नहीं होगा वहां पर समाज में अवश्य अव्यवस्था और अराजकता पैदा होगी। उसके ऊपर जो काम है उसको वह कैसे करता है, इसके दो उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ? मैं सन् १९५० के बाद फैजाबाद जिले में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रहा हूं। उस वक्त टांडा से एक सज्जन आई० ए० एस० के इम्तहान में उत्तीर्ण हुये, आज वे उत्तर प्रदेश सरकार में एक सचिव, हैं उनका नाम मुख्तार अहमद है। उनके कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिये कार्यवाही हुई और एक सिपाही ने रिपोर्ट दी कि हां इनका चालचलन ठीक है। तो कितना बड़ा पैट्रनेज सिपाही के पास है। रिपोर्ट देखकर मुझे खुद बड़ी हंसी आयी कि कल ट्रेनिंग पाकर यह जायेंगे और उसके ऊपर के आफिसर होंगे। तो यह सिस्टम सही है या नहीं, लेकिन एक बड़ा भारी पैट्रनेज है।

दूसरा उदाहरण लीजिये कि हाल में एक सिपाही फौज में भरती हो गया, वह सुल्तानपुर जिले का था। उसके कैरेक्टर वेरीफिकेशन के लिये गया हुआ था उसकी ट्रेनिंग हो गयी और बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग पाये हुये सिपाही के लिये यह लिखकर आया कि इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है और वह निकाल दिया गया और घर पर आकर बैठ गया। किसी को लाइसेंस लेना है थानेदार की रिपोर्ट उसके खिलाफ है तो उसे लाइसेंस नहीं मिलेगा। कितना बड़ा पैट्रनेज है ? तो जब किसी अधिकारी को आप इतने बड़े अधिकार देते हैं तो उस पर नियंत्रण के लिये कोई उपाय होना चाहिये। मैं नहीं देखता कि ऐसा कोई उपाय आपके पास है। कोई कप्तान पुलिस, कोई डी०आई० जी, आई०जी० इससे इंकार नहीं करेगा ईमानदारी से कि किसी भी थाने में आप चले जाइये वहां एक या दो आदमी ऐसे मिलेंगे जो बाहर बैठाये हुये हैं। वह दो-दो तीन-तीन दिन बैठाये जाते हैं। वहां इसका कोई इन्दराज भी नहीं है। किस लिये बैठाये गये हैं ? सिर्फ पूछताछ के लिये। कानूनी गिरफ्तारी भी उनकी नहीं है और वह आजाद भी नहीं है। वह आजादी जो संविधान ने दे रखी है वह उसकी छीनी हुई है और उसके खिलाफ कोई रेमिडी भी नहीं है। तीन तीन, चार चार दिन थाने में रखे जाते हैं गवाहियों के लिये आइडेंटीफिकेशन पैरेड होता है, नाटक रचाया जाता है आइडेंटीफिकेशन पैरेड का और उसके बाद कभी उनको सजा हो जाती है, कभी छूट जाते हैं। मैं पूछता हूं कि क्या गृह मंत्री या पुलिस के उच्चाधिकारियों से यह बात छिपी हुई है और क्या आपने कोई इंतजाम किया है कि संविधान के अन्दर जिसको जो आजादी दी गई है वह इस तरह से रोजाना छीनी न जावे, वह हर थाने में रोज छीनी जाती है। इससे बचने के लिये कोई भला आदमी क्या करता है। तीन तीन चार चार रोज बैठना पड़ेगा इसलिये वह दो सौ तीन सौ रुपये देकर छुटकारा पा लेता है। जो पुलिस के विरुद्ध गवाही देना चाहते हैं वह भी इसके शिकार होते हैं, इस प्रकार के अधिकार का दुरुपयोग न हो इसके लिए उपाय ढूंढना पड़ेगा। मैंने पुलिस रेगुलेशंस पढ़े हैं। मुझको उसके अन्दर

कोई व्यवस्था नहीं दिखी ।

अभी मेरे लायक दोस्त कह रहे थे कि गवाही देने के लिये कोई तैयार नहीं होता । सही है । इस मुल्क का यह दुर्भाग्य है । आज ऐसी स्थिति है कि पुलिस की गवाही देने के लिये कोई शिष्ट व्यक्ति तैयार नहीं होता । क्यों ? एक गलत तरीका चला आ रहा है । ११ तारीख के वाकये की इन्दराज १८ तारीख को लिखी जाती है । छिपी हुई बात नहीं है और १९ तारीख को कप्तान साहब के पास जाती है लेकिन कप्तान साहब की मुहर १२ तारीख की लगती है । कप्तान साहब से बात छिपी नहीं है । वह भी मजबूर है । मैं कहता हूं, व्यक्तिगत किसी का दोष नहीं है । न सब इन्स्पेक्टर का दोष है, न कांस्टेबिल का दोष है, न एस० पी० का, न डी०आई० जी० का, सब बेईमानी की श्रृंखला में बंधे हुये हैं । आपके सिस्टम का दोष है । १५,१६ लाख की आबादी के जिले में १५,१६ थाने । यानी एक लाख, सवा लाख की आबादी पीछे एक थाना है । उनके पास न इतनी सामग्री है, न साधन लेकिन आपने उसको थाने का ठेकेदार बनाया है । सन् ६५ में अगर १० कत्ल और ११ डकैतियां हुईं और ६६ में १२ कत्ल हो गये तो वह थानेदार नालायक है । अगर ९ हो गये तो लायक हैं । यह सिस्टम गलत है । आप उनके काम की जांच उनके रिकार्ड से करते हैं । नतीजा क्या है ? जिस थानेदार को अपने रिकार्ड को साफ रखना है उसके लिये कत्ल को छिपाने की जरूरत पड़ती है और डकैतियों को मिनिमाइज करने की जरूरत पड़ती है । डकैतियां बर्गलरी में लिखी जाती हैं । जिस पुलिस थाने पर ज्यादा कत्ल और डकैती पकड़ी जाती हैं उसके थानेदार को पकड़ा जाता है । किसी वजह से थानेदार उनको मिनिमाइज करते रहते हैं । हालांकि होता यह है कि पकड़ा वह जाता है जिससे एस० पी० नाखुश हो जाते हैं । थानेदार एक थाने का ठेकेदार है और एक एस०पी० जिले का ठेकेदार होता है । वह उस एस०पी० के अन्दर ही काम करता है । इस वजह से थानेदार मजबूर हो जाता है कि वह इस तरह का रिकार्ड रखे जिससे उसको किसी तरह से परेशानी का सामना न करना पड़े । अगर वह कम करके न रखे तो चार्ज किया जाय और फिर वह बरख्वास्त भी हो जाता है । जिस सिस्टम के अन्दर थानेदार और पुलिस के अधिकारियों को रोज बेईमानी अपने लिये करनी पड़ती हो, बल्कि बेईमानी करना लाजिमी हो जाता हो तो उस सिस्टम के अन्दर आप किस तरह से इस विल को सप्रैस करेंगे इस तरह से पुलिस जहां तक एक तरफ क्रिमिनल हो गई है वहां दूसरी तरफ जो क्रिमिनल है वह कानून का विरोध करके कानून तोड़ते हैं और पुलिस कानून का सहारा लेकर कानून तोड़ती है । कौन एस०पी० यह नहीं जानता है जिसने किसी भी थाने का मुआयना किया हो कि रोजाना झूठे केस बनाये जाते हैं । कौन नहीं जानता है कि जनरल डायरी झूठी तैयार की जाती है ? उसमें गलत इंट्री बनाई जाती है । कत्ल के मुकदमे में झूठी शहादत बनाई जाती है जिसमें कालापानी की सजा होती है । इस तरह के केसेज में एक सब इन्सपैक्टर अपनी तबियत से काम करता है जिसमें आजीवन की सजा मिल सकती है । मगर वह इसके लिये मजबूर हो जाता है । वह अपना रिकार्ड साफ रखना चाहता है क्योंकि जिले की जिम्मेदारी एस० पी० के हाथ में है । वह जिले का ठेकेदार है । तो जब तक यह सिस्टम इस पुलिस को चलाने का रहेगा तो यह होता रहेगा । जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं होगी जिसमें थानेदार का काम एस० पी० का काम एक आंकड़े के ऊपर न हो और क्वालिटी के ऊपर जांच न हो इस तरह से होता ही रहेगा ।

मैं व्यक्तिगत बात अपने अनुभव की कहना चाहता हूं । १९४० की बात है । मैं मैनपुरी में डिस्ट्रिक्ट जज था । मेरे यहां घिरोल थाने का एक कत्ल का मुकदमा आया । जिसमें सही बात यह थी कि एक आदमी रात में मारा गया था जिसको किसी ने देखा नहीं था । सिर्फ इतना लिखा गया कि उस जगह पर कत्ल हो गया है । रात में कत्ल हो गया और वह लाश पड़ी हुई है । रिपोर्ट पहुंच गई और लिखी गई । थानेदार साहब वहां पर मौजूद न थे । २, ४ घंटे के बाद थानेदार साहब आये और उन्होंने आकर उस रिपोर्ट को रुकवा दिया और कहा कि हम जांच

[श्री कुमार करुणा कृष्ण नायर]

करेंगे। उन्होंने जांच की और जांच करने के बाद दूसरी रिपोर्ट लिखी गई जिसमें ४ आदमी मुलजिम बनाये गये और ५, ६ आई विटनेस रखे गये। उसके ऊपर मुकदमा चला। वह केस मेरे सामने आया। केस की जिरह में यह बात खुली कि केस झूठी रिपोर्ट के आधार पर दायर हुआ है। आखिर में केस के फैसले में यह आबजर्वेशन रहा कि यह मुकदमा झूठी रिपोर्ट के आधार पर चला है और इसके ऊपर फिर जांच करने की जरूरत पड़ेगी। उस जांच का काम शायद कमरूल हसन डी० एस० पी० ने किया था जो शायद इस समय मेरे सामने बैठे हैं। उन्होंने मौके पर जाकर जांच की। हैड कांस्टेबिल ने उस रिपोर्ट को सप्रैस करने की बात कबूल की। कमरूल हसन साहब ने लिखा कि इनको सजा दी जाय। उनको श्याम सिंह जी० आइ० पी० ने सजा दी। वे श्यामसिंह जी अपनी ईमान्दारी के लिये बहुत नाम रखते थे। उन्होंने उस थानेदार को यह सजा दी कि इनकी तनख्वाह से एक रुपया प्रति मास कम कर दिया जाय। ऐसा क्यों यह भी उसमें लिखा हुआ है। उन्होंने यह लिखा कि इस आदमी ने चूंकि गुड फेथ में केस के इन्टरेस्ट में काम किया था इस वास्ते इस पर एक रुपया प्रतिमास कम कर दिया जाय। इतना जुरमाना करना ही उन्होंने काफी समझा। उस पुलिस अधिकारी की दृष्टि में ऐसे केस के लिये झूठी रिपोर्ट बनाई थी जिस केस में कानून की निगाह में उसको आजन्म कारावास का प्रायश्चित मिल सकता है, उसके लिये एक रुपया कम किया गया चूंकि उनकी निगाह में वह काम गुड फेथ का रहा और उसके साथ उन्होंने यह भी लिखा है कि यह जज जो हैं गवाहान से बहुत जिरह करते हैं इसके लिये हम को कोई इंतजाम करना चाहिये। खैर, वह इंतजाम होता रहा और उसके लिये मैंने कंटेंस्ट का नोटिस दिया और वह मामला गवर्नमेन्ट तक गया, यह दूसरी बात है। यह मामला १९४० का है।

अब मैं एक १९६४ का मामला बताना चाहता हूं। गोरखपुर में एक कत्ल का मुकदमा था जिसमें दो चार गवाहान थे देवरिया जिले के। दुख है कि गृह मंत्री जी यहां नहीं हैं, उपमंत्री जी हैं, उन तक यह बात पहुंचा दें। देवरिया के जो गवाहान आये थे उनकी पुलिस से दुश्मनी थी और इस के पहले ओंकार सिंह साहब ने एस० पी० देवरिया को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसकी नकल उनके पास थी। उसकी नकल के आधार पर मैंने देवरिया से उस चिट्ठी को तलब किया। उस समय वहां जो एस० पी० महोदय थे वे आज गृह मंत्री जी के जनपद के एस० पी० हैं। उन्होंने उत्तर भिजवा दिया कि यह कागज यहां नहीं मिलता है। मैंने सोचा, कोई हर्ज नहीं, चिट्ठी को डी० आई० जी० ने भेजा है, डी० आई० जी० के दफ्तर से उसकी नकल तलब की जा सकती है। मैंने उसके लिये गोरखपुर के डी० आई० जी० को लिखवाया कि उसकी नकल भेज दी जाय। उस चिट्ठी की नकल थी, तारीख थी, नम्बर था। लेकिन वहां से भी जवाब आ गया कि वह चिट्ठी यहां ट्रेस नहीं हुई हालांकि जब वह जवाब लिखा गया था उस दिन भी चिट्ठी डी० आई० जी० की मेज पर रखी हुई थी। मैं किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन पुलिस ने यही उचित समझा कि इस मुकदमें में जितनी रुकावट पैदा की जा सके, उनको करना है, वह उनका धर्म है। गवाहान सच माने गये और उस में सजा भी हुई, लेकिन वह कागज नहीं मिला। मैं कहना यह चाहता हूं कि ऊपर से नीचे तक सभी अधिकारियों का खयाल है कि केस का सक्सेसफुल होना ही उनकी काबलियत दिखलाता है। सच्चाई को देखने की जरूरत नहीं। ऐसी स्थिति को उत्पन्न करने वाला आपका डी० आई० जी०, एस० पी०, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबिल आदि नहीं, यह आपका सिस्टम है जिस में आप आंकड़ों से उनकी काबलियत नापते हैं और जब तक यह होता रहेगा, आप यही सब पाते रहेंगे।

आखिर में मैं दो तीन ईसीडेंट्स दो, तीन मिनट में और बतलाना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

५ मिनट में आप समाप्त कर दीजिये।

श्री कुमार करुणा कृष्ण नायर—

मैंने जितनी बातें कहीं हैं उनसे कोई यह न समझे कि मुझे व्यक्तिगत रूप से पुलिस अफसरों पर विश्वास नहीं है। मैं उनमें से बहुतों को जानता हूं कि जो बहुत ईमानदार हैं, लेकिन वे मजबूर है और एक सिस्टम के शिकार हैं। ईमानदार होते हुए भी ईमानदारी से रह नहीं सकते। आज कौन ऐसा डी० आई० जी० या एस० पी० है जो नहीं जानता या समझता कि थाने में जाली कागज बनते हैं, रिकवरी मेमो बनते हैं, और थानेदार केस बनाते हैं। शहादत थाने पर गवाहान को पढ़ाई जाती है और अगर उस के बाद भी मुकदमा छूट जाय तो थानेदार पर आफत आ जाती है। वह कहते हैं कि शिनाख्त की कार्यवाही कम रही है। यह तुम्हारी नालायकी है। बहुत भारी यह रंज की बात है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अनुसार जो जज किसी केस में इंटरेस्टेड हो वह उस केस को नहीं ले सकता। उस का व्यक्तिगत इंटरेस्ट हो तो वह उस केस को नहीं ले सकता और पुलिस के मुकदमें में कानून की प्रेस्टीज क्या है? कानून की यह प्रेस्टीज है कि अगर किसी मुलजिम ने मैजिस्ट्रेट के सामने हलफ पर भी कोई बयान दिया और पुलिस अफसर उस कमरे में मौजूद है तो वह बयान खराब हो जाता है। ही इज सच ए फोर्सफुल ईविल दैट हिज पर्सनल प्रेजेन्स वुड डिस्ट्राय दि ओथफुल स्टेटमेंन्ट आफ दि क्रिमिनल इन दि प्रेजेन्स आफ ए जज। आज भी रोजाना जो सब-इंसपेक्टर मुलजिम को गिरफ्तार करता है तो हलफ पर बयान देता है कि मैंने इसको परदे में थाने से, मौके से, फलां जगह पर ले गया—और यह रोजाना होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह क्या मखौल है? जिस सब-इंसपेक्टर को आइडेंटिफिकेशन न कर ने पर उस पर उसकी तनज्जुली होती है उसी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वह ऐसा इंतजाम करे कि मुलजिम को गवाहान शिनाख्त न कर सके—इससे ज्यादा कानून की बेइज्जती और मखौल और क्या हो सकती है? जब तक यह चीज मौजद है तो थानेदार मजबूर है। चूंकि शिनाख्त करानी है इसलिये यह फ्राड जस्टिस पर करना पड़ता है। अगर गवाह को अच्छी तरह से दिखायें नहीं तो एस० पी० का डंडा है और हवालात में किसी ने नहीं देखा तो सजा नहीं होगी। इस का सुधार होना चाहिये।

एक चीज एटा और फर्रुखाबाद के संबंध में कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एटा जिले में जो हाल में कांड हुआ है, सबको मालूम है। जिन घरों में सोलह आदिमयों का कत्ल हुआ था उनकी दरख्वास्तें हैं, लाइसेंस के लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास मौजूद हैं, महीनों से हैं। उस घर की जो लड़की बची हुई है उसने बयान दिया था और दरख्वास्त भी मुख्य मंत्री के पास है। उसने कहा था कि ७—७०० रुपया लाइसेंस के लिये सुरक्षा फंड के लिये मांगा गया है चूंकि वह नहीं दे पाये इसलिये लाइसेंस नहीं दिया गया। धिक्कार है ऐसी सुरक्षा पर कि जो आदमी आत्मरक्षा के लिये लाइसेंस मांगे उससे कहा जाय कि देश की सुरक्षा के लिये पहले इतना दो और लाइसेंस न दिया जाय और उसकी हत्या हो जाय। इससे ज्यादा धिक्कार किसी शासन पर नहीं हो सकता। इस सुरक्षा के नाम पर कितनों को कत्ल कराइयेगा? कितनी घूस लीजियेगा? आखिर यह घूस नहीं है कि लाइसेंस के लिये दरख्वास्त दे तो उससे सुरक्षा कोष के लिये रुपया मांगा जाय? इस कारण से कितनों की हत्यायें होती हैं। एक इंसटैंस उसी जिले का है। श्रवण सिंह प्रधान को और उसकी लड़की को लोग उठा ले गये। लड़की के साथ बलात्कार बाप के सामने किया गया। दूसरे दिन बाप की दोनों आंखें फोड़ दीं। तीसरे दिन उनके हाथ काटे और चौथे दिन उसका कत्ल किया गया और चौथे दिन लड़की को छोड़ा गया, लड़की का बयान है। मैं पूछता हूं कि जहां इतना जुल्म हो सकता है कि ३—४, ४—४ दिन तक दोनों को रखा गया और धीरे धीरे मेम करके, अंग अंग काट कर लोगों को मारा जा सकता है ऐसी जगह पर आप सुरक्षा कोष के लिये रुपया लेकर लाइसेंस देंगे? धिक्कार है ऐसे शासन के लिये।

अन्त में आप देखें कि शाहजहांपुर के एक एम० एल० ए० हैं कांग्रेस के, जिसके बारे में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने शिकायत की है कि वह तो पाकिस्तानी हैं और उनके भाई पाकिस्तान में रहते हैं। वह

[श्री कुमार करुणा कृष्ण नायर]

यहां आये थे। उनको लेकर शाहजहांपुर की आर्डनेंस फैक्टरी उन्होंने दिखाई है और सी० आई० डी० ने रिपोर्ट की है। मगर वह अपने घर में हैं, उनके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं हुआ और देहली से जो लड़की गायब हो गयी थी उसकी जांच के सिलसिले में एक आदमी यहां से बरामद हुआ था और इस एम० एल० ए० की कोशिश से वह कार्यवाही गृहमंत्री के आदेश से रोकी गयी थी। ऐसी घटनाएं रोज रोज होती हैं, क्या इनसे आपके शासन की इज्जत और आप में जनता का विश्वास होगा ? अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि गृहमंत्री के ऊपर आक्षेप न करें, मेरा यह परपज भी नहीं है, लेकिन यह दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। जब तक वह विश्वास जनता के अन्दर पैदा नहीं कर सकते हैं तो उनका कर्त्तव्य है कि वह इस पद से इस्तीफा दे दें।

१९३० की बात है। विस्काउंट किंग उस जमाने में कमिश्नर, मेट्रोपोलिटन फोर्स लंदन थे। एक इकोनामिक्स के प्रोफेसर सर लिओ चियोजा मोने को एक कानिस्टबिल ने एक लड़की के साथ हाइड पार्क में पकड़ लिया और उसने कहा था कि दोनों ऐसी स्थिति में बैठे थे कि मुझे मालूम होता था कि वह कोई बदकारी का काम शुरू करने वाले हैं। उस पर बड़ा भारी आन्दोलन उठा। वह प्रोफेसर बड़े भारी इकोनामिस्ट थे और बड़े व्यक्तित्व के आदमी थे। आखिर में जांच से यह साबित हुआ कि कांस्टेबिल की गलती थी। कांस्टेबिल की गलती साबित हो गयी, और विसकाउंट किंग उसके लिये जिम्मेदार नहीं थे मगर उनका कहना था चूंकि इस चीज को रोकने की जिम्मेदारी थी जिसे मैं रोक नहीं सका इसलिये इस पद पर बने रहना मेरे लिये उचित नहीं है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यहां पर रोज होता है, गृह मंत्री जी से सवाल पूछा जाता है, लेकिन हमारे गृहमंत्री होशियारी से जवाब देने में बड़े भारी पंडित हैं। पिछली दफा एटा के बारे में सवालात पूछे गये थे, सभी सवाल जवाब हुए, लेकिन असली बात उन्होंने जाहिर नहीं होने दी। क्या यह ईश्वर का काम था, क्या कोई आफिसर जिले में नहीं था जो इसको रोक सकता था ? विरोधी दल की तरफ से सवालात पूछे गये, लेकिन हर सवाल का जवाब होशियारी के साथ टाल दिया गया। क्या यही शासन है और क्या इसी तरह से उसमें विश्वास उत्पन्न हो सकता है ? आपका कर्त्तव्य है कि जो शिकायत आपके सामने आवे उसमें जिस आदमी का दायित्व हो उसको सजा दें। जब तक आप यह नहीं करेंगे तब तक जनता का आपमें विश्वास नहीं हो सकेगा।

*श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, जो पुलिस का अनुदान माननीय गृह मंत्री जी ने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। श्रीमन्, जहां तक हमारे देश में पुलिस प्रशासन का प्रश्न है, यह एक बड़ा गम्भीर विषय हो गया है और मैं ऐसा अनुभव करने लगा हूं और यदि इस गम्भीरता के ऊपर हमारे मंत्रि-परिषद् के सदस्य तथा इधर या उधर बैठने वाले जनता के चुने हुए जो नुमायन्दे हैं-विचार नहीं करेंगे तो मैं ऐसा महसूस करने लगा हूं कि अब किसी की भी जानमाल की हिफाजत होना गैरमुमकिन सी बात है। जब मैं यह कहता हूं तो मेरे मन में जरा भी यह भावना नहीं है कि मैं किसी भी मंत्री या किसी भी अपने ऐसे माननीय सदस्य की चर्चा करूं या व्यक्तिगत कोई ऐसी चर्चा करूं कि जिसकी वजह से ऐसा प्रशासन हो गया है। ऐसा प्रशासन क्यों हुआ है ? हम ऐसा महसूस करने लगे हैं कि इसमें जितनी हमारी जिम्मेदारी है, जितनी इधर के बैठने वालों की जिम्मेदारी है, उतनी ही उधर बैठने वालों की भी जिम्मेदारी है। और जब हम इस भावना को लेकर चलेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारी आन्तरिक स्थिति पैदा हो गयी है, उस आन्तरिक स्थिति को किस तरह से कंट्रोल किया जाय, किस तरह से उसे आगे न बढ़ने दिया जाय, और किस तरह से जनता के अन्दर यह विश्वास पैदा किया जाय। यह जो जनभावना है जिस जनभावना का आदर करके हम यहां आये हैं, उस जनभावना को कायम रखने के लिये जरूरी है कि उसकी नागरिक स्वतंत्रता की हम रक्षा कर सकें, हम समाज के गिरे हुए व्यक्तियों को इंसाफ व न्याय दिला सकें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, जब हम ऐसा कहते हैं तो हमारे सामने इंगलैन्ड की जो पुलिस हुकूमत है वह हमारे सामने आ जाती है। जब अंग्रेजो की हमारे देश में हुकूमत थी तब अगर किसी दारोगा से भी या किसी पुलिस कप्तान से भी किसी को कोई शिकायत होती थी तो वह उसका काग्निजेंस लेता था, लेकिन आज हालत यह है, मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं, कि हम जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों, अगर कोई शिकायत करते हैं तो वह दलगत राजनीतिक मामले में हो, चाहे किसी तरीके से भी हो, उसे ऐसा समझा जाने लगा है कि ये तो शिकायत करने के आदी हैं, इनको शिकायत करना ही है। तो यह कोई अच्छी भावना नहीं है। किसी भी प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी या पार्लियामेंटरी सिस्टम गवर्नमेंट के लिये यह अच्छी भावना नहीं होती है कि हम लोग जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अगर कोई बात कहें तो उसका जरा भी खयाल न किया जाय। श्रीमन्, हमारे प्रदेश और देश में ऐसे कोई महान् व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का मुकाबला किया। अंग्रेजों ने जितनी भी यातनायें हो सकती थीं वह उनको दीं और उन्होंने उनका सामना किया। प्रो० शिब्बनलाल सक्सेना भी उन व्यक्तियों में से एक हैं जिनको हमारी पुलिस ने, गोरखपुर जिले की महाराजगंज तहसील में, वहां के दरोगा ने उनको ४ घंटे तक थाने में बिठाये रखा। जब गोरखपुर जिले के एस० पी० आये तो उन्होंने उनको देख कर पूछा, प्रोफेसर साहब आप यहां कैसे? प्रोफेसर साहब ने कहा मुझे नहीं मालूम क्यों मुझे यहां बिठाया गया है। फिर एस० पी० साहब उनको अपने साथ ले गये। वह त्रिपुरारी शरण दरोगा अभी तक वहीं मौजूद है। मैंने और प्रोफेसर शिब्बन लाल सक्सेना ने माननीय मुख्य मंत्री से शिकायत की, माननीय गृह मंत्री से शिकायत की, मगर वह दरोगा अपनी जगह पर वहीं बना हुआ है। आज वह जितने अत्याचार कर रहा है उसका मैं यहां पर वर्णन नहीं कर सकता। उनका तो कहना है कि उनका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उनकी पहुंच माननीय गृह मंत्री तक है। पंडित जवाहर लाल नेहरू जिस शिब्बन लाल सक्सेना की इज्जत करते थे, जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में नाना प्रकार की यातनायें सही थीं, जो जेल गये थे, उनको पुलिस का एक दरोगा ४ घंटे तक डिटेन करे रहे और माननीय गृह मंत्री अपने साथी की कुछ परवाह तक न करें, इससे दर्दनाक बात और कोई हो नहीं सकती।

श्रीमन्, सीतापुर का एक और शर्मनाक कांड आपने सुना ही होगा कि जिसमें नन्दू नाम के एक व्यक्ति को गायब किया गया, बाद में वह बेचारा यकायक पेश हो गया। किसी तरह से मुलजिम लोग बच पाये, वरना पता नहीं उनका क्या होता। ३–४ साल पहले हमारे गोरखपुर जिले में सहजनवां थाने के अन्तर्गत जो कांड हुआ, वह भी बड़ा शर्मनाक है। एक व्यक्ति अपने ट्रेक्टर पर जा रहा था, रास्ते में किसी बदमाश ने उसको गोली मार दी, वह व्यक्ति वहीं धराशायी हो गया। उस केस में पुलिस ने एक गलत, बेगुनाह, आदमी को पकड़ लिया, उसके खिलाफ झूठे गवाह पेश कर दिये और उस बेगुनाह आदमी को अदालत से फांसी हो गयी, वह मर गया। वह बेगुनाह जब जेल में था मैंने उसे वहां देखा, वह रो रहा था, कह रहा था मैं बेगुनाह हूं। वह तो फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया, मगर बाद को एक और केस में एक इन्टर स्टेट गैंग का एक व्यक्ति पकड़ा गया, उस व्यक्ति ने यह बयान दिया कि देवकी रावत नाम के व्यक्ति का कत्ल मैंने किया था, जिस व्यक्ति को फांसी हुई वह बेगुनाह था। इस व्यक्ति ने अपने इस जुर्म को स्वीकार किया। मगर इस पुलिस के कारण उस व्यक्ति को, जो बेगुनाह था, फांसी के तख्ते पर लटकना पड़ा।

मान्यवर, इस सबके पीछे है क्या? पुलिस का यह सारा कारोबार एक निश्चित् ढंग से चल रहा है। एक सेट आफ क्रिमिनल्स पुलिस वालों के साथ रहता है जो पुलिस के इशारे पर चलता है। कुछ गिने चुने आदमी पुलिस के साथ रहते हैं। चाहे कत्ल का मुकदमा हो, चाहे डकैती का मुकदमा हो, चाहे चोरी का हो, कोई भी मुकदमा हो, हर केस में पुलिस अपने उन्हीं आदमियों को गवाह के रूप में अदालत में पेश कर देती है। चाहे गवाही दिलवाना हो, चाहे किसी की शिनाख्त कराना हो चाहे कोई और काम हो, वही

[श्री नरसिंहनारायण पांडेय]

व्यक्ति जो पुलिस के साथ हमेशा रहते हैं, उन सब कामों को करते हैं। यही कारण है कि आज ७० फीसदी केसेज छूट जाते हैं। मैं चाहता हूं सरकार इस सिस्टम को चेन्ज करें। मैं आंकड़ों में ज्यादा नहीं जाना चाहता। आप श्रीमन्, सन् ६५ के आंकड़ों को देखें। तो आप देखेंगे कि डकैती, चोरी, लूट, हत्यायें, दंगे, सेंध लगाना, ६४–६५ के आंकड़े दिखाये गये हैं, जो छपे हुए हैं, जिनको मैं कहना नहीं चाहता, ये स्पष्ट करते हैं कि हर चीज की हालत जो है वह बदतर हो रही है। इन्टरनल सीचुएशन तो खराब है, ही, लेकिन आपको सोचना है कि ऐसी स्थिति पैदा न करें, नहीं तो हम लोग जो यहां बैठे हैं इस सदन में वह भी नहीं बैठ सकते। मिलिटेरी और ब्योरोक्रेसी की जो हुकूमत है वह आपस में नहीं मिल पा रही है अगर मुल्क में डिक्टेटरशिप आयेगी तो समाज सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिये मैं कहता हूं कि आप इन शब्दों पर गौर कीजिये और देखिये कि प्रदेश कहां जा रहा है और इस हालत में पुलिस को कन्ट्रोल कीजिये ताकि पुलिस जनरक्षक हो और जनभक्षक न हो।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय द्विवेदी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रक्खा है, उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, अभी हमसे पूर्व वक्ताओं, माननीय सदस्यों ने जो पुलिस विभाग की सारी गाथा थी, सम्पूर्ण रूप से कह डाली है। कुछ बाकी नहीं है। मान्यवर, इस श्रीमद्भागवत पुराण का जब जब अध्याय होता है उसके बाद गीता पाठ होता है उसको नैयर साहब ने पूरा कर दिया। मेरे पास जो छोटी पुस्तिका है इसमें विभागीय काम का योगदान किया गया है। कुछ आंकड़े दिखा दिये गये हैं। जिन से विदित होता है कि कुछ थोड़े बहुत डाकू पकड़े गये और कुछ को मार दिया गया है। एक बात इसमें और भी विचित्र लिखी है। कुछ माननीय सदस्यों ने समझा होगा कि अधिकारी वर्ग विधायकों से सम्पर्क स्थापित करते हैं और जनता से भी सम्पर्क स्थापित करते हैं और मिलकर कार्य करते हैं। मान्यवर, अगर ऐसा होता तो जो भी दोष वर्णन किये गये हैं कुछ नहीं तो ९९.९ रैकरिंग तक ही रह जाते। इन सबका कारण एक दिखलायी देता है कि अधिकारी अपनी मन मानी करते हैं इसकी परामर्शदात्री कोई समिति नहीं है यह होना चाहिये। जो बातें बतलाई गई पिछले वर्ष बजट में उनमें कुछ संशोधन कर लेते, उन सुझावों से लाभ उठाते तो आज जरूर परिवर्तन दिखाई देता ऐसा नहीं किया गया। इस पुस्तक में स्वीकार किया गया है कि पुलिस में भ्रष्टाचार दूर करने और ईमानदारी कायम करने का सरकार द्वारा प्रयत्न किया गया। यह मान लिया गया कि पुलिस में भ्रष्टाचार है और देश की पुलिस बेईमान है और इसको दूर करने का प्रयत्न बराबर जारी है। वे कौन कौन से प्रयत्न हैं जो सरकार तथा विभाग ने किये हैं यहां सदन के समक्ष एक समीक्षा भी देना चाहिये।

पुलिस में क्या भ्रष्टाचार और बेईमानी है इसको कानून की दृष्टि से हमारे नैयर साहब ने भी बतलाया जिसमें कानूनी परिवर्तन की भी आवश्यकता है। मान्यवर, इसमें भ्रष्टाचार प्रायः टाप टु बाटम है। अगर आज सिपाही सिपाही रहना चाहता है, अपने बच्चों को जीवित रखना चाहता है तो उसको दारोगा के साथ हमदर्दी करनी पड़ती है। नये दरोगा लोग जो ट्रेनिंग पास करके अप्वाइन्ट किये जाते हैं, उसमें उनके सिपाही कोशिश करते हैं कि दारोगा के पास साईकिल और मोटर साईकिल हो जाय और रिश्वत का साधन बन जाता है और कुछ परिस्थितियोंवश सिपाही को यह सब करना पड़ता है। इसके अलावा, अगर दारोगा को दारोगा रहना है तो उसे भी वही काम करना पड़ता है अपने एस० पी० को खुश करने के लिये। एस० पी० भी बड़े बड़े केस में पैसे लेकर आई० जी० और डी० आई० जी० को खुश करने के लिये ऐसे काम करता है यह व्याप्त भ्रष्टाचार का एवं तांता लगा हुआ है जो ऊपर से नीचे तक है इसे हटाने के लिये आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। ग्राम में डी० आई० जी० या आई० जी० के दौरे के समय एक पी० डी० एस० पैरेड होती है उसमें हजारों रुपया खर्च होता है। कितना

रुपया सैंक्शन होता है और कितना पैसा खर्च होता है । यह विचारणीय प्रश्न है । यह सब पैसा कौन खर्चा करता है कौन है इस पर भी ध्यान देने की बात है पर सभी इसको नजर अन्दाज करते हैं । दारोगा या एस० पी० की तारीफ होती है जहां पर मजमा इकट्ठा किया जाता है सभी साधन जुटाये जाते है क्या वह सब वगैर पैसे के होते है ? यह विचारणीय बात है । मान्यवर, अधिकतर माननीय सदस्य ने एस० पी० तक की ही बातें कहीं, मैं इसमें भी ऊपर की बात कहता हूं कि आई० जी० और डी० आई० जी० का भी हाथ बड़े-बड़े क्राइम्स में और स्मगलिंग में होता है । इसलिये ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार अंग-अंग में व्याप्त है और इसके कुछ मूल कारण हैं । एक दरोगा क्या अपनी आत्मा को दबाकर बेईमानी पर तैयार होता है ? मैं भौतिक दृष्टि से इसे पेश करता हूं । हम यह माने कि सभी लोग इस विभाग में भ्रष्ट हैं, ऐसा नहीं है यह सब मजबूरी में भी करना होता है । माननीय नरसिंह जी नारायण ने कहा कि प्रदेश में तमाम जुर्म प्रति वर्ष बढ़ते रहे हैं इसका भी कारण है । इस पुस्तिका में हत्या और इसका भी कारण है । इस पुस्तिका में हत्या और डकैती के बढ़ने का कारण यह दिया है कि गांव में पार्टीबन्दी और व्यक्तिगत रंजिश होती है जो कुछ अंश तक ठीक है पर इसके और भी मुख्य कारण हैं इसका एक मूल कारण राजनैतिक द्वेषता भी है तथा कानूनी रोक टोक भी रोज हम देखते हैं कि थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिये कोई डकैती की जाता है तो अगर उस वारदात में या डकैती में बन्दूक नहीं चली है तो उसे चोरी की लिखा जाता है ।

जालौन जिले का भी इस पुस्तिका में कुछ विवरण है । उसके बारे में मुझे विशेष जानकारी है । वहां माधोगढ़ एक छोटा सा कस्बा है । वहां एक सेठ पिता पुत्र ही थे जिनके पास मनों सोना और चांदी थी । कुछ लोगों ने उनकी और उनके पुत्र की एक रात्रि में हत्या कर दी । ४५ किलो सोना और ३ या ४ मन चांदी वहां से गायब हुई । जब कुछ लोग पकड़े गए तो बरामद दिखया गया ५ तोला सोना और १ मन से ऊपर चांदी । बाकी सोना कहां गया ? कुछ पुलिस में भी पहुंचा यहां पर गड़बड़ी में कानूनी पर्दा है । बरामद दिखाते हैं ? एक मन चांदी और ५ तोले सोना और आज यह तारीफ का कारण बन गया । अब दूसरी एक डकैत को पकड़ने की बात इस पुस्तिका में कही गई है । इसमें लिखा है कि जालौन पुलिस ने उपद्रवी आशाराम मेहतर और हरदयाल काछी का सफाया किया । जालौन, मेरे जिले में एक गांव है भड़ारी, जहां भीषण डकैती और अपहरण में बाप के सीने में गोली लगी, वह मर गया । उसकी बेटी के भी हाथ में गोली लगने से चोट आई । डकैतों ने गोलियां टोमीगन, ब्रेन गन से चलाई । उस गिरोह में से आपकी बहादुर पुलिस द्वारा कोई नहीं पकड़ा गया । लेकिन आशाराम जो पास के गांव का था, जो बदमाश और फरार डकैत जरूर था, उसे पकड़ा गया और वास्तविक उन बड़े-बड़े गैंग के लोगों को नहीं पकड़ा गया जो दिन दहाड़े गांवों में डकैती डाल देते हैं । जालौन जिले में डकैतों के बड़े-बड़े गैंग एम० पी० से आते हैं, उनको किसी ने नहीं पकड़ा । इस पुस्तिका में किसी बड़े गैंग का नाम आता तो अवश्य ही बड़ी बात थी ।

माननीय नैयर साहब ने कहा कि जनता में पुलिस के प्रति कर्त्तव्यनिष्ठा का विश्वास कैसे पैदा हो । उसके कुछ मौलिक कारण हैं । एक दारोगा आज अपने ईमान को बेचकर सौदा करता है । अगर आप उसे विश्वास दिला दें कि उसकी तरक्की उसके काम पर और काबलियत पर ही होगी तो वह क्यों अपना ईमान बेचेगा । वह परिश्रम करेगा और सेवा करेगा । लेकिन हो यह रहा है कि उसकी तरक्की एस० पी० की रिपोर्ट पर निर्भर करती है । सैंट्रल सर्विसेज एस० पी०, आई० जी०, डी० आई० जी० के बारे में आप सैन्ट्रल गवर्नमेंट से बात करें और भरती का एक सिस्टम कर दें कि परीक्षा से कुछ परसेन्टेज भरती एस० पी०, आई० जी० तथा डी० आई० जी० की होगी, और उस परीक्षा से जो उत्तीर्ण होगा और जो योग्य होगा वह आई० जी० और डी० आई० जी० की रेन्क में आ जावेगा । आज पुलिस का सब-इन्स्पेक्टर आन दी स्वीट विल आफ दी एस० पी० है । अगर वह एस० पी० को खुश नहीं कर पाता है तो इन्चार्ज से हटाकर उसे रिवर्ट करके छोटा दारोगा बना दिया जाता है । इसमें दो काडर होने चाहियें, एक इन चार्ज

[श्री विजय सिंह]

और दूसरा सब इन्चार्ज । अगर कोई इन चार्ज गड़बड़ नहीं करता है, अच्छा काम करता है, तो उसकी तरक्की होनी चाहिये और कभी भी सब चार्ज नहीं होना चाहिये दूसरी बात आज अगर एस० पी० रिकमैन्ड करता है तभी वह सी० आई० होता है । वह किसी गधे को भी रिकमैन्ड कर सकता है । अगर उससे प्रसन्न है तो आप उपरोक्त पदोन्नति की परीक्षा क्यों नहीं लेते हैं जिससे काबिल आदमी ही आगे आवें ? ईमानदार लोग भी इस विभाग में उपरोक्त पदों पर हैं लेकिन वे दबे हुए हैं ।

थानों में अब सिपाही की बात आती है । यह बहुत थोड़ी तनख्वाह पाता है । सारा काम आपका जो भी सामने आता है वह करता है तथा सम्मन की सर्विस का भी काम करता है । एक थाने में करीब १६ सिपाही होते हैं । आप या तो उनकी संख्या बढ़ावें या सर्विस का काम उनसे न लें, सिपाही थोड़ी तनख्वाह होने से वह देहातों में घूमकर लोगों को झूठे मामलों में भी पकड़कर अपनी गुजर का इन्तजाम करते हैं । उनकी बेसिक वेतन अधिक हो तथा उनको भत्ता भी मिलना चाहिये । तब वह सुरक्षा की ओर अधिक ध्यान दे सकता है ।

मान्यवर, कुनबा परस्ती का भी जिक्र आया । होम गार्ड्स में डिस्ट्रिक्ट आफीसर्स के चुनाव का कम्पीटीशन हुआ । उसमें सारे का सारा काम बेतरतीब हुआ । उसमें जो निजी संबंधित थे उन्हें निर्धारित ऊंचाई से भी कम होने पर ले लिया और उन लोगों की नियुक्तियां भी छांट कर अच्छी जगह कर दी गई है । कई बार प्रश्न भी किये गये लेकिन वे लौटाये गये हैं । इस ओर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है । इस प्रकार कुनबा परस्ती से काम नहीं चलेगा । एक दिन यह दुष्परिणाम पैदा करेगा ।

थानों में लोग क्राईम रिपोर्ट लिखाते हैं जिनका इनवे स्टीगेशन भी वही करता है जो रिपोर्ट लिखता है । उसमें अगर कुछ उलझन है या गड़बड़ है तो वह अपनी बुद्धि के मुताबिक भाषा रिपोर्ट में लिखता है । सही रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है । इसलिये रिपोर्ट लिखन वाला और इनवेस्टीगेशन करने वाला अलग-अलग विभाग होने चाहियें जिससे तथ्य और उसके इन्वेस्टीगशन में रुकावट न पड़े ।

मान्यवर, जिस प्रकार उत्तराखण्ड में एक डी० आई० जी० बढ़ा है, उसी प्रकार बुन्देलखन्ड में एक डी० आई० जी० होना चाहिये । वह भी आपरेशन एरिया है तथा थाने में टेलीफोन और जीप होने चाहिये । यह जालौन जिले की आवश्यकतायें है ।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं गृहमन्त्री जी ने जो १७,६९,३४,८०० रुपये का अनुदान पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा होना चाहता था, लेकिन कल यादवेन्द्रदत्त जी दुबे ने टोक दिया था कि हर सदस्य समर्थन के लिये खड़ा होता है, लिहाजा मैं उसका विरोध करता हूं और मेरे खयाल में यह एमाउन्ट और ज्यादा होनी चाहिये ।

यू० पी० में ८६२ आदमियों पर एक पुलिस का आदमी पड़ता है, चाहे अफसर समझिये या सिपाही समझिये । हर आदमी, चाहे वह किसी प्रोफेशन का हो, हम में से ही क्यों न हो, नैशनल कैरेक्टर गिरने की वजह से क्रिमिनल माइन्डेड हो गया है और तरह-तरह से रुपया पैदा करने की कोशिश करता है और अपने स्टैन्डर्ड आफ लिविंग को ऊंचा करने के लिये नाजायज तरीके से पैसा पैदा करने की कोशिश करता है। इन हालात में पुलिस का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है । इसलिये उसकी तादाद बढ़ाई जानी चाहिये ताकि ८६२ का तनासुब कुछ घट जाय । जब कि एम० पी० में ४०० महाराष्ट्र में ६००, वैस्ट बंगाल में ४०० है । पिछले साल अपोजीशन के मेम्बरान ने इगलैन्ड की मिसाल दी और अमेरिका की मिसाल दी और वहां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की पुलिस की बड़ी तारीफ की । यू० के० में ४० आदमियों पर एक पुलिस वाला है । इस वजह से ज्यादा अच्छी तरह से निगरानी कर सकता है और हमारे यहां फोर्स बहुत कम है इसलिये ठीक तरह से इन्तजाम नहीं कर पाता है और हालत इन्तहाई परेशानी की है, कास्ट आफ लिविंग बढ़ता जा रहा है । इस हालत में भी जो जरायम में इजाफा हुआ है वह बहुत थोड़ा है । कहीं ज्यादा हो जाना चाहिये । इसके लिये पुलिस वाले काबिले मुबारकबाद हैं ।

के० के० नायर साहब ने मेरे बारे में कुछ कहा । वैसे तो इसका जवाब माननीय गृह मंत्री और मुख्य मंत्री को देना चाहिये था, लेकिन चूंकि उसका मुझ से ताल्लुक है इसलिये पर्सनल एक्सप्लेनेशन के तौर पर मैं कुछ कहना चाहता हूं । यह बात सही है कि एक औरत थाना जलालाबाद में आयी । बात ऐसी थी कि २ फरवरी को ठाकुर शिशुपाल सिंह मेरे पास आये और बताया कि किसी थानेदार ने उसका चालान कर दिया है औरत संबंधी मामले में उस थानेदार को पहले से जानता हूं । इन्तहाई बदमाश और राशी आदमी है । २० सौं शिकायतें उसके खिलाफ हैं । चूंकि लोकल एम० एल० ए० को कोई शिकायत नहीं थी और मेरी वह कांस्टीटुयेन्सी थी नहीं, इसलिये मैंने कोई कदम उठाना मुनासिब नहीं समझा । शिशुपाल सिंह जी को भी मैं बहुत पहले से जानता हूं । १९५० के बलवे में उन्होंने बहुत से मुसलमानों को पनाह दी थी । उसमें अच्छा काम करने की वजह से उनको असलाह का लाइसेन्स और कैश इनाम दिया गया था । जरायम को रोकने में भी उन्होंने बहुत काम किया है । अभी हाल में ही उन्होंने एक डकैत को मारा और स्टेट गवर्नमेन्ट से उनको इनाम मिला । उन्होंने मुझे बताया कि एक औरत उनके गांव में तड़के ही आ गयी कहीं से भाग कर । उन्होंने सोचा कि यह कहीं से भाग कर आ गयी है । इतने में पुलिस वाले भी वहां आ गये और उन्होंने उसको उनके सुपुर्द कर दिया । उन्होंने उसके जेबरों की एक लिस्ट बनायी लकिन थानेदार ने उस पर दस्तखत करने से मना कर दिया । उन्होंने गांव वालों को जमा किया और उनके सामने लिस्ट बना कर थानेदार को जेबर दे दिये । थानेदार ने इसको इन्सल्ट महसूस किया और उसने औरत का बयान अदालत में यह करा दिया कि ठाकुर साहब ने उसके साथ रेप किया है। मैं और ठाकुर साहब गृह मंत्री जी के पास आये और सारे हालात बयान किये । उन्होंने वह केस सी० आई० डी० को दे दिया । इस पर पूरे जिले की पुलिस में शोर बरपा हो गया कि बड़ा तमाशा है कि हर जांच सी० आई० डी० को दे दी जाती । वहां के एक अखबार पताका ने ८ अगस्त और १७ जुलाई को थानेदार की उनकी बेइन्तहा बुराई की और ठाकुर साहब की भी बुराई की और लिखा कि होम मिनिस्टर ने बिना वजह मामले को रोक रखा है और उनका चालान होना चाहिये । हुआ यह कि थानेदार ने अखबार वाले को ढाई सौ रुपया दे दिया और उसकी वजह से ही यह बावैला खड़ा हो गया । यह हिन्दू महासभा का अखबार है और श्री नैयर भी जनसंघ के सदस्य हैं इसलिये उन्होंने यहां इस तरीके से मामले को फोड़ कर बयान कर दिया । इसलिये मेरे लिये भी जरूरी हो गया कि मैं तफसील मामले की बता दूं, क्योंकि मेरी तरफ इशारा किया गया । यह भी कहा गया कि मेरी बीबी पाकिस्तानी है । इस बारे में जिला मैजिस्ट्रेट लिख चुका है कि मैं हिन्दुस्तानी हूं या मेरी बीबी हिन्दुस्तानी हैं या नहीं हैं सभी जानते हैं कि कुंवर ज्योति प्रसाद जी हमारे यहां के एम० एल० सी० हैं और कांग्रेस में हैं और उनका मामला जब प्रिविलेज कमेटी के सामने चला था तो भी मैंने शाहजहांपुर के कलेक्टर के खिलाफ उस में गवाही दी थी । वह कलेक्टर निहायत बेईमान आदमी था और मुतास्तिब आदमी था और उसका भी फ्यूचर वही होगा जो कि नैयर साहब का हुआ....

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

क्या ऐसा कहना संसदीय है कि उस कलेक्टर का भी फ्यूचर ऐसा ही होगा जैसा नैयर साहब का हुआ ? उन को मालूम होना चाहिये कि उनको पूरी पेन्शन गवर्नमेन्ट को देनी पड़ी है। उनका क्या हाल होगा....

श्री अधिष्ठाता--

मेरी राय में यह भी संसदीय नहीं है कि किसी माननीय सदस्य पर पाकिस्तानी होने का शुबहाप्रकट किया जाय । मैं वकील साहब से आग्रह करूंगा कि अगर आदमी कोई आपकी दृष्टि में संसदीय परम्पराओं के विपरीत काम करता है तो कम से कम आप को संसदीय परम्पराओं का ध्यान रखना चाहिये । व्यक्तिगत बात की चर्चा यहां न की जाय तो अच्छा होगा ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

क्या नैयर साहब ने किसी व्यक्ति का नाम लिया था कि फला व्यक्ति पाकिस्तानी है ?

श्री अधिष्ठाता--

अब आप बैठे मैंने वह सब कह दिया है ।

श्री मुहम्मद रफी खां--

अगर मैं पाकिस्तानी हूं तो उसके लिये गवर्नमेन्ट. . . . .

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

उन्होंने आपका नाम नहीं लिया था, उनका कहना था कि अमुक जिले के कोई साहब हैं वह पाकिस्तानी हैं. . . . . .

श्री मुहम्मद रफी खां--

उन्होंने जिले का एक कांग्रेसी सदस्य कहा था. . .

श्री कुमार करुणा कृष्ण नायर--

मैंने यह कहा था कि एक कांग्रेस के सदस्य जिन के बारे में प्रोपाकिस्तानी होने की रिपोर्ट जिलाधीश और सी० आई० डी० ने की है इसमें कुछ असत्य हो तो साफ कर दें ।

श्री अधिष्ठाता--

उनको भी अधिकार है, अपनी बात कहने दीजिये उन्हें, नाम तो नहीं लिया गया, आपके द्वारा वह गाइड नहीं होंगे ।

श्री मुहम्मद रफी खां--

अब पुलिस बजट को बढ़ाने के बारे में मैं समझता हूं कि दोनों तरफ के मेम्बरान मुत्तफिक हैं । मैं चाहता हूं कि सी० आई० डी० की तादाद में इजाफा किया जाय । जो डी० आई० जी०, सी०आई० डी० गोविन्द चन्द्र थे उन की राय यह हुई कि सी० आई० डी० के अफसर कम हैं और इन्क्वायरी में दिक्कत होती हैं, लेकिन अगर सी० आई० डी० की तादाद बढ़ाई जाती है तो मुमकिन है कि हमारा स्टैन्डर्ड गिर जाय और अगर वही करप्ट हो जायेंगे तो हालत और भी बिगड़ जायगी । लेकिन अब मौजूदा डी० आई० जी० साहब ने तय किया है कि सी० आई० डी० में अमला बढ़ाना चाहिये और जब कि हर तरह का आदमी करप्ट है और सी० आई० डी० का सहारा लेना पड़ता है तो और भी जरूरी है कि उन की तादाद में इजाफा किया जाय । यह कहना मुश्किल है कि पुलिस वालों का काम इतना अच्छा है कि सब तारीफ करें, लेकिन यह सही है कि पुलिस के बड़े अफसर आई० जी०, डी० आई० जी० और एक आध एस० पी० बड़े कायदे के और ईमानदार आदमी हैं । उनके बारे में यह शुबह करना कि वे किसी दबाव में आजायेंगे, मिनिस्टर के दबाव में आजायेंगे, मुनासिब नही हैं क्योंकि वे जानते हैं कि जिन मिनिस्टर के अन्डर वे काम करते हैं, हो सकता है कि वे फिर मिनिस्टर ही न हों । मुझे उन अधिकारियों के बारे में कोई शिकायत नहीं है लेकिन जो पुलिस में छोटे-छोटे आफिसर हैं वे काफी रिश्वतें लेते हैं, उनको सजायें भी दी जा रही हैं, लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं हो पाता है । माननीय मंत्री जी ने सी०आई०डी० द्वारा इन्क्वायरी कराने के बाद जितने लोगों को कम्पलसरी रिटायर किया है

या सस्पेन्ड किया है शायद उतना पहले नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुधार नहीं नजर आता है । माननीय मंत्री जी को चाहिये कि वे सोचें कि इसके बारे में क्या किया जाय जिससे ये लोग कायदे पर आ जायं और उनके खिलाफ शिकायतें भी न रहें ।

बिजिलेन्स कमीशन के बारे में मुझे यह कहना है कि गजेटेड आफिसर्स के बारे में बहुत सी शिकायतें आती हैं कि फलां अफसर खराब है । वे सब की शिकायतें विजिलेन्स कमीशन के पास भेज दी जाती हैं क्योंकि वे ही गजटेड आफिसर के सम्बन्ध में शिकायतों की जांच करते हैं मगर उनकी जो फाइंडिंग्स होती है, कि फलां को फलां जगह से हटा दिया जाय या फलां को सस्पैन्ड कर दिया जाय तो उस पर स्टेट का एपाइंटमेन्ट डिपार्टमेन्ट कोई ऐक्शन नहीं लेता है । इससे वे लोग डिस्करेज होते हैं । तो इससे कोई फायदा नहीं होता है ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । पुलिस के बजट के सम्बन्ध में बहस करने से पहले हमें यह देखना होगा कि पिछले वर्ष पुलिस का बजट १६,४६,२९,७०० रुपये का था जबकि इस साल माननीय मंत्री जी ने १७,६९,३४,८०० रुपये की मांग रखी है । यह लगभग १ करोड़ के ज्यादा पड़ेगा । तो बहस करते वक्त यह सोचना होगा कि पुलिस का काम प्रदेश में ला ऐन्ड आर्डर मेन्टेन करना होता है । इस विभाग के दूसरे जो काम हैं वे सब नम्बर २ हैं । जब लगभग १ १/२ करोड़ रुपया ज्यादा की मांग माननीय मंत्री जी मांग रहे हैं, उस मुहकमे के ऊपर खर्च करने में के लिये एक तो सोचना पड़ेगा कि प्रदेश में ला ऐन्ड आर्डर की क्या हालत हुयी, बेहतर हुयी या बदतर हुयी । अगर बेहतर हुयी है तो कोई हर्ज नहीं है अगर ज्यादा खर्चे की मांग की जाय, लेकिन अगर बदतर हुयी है तो यह मांग मुनासिब नहीं है । इसके बारे में डिटेल्स में न बताकर मैं खास-खास जो घटनायें हुयी हैं, उनको ही बताना चाहता हूं उनको सामने रखकर ही आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि ला ऐन्ड आर्डर की प्रदेश में क्या स्थिति है । इनमें खास-खास इस प्रकार हैं :--

(१) गोरखपुर में फायरिंग, इस्तिफा हुसैन के बारे में,
(२) कानपुर में फायरिंग,
(३) लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और
(४) बनारस यूनिवर्सिटी में झगड़ा,
(५) आगरा में शादी वालों को (मैरिज पार्टी) लूटा जाना,
(६) एटा में १६ आदमियों का मारा जाना,
(७) मुरादाबाद में माननीय बनारसीदास जी की गाड़ी को रोका जाना
(८) मुरादाबाद में बस का लूटा जाना,
(९) बुलन्दशहर में बस का लूटा जाना,
(१०) सीतापुर में नन्दा जी का केस,
(११) जौनपुर में झूठा केस चलाना (फाल्स इम्पलीकेशन्स केस)
(१२) दादरी में चेयरमैन वाला केस,
(१३) लखनऊ में भैया जी का केस,

यह एक लिस्ट है जिनका तजकिरा अखबारों में भी आया है और वैसे भी मालूम हुये हैं । इससे जाहिर हो जाता है कि प्रदेश में हमारा ला ऐन्ड आर्डर किस हालत में पहुंच गया है ।

[श्री रियासत हुसैन]

इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी पुलिस सिंगिल तनख्वाह में २४ घंटे काम करती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज जनता के अन्दर पुलिस के प्रति कोई कान्फिडेन्स नहीं है। आज पुलिस का सिपाही दारोगा या और कोई अधिकारी यदि गांव में जाता है तो गांव वाले गांव छोड़कर भाग जाते हैं। जनता यह जानते हुए भी कि ये लोग सिंगिल तनख्वाह में २४ घटे ड्यूटी देते हैं। लेकिन फिर भी उसके आते ही गांव छोड़ कर क्यों भाग जाता है? इसकी वजह यह है कि पुलिस के कुकर्म जो हैं उन की वजह से जनता का पुलिस के अन्दर कतई विश्वास नहीं रहा। जनता यह समझती है कि पुलिस वाले आये हैं तो कुछ न कुछ आफत गांव के ऊपर बरपा होने वाली है और इसलिये हर आदमी पुलिस के सामने आने से डरता है। ऐसी सूरत में जब हम उन सब चीजों को देखते हैं, पुलिस की रोजाना की हालत को देखते हैं और फिर मंत्री जी के सामने वे सब चीजें किसी न किसी रूप में आती हैं उन का कोई खास इंतजाम नहीं हो पाता तो हमें इस बात का रोना आता है कि क्या फायदा करोड़ों रुपया खर्च करने से। अफसोस उस वक्त होता है जब इस सारे सदन के आदमी जो जनता के प्रतिनिधि हैं और मासेज से उनका कांटैक्ट है, इस में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि अगर कहीं किसी के एरिया को खतरा होगा या किसी किस्म के अंदेशे की बात होगी तो जितनी जल्दी हम लोगो को मालूम होगी, पुलिस के आदमियों को नहीं मालूम होगा जब तक कि कोई रिपोर्ट न करे। हम लोग पुलिस को सचेत करते हैं कि देखिये फलानी जगह पर पार्टी बन्दी चल रही है और इस हालत पर पहुंच गयी है कि अगर जल्द कार्यवाही आपने दफा १५१ या १०७ की नहीं की तो वहां कोई घटना हो जायगी, लेकिन उसको कोई अहमियत नहीं दी जाती। या तो अहमियत तब दी जायगी जब किसी एक फरीक की तरफ से सौदा हो जायगा या दरोगा जी बराहरास्त उस में इंटरेस्टेड हों। मेरे पास ही एक गांव है मुरादाबाद में जहां ६ जनवरी को ३९२ की वारदात की रिपोर्ट लिखाई गयी और ४ दिन बाद ३९४ की वारदात की रिपोर्ट लिखाई गई। मैंने सी० ओ० से यह कहा कि मेहरबानी कर के मौके पर आप चले जाइये और जा कर खुद देखिये कि दो पढ़े लिखे नौजवान आपस में लड़ रहे हैं और कुछ पुराने घाघ लोग चाहते हैं उनकी जिन्दगी बरबाद हो जाय। अगर आप चले जायं तो हो सकता है कि आप उन दो नौजवानों की जिन्दगी को बरबाद होने से बचा दें। हां जायंगे, इनकार कोई नहीं करता, और जैसा आप ने कहा कि पुलिस को पब्लिक और विधायक से सम्पर्क रखना चाहिए, तो इन्कार तो कोई नहीं करता, कहते हैं कि जायंगे, लेकिन नहीं गये। और नतीजा यह हुआ कि २०/२१ की रात में एक डकैती की वारदात की रिपोर्ट हुई जिसमें तीन डाकू आन दी स्पाट मारे गये। गांव के अन्दर पार्टी बन्दी है एक ने ३९२ की और दूसरे ने ३९४ की रिपोर्ट लिखायी। हमने पहले से वार्न कर दिया था लेकिन कोई नहीं गया और नतीजा यह हुआ कि तीन डाकू तो मारे गये और कुछ ने कहा कि डकैती हुई, कुछ ने कहा कि डकैती नहीं हुई। ये तीन आदमी इन्होंने मारे और उस कत्ल को छिपाने के लिए डकैती बनायी गई है। अब दो वर्जन हो गये। मैंने मन्त्री जी को लिख कर दिया, मैं चाहता हूं कि इस मामले को सी० आई० डी० को दिया जाय जैसा कि अभी मुझ से पहले जिक्र किया गया कि मुकामी पुलिस के अधिकारियों को अगर यह मालूम हो जाय कि सी० आई० डी० को मामला दे दिया जाय तो उस मे अपनी इन्सल्ट फील करती हैं। जब हम पुलिस को पहले से सचेत कर रहे हैं और आप नहीं जाते तो फिर हम सिवाय सी० आई० डी० के और क्या कहें ताकि जो कन्फ्यूजन है वह तो दूर हो सके उस के बाद जो भी दोषी होगा उसे दंडित किया जायगा? लेकिन मालूम नहीं क्या आर्डर हुए? मुकामी पुलिस वाले अब जब मिलते हैं तो कहते हैं कि भाई क्या बतायें फलां वजह से मौके पर नहीं पहुंच पाये। कुछ कहते हैं कि डकैती हुई, कुछ कहते हैं कि नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि ऐसे संगीन मामलात में सी० आई० डी० का इस्तेमाल किया जाय। बारहा ऐसे मामले होते हैं पुलिस के कर्मचारी जो हैं वह उन्हें छिपाने की कोशिश करते हैं पर्सनल इंटरेस्ट होने के कारण। नतीजा यह होता है कि मुरादाबाद में फायरिंग हुई। लड़के मारे गये। उसके बाद स्वतंत्र पार्टी के जल्से हुए। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि थर्ड डिग्री मैथड किसी भी हालत में नाखून

बराबर भी अंग्रेजी जमाने से कम नहीं हुआ है। आज भी थाने में छिपकली बनाई जाती है। डाक्टर शौकत को छिपकली बनाया गया, लियाकत हुसैन की दाढ़ी नोची गयी थाना मुगलपुर में। डी० आई० आर० चला तो उसका मिसयूज इतना किया गया कि उस की सेंक्टिटी ही खतम कर दी। सिपाहियों की पर्सनल रंजिश निकली। कह दिया कि यह आदमी पाकिस्तान की तारीफ कर रहा था। देश को गाली दे रहा था। डी० आई० आर० के अन्दर उस को बन्द कर दिया गया।

एक कंट्रोल रूम बनाया गया। आप देखें कि डी० आई० आर० के कितने केसेज में जिलाधीश ने इंक्वायरी की? आपने बुद्धा की इंक्वायरी करा ली, नत्थू से, वह भी कांस्टेबिल और वह भी कांस्टेबिल। लिहाजा बूढ़ा आदमी गिरफ्तार हो गया। इंक्वायरी की जानी चाहिये कम से कम डी० एस० पी०, सी० ओ० अथवा किसी गजटेड आफिसर के जरिये ताकि शिकायत करने वाले को महसूस हो कि गलत शिकायत करेगा तो मेरे ऊपर भी आफत आयेगी। नतीजा यह हुआ कि मुरादाबाद में जब से डी० आई० आर० चला तब से कंट्रोल रूम बन गया। जितने फकीर थे, दाढ़ी वाले फकीर थे, पागल थे उनको कंट्रोल रूम में ले जाया गया। दो तीन दिन उन को कंट्रोल रूम में रखा गया। कुछ को छोड़ दिया और कुछ को जेल भेज दिया गया। इस तरह से डी० आई० आर० का मिसयूज मुनासिब नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप कम से कम क्राइम डिटेक्शन साइंटिफिक मेथड से करें। साइंटिफिक सेक्शन आपने कायम किया था, एक डायरेक्टर बनाया था लेकिन इमर्जेंसी के नाम से खत्म कर दिया। बात यह है कि पुलिस का डिपार्टमेंट जो है वह चाहता नहीं कि साइंटिफिक मेथड से इंवेस्टिगेशन हो। वह रुकावट डालता है। लखनऊ के मामले ले लीजिये और आप देखें किस तरह से इंक्वायरी होती है। कैसरबाग में मिस्टर वर्मा हैं। डेढ़ साल आये हुए हुए हैं। उनके पास दो दो मोटर साइकिलें हैं ११ हजार के पलंग हैं। हमको सेंट्रल गवर्नमेन्ट से एक चिट्ठी मिली कि एम० एल० एज० और एम० पीज० जीप गाड़ी खरीद सकते हैं। उसमें ३, ४ हजार रुपये का फायदा है लेकिन २५ परसेंट उसका फायदा नहीं उठा सके। ३०० रुपये तनख्वाह हमारी है। भत्ता मिला कर ५०० रुपये पड़ जाता है लेकिन २५ परसेंट लोग जीप नहीं खरीद सके। थानेदार को १५० रुपये मिलते हैं और सब मिला कर २५० रुपये पड़ते हैं तो वह कैसे दो, दो मोटर साइकिलें रख सकता है? मेरा निवेदन है कि केवल दफा ७ और पैरा ५०० से काम नहीं चलने वाला है। जब किसी दरोगा के बारे में स्क्रिप्चर्स पास होते हैं तो उसमें थोड़ी भी लीनियेन्सी न बरतिये। जब प्राइमा फेसी केस बन जाय तो कोर्ट आफ ला में उसे क्यों न प्रोड्यूस कीजिये? दफा ७ और पैरा ५०० सफाइस नहीं है। उससे परपज सर्व होने वाला नहीं है। कोर्ट आफ ला में प्रोड्यूस कीजिये वहां वह सफाई देगा। यही बात कह कर माननीय दुबे जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है और मैं उसका समर्थन करता हूं।

*श्री रामभजन (जिला खीरी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है उसका समर्थन करता हूं, लेकिन इसके साथ ही साथ इस वक्त जो हमारे देश की हालत है और हमारे विभाग की जो सूरत हाल है उसे मैं ठीक से आप के सामने न रखूं तो इसके माने यह होंगे कि मैं अपने कर्त्तव्य से च्युत होता हूं और अपने फरायज को अदा करने में कोताही करता हूं।

वास्तविकता यह है कि जब हमरा देश स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद हम समझते थे कि अंग्रेजी शासन काल में जो शक्ल पुलिस की थी वह बदलेगी और इस तरह बदलेगी जिससे कि हम फख्र के साथ कह सकेंगे कि हमारे राज्य में हमारी पुलिस की क्या हालत है। लेकिन ज्यों ज्यों वक्त गुजरता गया त्यों त्यों उस की सूरत हाल बिगड़ती गयी और आज हम इस परिस्थिति में हैं जब कि हमारा देश चारों तरफ खतरे और मुसीबतों से घिरा हुआ है। ऐसी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामभजन]

हालत में इस बात की और भी जरूरत थी कि हमारी पुलिस बहुत ही सतर्कता, जवांमर्दी और मुस्तैदी के साथ काम करती और हमारे प्रदेश के लोगों में एक तरह का विश्वास पैदा करती। लेकिन जब मैं पुलिस के बारे में कुछ बोल रहा हूं तो मुझे इस बात का एहसास है कि हमारी पुलिस ने कुछ ऐसे भी कारनामे किये हैं जिनके बारे में हमें फख्र है और इसे भी हम तस्लीम करते हैं कि पुलिस विभाग में कुछ इस तरह के लोग भी हैं जो सच्चे और ईमानदार हैं और इस विभाग में सच्चाई और ईमानदारी की जितनी तारीफ की जाय वह कम है। लेकिन मजमुई तौर पर पुलिस विभाग की हालत जितनी गिरी हुई है उतनी और किसी विभाग की देखने में नहीं आती।

आज हमारे मुल्क के सामने दो ही सुरक्षा के मोर्चे हैं। एक तो बाहरी हमले से बचाव और दूसरे अन्दरूनी शान्ति का रहना। फौज के द्वारा हम बाहरी हमले को रोकते हैं और अन्दरूनी मामलात में हम पुलिस के द्वारा देश के अन्दर लोगों में विश्वास पैदा करते हैं। हमारे देश के अन्दर बड़ी बड़ी योजनायें चल रही हैं जिनके लिये मुल्क काफी तौर पर एड़ी और चोटी का जोर लगा रहा है और करोड़ों और अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है। हम देखते हैं कि हमारा देश प्रगति कर रहा है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से हमारे देश के लोगों को अच्छी तरह से विश्वास नहीं है।

(इस समय २ बज कर २६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये।)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा मंत्री जी से यह अपील करना चाहता हूं कि हम चाहे जिस तरह की प्रगति करें, लेकिन जब तक इन्सान की सुरक्षा और उसको आराम से सांस लेने का मौका हासिल नहीं होगा तब तक हमारी सारी प्रगति बेकार है। हम देखते हैं कि हमारी असेम्बली के अन्दर मेम्बर लोग कभी कभी पार्टी प्रोपेगैंडा के लिये ज्यादा से ज्यादा शोर गुल मचाते हैं और गलत इल्जामात लगाते हैं। लेकिन जहां तक इस डिपार्टमेंट का ताल्लुक है इसमें जो कुछ भी बातें कही गयी हैं वे ७५ फीसदी सही हैं। ऐसी सूरत में मंत्री जी का यह फर्ज हो जाता है कि आखिर यह सूरत हाल क्यों है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपने फर्ज की अदायगी में कोताही करते हैं। हम देखते हैं कि पुलिस थानों में जो रिपोर्ट लिखाने के लिये जाते हैं तो उनकी रिपोर्ट ठीक से लिखी नहीं जातीं। चोरों, डकैतों के लिये इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है कि ठीक से रिपोर्ट दर्ज न की जाय क्योंकि ऐसी सूरत में मुलजिमों के छूटने का ज्यादा इमकान रहता है। अभी हाल ही में एक घटना हुई है उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। हमारे यहां एक गांव महुआघाट है। वहां पर एक बुड्ढी औरत के यहां डकैती पड़ी। उस बुड्ढी औरत के एक कागज पर दस्तखत ले लिये गये और उसके बाद रिपोर्ट डकैती में न लिख कर चोरी में लिखी गई हालांकि उस डकैती में फायरिंग हुई और कारतूस के खोल भी पाये गये और उसमें एक डकैत पकड़ा भी गया। यह वाकया चौकी का है। जब थाने को इसकी इत्तला दी गई तो वहां पर भी कोई परवाह नहीं की गई। वहां के लोग थाने पर गये और हमें बताया गया कि उसने सारा हाल खोल दिया कि इधर उधर के आदमी थे और उन्होंने डकैती डाली और होली मिलने के सिलसिले में एक ऐसा आदमी आ गया। वहां कहा गया कि डकैती जिन लोगों ने डाली है उनमें से एक आदमी यहां बैठा हुआ है जिसने डकैती डाली है। जब हमने उससे इसके बारे में पूछा तो उसने इकरार किया कि हमने डकैती डाली। इस तरह की घटनायें अक्सर होती रहती हैं।

इसके अलावा यह बात है कि झूठी रिपोर्ट लिखी जाती है। दूसरी बात यह होती है मैं मुहम्मदी थाने की बात बता रहा हूं कि एक ६/७ साल का लड़का मर गया। उसके भाई ने पुलिस में उस की रिपोर्ट लिखाई। एक सज्जन पुलिस में गये और उन्होंने वहां नाम बदलवा दिये और जो लड़का मारा गया उसके भाई के खिलाफ कत्ल का मुकदमा चालू करवा दिया। वह मेरे पास जब आया तो मैं जाकर एस० पी० साहब से मिला। उनसे मैंने बात की और कहा कि यह कैसा अत्याचार है कि जिसका भाई मारा गया है उसी को कत्ल के मामले में रखा जाय। उन्होंने मुझसे कहा कि इसकी इंक्वायरी करायेंगे। इसके बाद यह चीज

चलती रही। डी० वाई० एस० पी० या जो भी पुलिस अफसर वहां इंक्वायरी को जाता है वह थाने पर जा कर बैठ जाता है और दरोगा जी जो कहते हैं उस को ही अपनी रिपोर्ट में लिख देता है। कई बार आश्वासन के बाद आखिर में मुकदमा चला और वह सेशन्स से छूटा। इसी तरह के और भी बहुत से मामले हैं, लेकिन उन के बयान करने में ज्यादा वक्त सर्फ होगा।

चौकी मंगलीगांव में एक शख्स को इतना मारा गया कि उसका हाथ टूट गया। मैं डिप्टी मिनिस्टर से इस बारे में मिला और मुझे विश्वास हो गया कि इस तरह से बात रखने से सारी चीज साफ हो जायेगी। मैं एस० पी० और डी० वाई० एस० पी० साहब से भी मिला। मुझे उप मंत्री जी ने डी० आई० जी० के पास भेजा। उन्होंने मुझ से बात की कि क्या आप उस समय वहां मौजूद थे? मैंने कहा कि क्या आप मौजूद होते हैं जब यह चीजें होती हैं। गरज यह कि कोई संतोषजनक फल नहीं निकला। दरोगा जी अपनी जगह पर बदस्तूर कायम हैं और न उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई और न उसका तबादला ही हुआ। हालांकि मैंने उसके तबादले के लिये किसी से कुछ नहीं कहा था।

मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जहां हम लोग किसी दरोगा की या किसी पुलिस अफसर की शिकायत करते हैं तो पुलिस वालों का फर्ज हो जाता है, चाहे वह एस० पी० हो या डी० आई० जी० हो या कोई भी अफसर हो वह उसका संरक्षण करने लग जाते हैं। इसी तरह से रुदौली में भी यही चीज हुई। कई मुकदमें भले आदमियों के ऊपर झूठे चलाये गये। लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरह की चीजों से गवर्नमेंट की बदनामी होती है, हमारी बदनामी होती है,। हम नहीं चाहते हैं कि हम पुलिस विभाग की बदनामी करें, लेकिन ऐसी सूरत में हमें कहना पड़ता है।

इसके अलावा आज जरूरत है कि आज थानों में सरप्राइज विजिट करें। आप करें या आप के डिप्टी मिनिस्टर करें और देखें कि थानों की क्या हालत है? रोजाना यह हालत हो रही है कि पुलिस थाने के कांस्टेबिल देहात में घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं और कहीं कोई बेगुनाह मिल जाता है तो उसे तंग करते हैं, उससे रिश्वत मांगते हैं, उससे पैसा लेते हैं। हमारे जिले में बहुत से मुकदमें १०९ के ऐसे लोगों के ऊपर चलाये गये जो अपनी पैरवी नहीं कर सकते हैं। लोगों को पकड़कर घरों से जाकर पेश कर दिया मैजिस्ट्रेट के सामने और उनसे कह दिया कि यदि जमानत दाखिल कर दो तो छुटकारा तुम्हारा हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि उन बेगुनाह लोगों ने अपने छुटकारे के लिये जमानत दी और रिश्वत भी दी, क्योंकि वह गरीब आदमी जो कि निरपराध थे मुकदमा नहीं लड़ सकते थे। बेगुनाह लोगों को परेशान करने से जमीन और आसमान भी हिचकते हैं, लेकिन इस शासन में पुलिस ऐसा बराबर कर रही है। हमारे विरोधी दल के लोग पुलिस विभाग के बारे में जो कुछ कह रहे हैं, हमारा जहां तक अन्दाज है, वह सभी बातें सही हैं और मैं भी आपके सामने यही बातें कहता हूं। 'अगरचीनम न चीनम चहस्त, बगर खामोश बिमशिनम गुनाहस्त" के अनुसार यदि वीणा नहीं बजती है चुप रहती है तो वह भी गुनाह करती है। सो यदि हम भी सही बात को न कहें तो हम भी गुनाहों में अपने को शामिल करते हैं। इसलिये सही बात तो कहनी ही चाहिये, वही मैंने आप के सामने कही जो मैं इस विभाग के सम्बन्ध में देखता हूं मैं सरकार को इस बात से आगाह करता हूं कि यदि शासन को ठीक से चलाना है, प्रदेश की उन्नति करना है तो आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्ति की रक्षा का आप प्रयत्न अच्छी तरह से करें और हमारे अहलकार जो अभी इस प्रवृत्ति के नहीं हैं उन्हें ऐसा आप सख्ती के साथ बनायें, तभी हमारा शासन ठीक से चल सकता है, प्रदेश और देश की उन्नति हो सकती है और हम स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जिन्दा रह कर दुनिया के सामने गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा देश कितना अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त।

श्री महादेव (जिला फैजाबाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज से कुछ साल पहले की बात है कि माननीय चौधरी चरण सिंह जी को गृह मंत्रित्व का पद सौंपा गया। मैं कोई चिढ़ाने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं गृहमंत्री जी का काफी आदर करता हूं, लेकिन एक बात बता रहा हूं कि जिस समय चौधरी चरण सिंह ने गृहमंत्री का पद भार संभाला, यद्यपि उस समय बहुत सारी बुराइयां मौजूद थीं, किन्तु सारे प्रदेश के अन्दर एक ऐसी लहर पैदा हो गई थी--अधिकारियों के अन्दर भी, नुमायन्दों के अन्दर भी, कि अब हमारे साथ कोई अन्याय नहीं होने पाएगा, अहलकार भी समझ गये कि अब हम अन्याय नहीं करने पाएंगे और हमारे साथ भी कोई अन्याय नहीं होने पाएगा। लेकिन अफसोस थोड़े समय के बाद उनको वानप्रस्थ आश्रम भेज दिया गया, जंगल दे दिया गया। एक बहुत बड़ा प्रश्न प्रदेश की जनता और जिनके हाथ में सत्ता है उनके सामने है कि सारे प्रदेश में एक ही व्यक्ति है, जिस पर विरोधी पक्ष का और कांग्रेस पक्ष के भी प्रतिनिधियों का तथा अधिकारियों का पूर्ण विश्वास है कि उसके देखते और रहते हुये कोई अन्याय नहीं होने पाएगा, तो उसके हाथ से यह चीज क्यों छीन ली गयी? इसका उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के पास कोई नहीं है। सिवाय इसके कि गुटबन्दी, लेकिन इसके आगे उनको दिखाई नहीं पड़ता है कि इससे सारे प्रदेश का कितना नुकसान हो रहा है। कांग्रेस के भाई जो विभाग की आलोचना कर रहे हैं गुटबन्दी में पड़े हुये हैं और अपने गुटबन्द नेताओं से परेशान हैं। लेकिन क्या उन्होंने कभी अपनी जिम्मेदारी को समझा है और समझ कर भी क्या उन्होंने इस प्रश्न को कन्ग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में और पार्टी मीटिंग में उठाया है कि इससे वह अपने प्रदेश को खतरे में डाल रहे हैं जनता के जन जीवन को खतरे में डाल रहे हैं? अच्छा होता कि वह अपनी जिम्मेदारी को समझे होते और इसका विरोध अपनी पार्टी के अन्दर भी उन्होंने किया होता। अब केवल मंत्री महोदय के ऊपर सारा दोष ढकेल देना मैं उनकी नादानी समझता हूं।

गृह मंत्री महोदय, आपका काम बहुत कठिन है। कारण आपको दो घोड़ों की सवारी करनी पड़ती है, एक तरफ जनता और नुमायन्दे हैं और दूसरी तरफ विभाग है। एक तरफ वह यह देखें कि पुलिस वाले जनता को परेशान न करें और दूसरी तरफ जनता पुलिस के काम में बाधा न पहुंचायें उसके काम में सहयोग दे। ऐसी हालत में चाहे कोई भी गृहमंत्री हो उसका काम बहुत कठिन है और वह तभी अपना काम निभा सकता है, जब उसे अक्षुण्ण विश्वास दोनों का प्राप्त हो और यह प्रस्ताव प्राप्त होने के लिये उस को हर तरह के शक और सन्देह से बहुत ऊपर उठना होगा।

यही एक रास्ता है इन दो घोड़ों, जिनकी दिशायें भिन्न हैं और जिनमें आपस में संघर्ष भी है को अपने बागडोर में रखने का। पता नहीं क्या बात है मैं तीन साल से नहीं था पेटीशन की वजह से एम० एल० ए० नहीं रहा इधर महीन दो महीन से आया हूं, मुझे पता नहीं कि क्या बात है कि माननीय गृह मंत्री के ऊपर विपक्ष का ही नहीं उस पक्ष के लोगों का भी बहुत कम विश्वास रहा है यह हमारे लिये बहुत ही दुख की बात है। ऐसी दशा में केवल कानून बदलकर के और थोड़े सुधार करके इतने बड़े विभाग की कार्यवाही पर आप अंकुश नहीं रख सकते। व्यक्तियों का प्रभाव से कानून उसका स्थान नहीं ले सकता कानून का स्थान व्यक्ति नहीं ले सकता लेकिन व्यक्ति का स्थान भी अपने स्थान पर है। उस पर नुमाइन्दों का जनता और विभाग का विश्वास होना आवश्यक है। काम बहुत कठिन जरूर है लेकिन वह पूर्ण विश्वास हो तभी सम्भव है। यह काम अकेले गृहमंत्री का नहीं है यह काम सारी कांग्रेस पार्टी का है सारे मंत्रिमंडल का है। अगर उनको सही माने में जनता के दुखदर्द का अनुभव हो जैसा वह कहते हैं तो उस पर केवल यहां बहस करने से काम नहीं चलेगा। उनको अपनी पार्टी के अन्दर बहुत गहराई से इस सवाल को उठाना पड़ेगा और सारे मंत्रिमंडल को विचार करके इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा।

पुलिस

जहां तक पुलिस में आम भ्रष्टाचार और उसकी अन्य कार्यवाहियों की बात है उसके बारे में मैं क्या कहूं। उसके बारे में इधर और उधर के भी माननीय सदस्य काफी कह गये हैं। तीन मोटे सवाल इस विभाग के सामने है।

पहली यह है कि क्या वर्तमान परिस्थिति में हम पुलिस को जनता का भी विश्वासपात्र बनाने में सफल हो सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल है। कठिन है। आसान नहीं है। समय लगेगा। लेकिन यह प्रमुख प्रश्न है। उसमें बहुत सी बाधायें हैं जिससे आप भी जानते है और इधर के लोग भी जानते है। एक बाधा यह है कि उसमें सब्र की जरूरत है। वह भी पुलिस है जो इंगलैंड में है जिसकी हम और आप तारीफ करते हैं और जिसके ऊपर वहां की जनता हर बच्चा, पुरुष, स्त्री पूर्ण विश्वास रखते है जितनी कि अपने सगे पर भी नहीं रखते हैं। क्या बात है? कोई भी व्यवस्था हमें करनी चाहिये माना अंग्रेजी जमाने में जिस ढंग पर पुलिस संगठित की गयी थी वह आधार दूसरा था लेकिन हमने अपना आधार दूसरा बना लिया है। तो जब १८ वर्ष के अन्दर हमने उस पर प्रयास नहीं किया और उसी का नतीजा है कि वह ज्यों की त्यों है। तो क्या हम इस तरह का प्रयास नहीं कर सकते? केवल पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों के ऊपर दोष डालकर अपने को सुबुकदोश हो जाना यह हमारे लिये शोभा की बात नहीं है। आन्दोलन चलते हैं हड़तालें होती है मारपीट होती हैं दंगे होते हैं हम घर बैठते हैं पुलिस सामने खड़ी होती है उसको डंडे खिलाने पड़ते हैं उसमें ज्यादतियां भी हो जाती है इसमें कोई संदेह नहीं है। तो केवल यह कहकर कि सारा दोष पुलिस का है और हम निर्दोष हो जाय इससे तो काम नहीं चलता। इस प्रश्न को हल करने के लिये हमें पार्टीबन्दी से और इन सारी ही चीजों से ऊपर उठकर उपाय ढूढना पड़ेगा और ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी हमें अपनी विचार धारा को बदलना पड़ेगा जिससे कुछ ऐसा तरीका निकले जिसमें पुलिस का और जनता का सहयोग उत्तरोत्तर बढ़ने की तरफ चलें। अगर हम बहुत प्रयास करेंगे तब भी १५ वर्ष तो जरूर लग जायेंगे जब हम इस ढांचे में परिवर्तन कर सकें। केवल एक मंत्री के बदल होने से काम नहीं चलेगा बावजूद इसके कि वह अपनी जगह पर बहुत आवश्यक चीज है, मंत्री का महत्व कम नहीं है लेकिन उस व्यवस्था का दोष व्यक्ति पर नहीं मढ़ा जा सकता। तो आप गहराई से सोचिये चाहे कमेटी बैठाकर सोचिये चाहे स्वयं सोचिये कि जनता और पुलिस की खाई जो बढ़ती जा रही है किस तरह से पाटी जाय खोदने की तरफ न जाय। (लालबत्ती होने पर) मुझे दो मिनट और दीजिये मैं समाप्त कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है।

श्री महादेव—

दूसरा प्रश्न यह है कि पुलिस विभाग को उसके काम को अलग से नहीं देखा जा सकता उसका सम्बन्ध हमारे जीवन के हर पहलू से है। तो अगर हम चाहते हैं कि वह सुव्यवस्था आये तो हमको अपने राजनैतिक जीवन में अपने आन्दोलनों में अपने आर्थिक जीवन में और जो दूसरी चीजें हैं उन सब में सामान्जस्य बैठाना पड़ेगा। अकेले आप पुलिस विभाग को कहें सारी चीजों को अलग रखें यह नहीं हो सकता है। इसलिये सोचना पडेगा कि हम आर्थिक क्षेत्र में देखते हैं पढ़े-लिखे लोगों में बेरोजगारी की वजह से देखते हैं, जाति बिरादरी के नाम से जो खुराफात पैदा होते हैं उन सबको इसके साथ जोड़ना पडेगा। अगर इन सब का हल निकालना है तो सारे समाज को हमें देखना पड़ेगा और एक सुव्यवस्थित समाज के लिये इन सारे प्रश्नों को जोड़ना पड़ेगा। केवल पुलिस को भला बुरा कहने से काम नहीं चलेगा। अगर समाज को सुव्यवस्थित ढंग से चलाना चाहते है तो केवल पुलिस के ऊपर गुस्सा करने से काम नहीं चल सकता है। हमको उन सारे सामाजिक प्रश्नों को सामने रखना पड़ेगा तभी हम किसी दिशा में पहुंच सकते है।

तीसरा प्रश्न छोटा सा यह है कि पुलिस के दरोगा को १३० या १४० तनख्वाह मिलती है। कुल जोड़कर १५०, २०० के लगभग हो जाता है। मैं मान लेता हूं कि वह घूस लेता

[श्री महादेव]

है या कांस्टेबिल ज्यादती करता है लेकिन उसके साथ-साथ उनका भी जब यह प्रश्न उठता है तो आप क्या रास्ता उनको बताते हैं। हम लोग उसका कोई जवाब नहीं दे सकते। क्या सरकार ऐसा बन्दोबस्त कर सकती है कि कोई अगर ईमानदारी से रहना चाहे तो उसके लिए रास्ता निकाले?

पुलिस के अन्दर बहुत से ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति भी हैं, इसमें सन्देह की बात नहीं है। किन्तु उनके बचाने के लिए विभाग क्या कर सकता है। मैं आपको एक मिसाल देकर बतलाता हूं। हमारे जिले में एक दरोगा थे। उनका नाम सतगुरशरण था। यह ८,१० साल का किस्सा है। वह जिले भर में अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर थे। सारे नुमाइन्दे और जनता और सारे अधिकारी उनको जानते थे कि वह निहायत ईमानदार आदमी हैं। वे बेचारे जिन्दगी भर दारोगा ही रह गए। डी० आई० जी० दौरे पर जब वहां पहुंचे तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके यहां कोई ऐसा रास्ता है कि कोई ईमानदार आदमी अगर हो तो वह छोटे तबके से ऊपर उठ सकता हो? उन्होंने कहा क्यों नहीं। मैंने कहा कि सतगुरशरण निहायत ईमानदार दारोगा हैं और २५ साल की उनकी सर्विस हो गई है फिर भी वह दरोगा ही बने हुए हैं। कितनों को मैं जानता हूं कि जो बड़े ऊंचे पहुंच गए। तो क्या रास्ता है आपके पास? उन्होंने कहा कि दिक्कत यह है कि डिपार्टमेंट उनके बहुत खिलाफ है। मैंने कहा कि ऐसे आदमी के खिलाफ रहते ही हैं। अन्त में उन्होंने कहा कि हम देखेंगे। सतगुर शरण को मैं शक्ल से जानता भी नहीं था और कभी देखा भी नहीं था तो एक दिन वह एक लड़के की जांच के सिलसिले में स्कूल में आए। उन्होंने कहा कि मेरा नाम सतगुरशरण है और आपने मेरे लिए कुछ डी० आई० जी० से कहा है, वह मेरे लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं और कहते हैं कि तुमने जाकर अपनी तारीफ कराई और उसके लिए मुझसे कहलाया तो तुमको इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं यह सुनकर दंग रह गया। मैं उस आदमी को पहले से पहचानता भी नहीं था। मैंने डी० आई० जी० को लिखा कि यह मुझसे बड़ा गुनाह हो गया, अच्छा होगा आप उनको उनके ही हाल पर छोड़ दें। वह बेचारे बच गए। अब तो वह रिटायर भी हो गए हैं। इसके बावजूद भी पुलिस के अन्दर ऐसे कर्मठ और योग्य व्यक्ति हैं चाहे वे कांस्टेबिल हों, चाहे दारोगा हों या डी० एस० पी० हो। क्या उनको भी उठने का, अपनी ईमानदारी के बल पर आगे बढ़ने का कोई रास्ता आप के पास है? यह प्रश्न आपके विभाग के सामने हैं और इसे ही आप को हल करना है।

*श्री विजयशंकर (जिला इटावा)--

श्रीमन्, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो छोटा-मोटा पुलिस का बजट आया है, जिस पर कल से बड़ी चर्चा हो रही है, शोरगुल भी हो रहा है,, ऐसा मालूम पड़ता है कि जब से ठाकुर साहब बैठे हैं इस कुर्सी पर तब से सारे प्रदेश में एक बड़ा कहर ढा दिया गया है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतना बड़ा उत्तरदायित्व, इतनी बड़ी जिम्मेदारी जिस विभाग के पास हो, उसका कर्तव्य सचमुच बड़ा कठिन हो जाता है। प्रदेश में ही नहीं, आज मैं देख रहा हूं, सारे देश में हड़तालों की, सरकारी संपत्ति को जलाने की एक आग सी लगी हुई है और इन बातों को रोकने का दायित्व पुलिस पर है। बेचारी पुलिस को कहीं और कभी गोली भी चलानी पड़ती है, कहीं उसे अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ता है। लेकिन मेरा एक निवेदन है। पुलिस कहां से आयी, कैसे बनी? जैसा समाज है उसी से पुलिस बनी है। जब तक समाज अच्छा नहीं होगा तब तक पुलिस अच्छी नहीं हो सकती। पहले हम को समाज अच्छा बनाना पड़ेगा तभी पुलिस अच्छी बनेगी। इसी समाज से पुलिस बनती है। हमारा समाज जैसा है वैसा ही रहे और हम कल्पना करें कि हमारा पुलिस का कांस्टेबिल इंग्लैंड का सा सिपाही बन जाय तो यह नामुमकिन है। सदन में केवल आलोचना करना करने से पुलिस अच्छी बनने वाली नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हम जानते हैं कि पुलिस में लेन-देन की बात है। हम जानते हैं कि पुलिस भी गुटबाजी में पड़ी हुई है, हम यह भी जानते हैं कि थानों में भले आदमी कम ही जाया करते हैं। वहां लुच्चे लफंगे ही ज्यादा बैठा करते हैं, लेकिन एक दिक्कत है। गवाही के लिए पुलिस को लुच्चे लफंगे ही मिलते हैं, अच्छे और भले आदमी कन्नी काट जाते हैं और गवाही के लिए पुलिस को उन लुच्चे लफंगों की शरण ही जाना पड़ता है।

मेरा एक निवेदन है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि जब डी० एम० का चौका तहसीलदार के बल पर चलता है तो एस० पी० का चौका थाना इंचार्ज के बल पर चलता है और यह होते हुए हम कहें कि यह लेन-देन की बात न चले तो यह नामुमकिन है। अगर हमारे डी० एस० पी० से ऊपर के अधिकारी यह अपना बेसिस बना लें कि वे ईमानदार हो जायेंगे और वे अपने मातहतों की हमदर्दी करने की भावना त्याग दें और पक्षपात न करें तो काफी सुधार हो सकता है, लेकिन यहीं आ कर दिक्कत पड़ती है।

एक और दिक्कत है। मैं किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन प्रदेश में ऐसे दल हैं कि जिन के छोटे-मोटे कार्यकर्ता थानों में ही चाय पीते हैं, वहीं शाम को खाना खाते हैं, देते हैं, लेते हैं और दिलाते हैं। जिन दलों का यह रवैय्या है वे अगर देश को, प्रदेश को ऊपर उठाने की बात करें तो वह नामुमकिन है।

हमारा निवेदन एक और है कि हम इस सदन की जो परम्परा बना लें उसका असर सारे प्रदेश पर पड़ता है। आज यहां की बातें अखबारों में पढ़ कर देहात की जनता खिल्लियां उड़ाती हैं। गांव-गांव में पार्टीबन्दी की होड़ लगी हुई है। यह जानना नामुमकिन हो गया है कि सच क्या है, झूठ क्या है। एक आदमी तफतीश करने बैठ जाय तो गांव के आधे आदमी एक बात कहेंगे, आधे दूसरी बात कहेंगे। यह अवश्य है कि रूलिंग पार्टी बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर इन कुर्सियों पर बैठी हुई है, लेकिन हम यह नहीं मानते हैं कि जिम्मेदारी केवल मुख्यमन्त्रिणी की है। वह विरोधी दल के नेता की भी है और हम तो कहेंगे कि रूलिंग पार्टी से आप लोगों को ज्यादा ईमानदार और ज्यादा सच्चरित्र और कर्तव्य पालन करने वाला होना चाहिए। अगर इस सदन को ठीक ठीक चलाना चाहते हैं तो हम भी एक नियन्त्रित भाषा यहां बोलें और आप भी बोलें। इसका असर प्रदेश पर पड़ेगा। हम सस्ती लोकप्रियता के लिए नारेबाजी न करें, गंदी आवाजें न कसें। इससे तात्कालिक लाभ एक व्यक्ति का भले ही हो सकता है, परन्तु प्रदेश और देश का लाभ नहीं होगा। हमें बड़ा दुख है कि कल से एक बड़ी चर्चा चल रही है, जो कल सदन में घटना घटी उसका वाकई सबको खेद है और हमें अफसोस है कि प्रदेश में यह बात बड़े जोरों से फैली होगी।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हम मिलकर, बैठकर सोचें कि यह गाड़ी कैसे चलेगी। आज इस तरफ हम बैठे हैं सौभाग्य आपका हुआ तो आपको भी इधर बैठना होगा। तो हमें कोई ऐसी परम्परा न डालनी चाहिए कि हम तो धींगा-मुश्ती में बैठे भी रहें और आप बैठ भी न सकें। ऐसा वायुमण्डल खराब बना देना इस देश और प्रदेश के लिए बड़ा घातक होगा। विरोधी दल का स्वागत हमें हमेशा करना चाहिए। विरोधी दल का काम है कि सरकार को अच्छे-अच्छे सुझाव दे, सरकार की उन नीतियों की आलोचना करे जिनसे प्रदेश पीछे जा रहा हो। यह बड़ा उत्तरदायित्व है, लेकिन यह नहीं है कि हम हर बात ऐसी कहें जिससे हमारा अखबारों में नाम निकले, हमारे क्षेत्र की जनता हमारी वाह-वाह करे, हमें वोट मिलें। जब यह भावना बन जाती है तो काम ठीक-ठीक नहीं चलता। हमारा निवेदन है कि हम आप बैठकर इस मसले पर वाकई में गौर करें।

पुलिस विभाग का भी बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, पुलिस विभाग को सारे विभागों से स्वच्छ और साफ होना चाहिए, उसकी भावना बड़ी शुद्ध होनी चाहिए और विभागों में भले ही करप्शन बना रहे, परन्तु पुलिस में करप्शन की भावना और मनोवृत्ति रहना देश और प्रदेश के

[श्री विजयशंकर]

लिए कलंक है और यह पुलिस के दिमाग से निकल जानी चाहिए। यही हमारा निवेदन और इच्छा है।

श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। १७ साल के अन्दर पुलिस इतनी खराब हो गयी है कि आज कोई भी व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। न कोई रात को अपने बच्चों को लेकर कहीं जा सकता है, न रात को अपने घर के दरवाजे पर बाहर सो सकता है क्योंकि वह सुरक्षित नहीं है। उसका जीवन हर वक्त खतरे में रहता है। मैं कुछ घटनाओं को आपके सामने रखना चाहता हूं।

थाना मऊ, जिला बांदा, में सिकरों में एक डकैती पड़ी। उस डकैती में पुलिस ने एक बेगुनाह आदमी, राम जियावन कुर्मी को, पकड़ लिया। पुलिस ने उस आदमी को पकड़ कर थाने में बन्द कर दिया। उसके वारिसों तथा गांव वालों ने थानेदार से कहा कि यह बेगुनाह आदमी है इसे छोड़ दीजिए। थानेदार ने कहा कि ७ जुलाई, ६५ तक २०० रुपए दे दो, उसे छोड़ देंगे। यह घटना ४ जुलाई, ६५ की थी। जब ७ तारीख तक रुपए थानेदार के पास नहीं पहुंचे तो उसको थानेदार ने एक कोठरी में बन्द कर दिया। ८ तारीख को सुबह थानेदार ने चौकीदार से कहा उस आदमी को निकाल लाओ। चौकीदार ने आकर सूचना दी कि वह आदमी मर गया है। थानेदार ने चौकीदार को अपनी निगरानी में रखा ताकि कोई उससे बात न कर सके, और राम जियावन कुर्मी को दूसरी कोठरी में बन्द कर दिया। ८ तारीख को सवेरे जब उसके वारिस २०० रुपए लेकर गए तो थानेदार ने २०० रुपए ले लिए और कहा कि हमने उस आदमी को छोड़ दिया है। जब उनसे कहा गया कि वह आदमी कहां है, तो थानेदार ने कहा कि कहीं अपने रिश्तेदार वगैरह के यहां गया होगा। जब २५ तारीख तक उसका कोई पता नहीं चला, और उस चौकीदार ने उसके घरवालों को बताया कि वह मर गया है, तो उन लोगों ने एस० पी०, कलेक्टर, गृहमन्त्री वगैरह से शिकायत की। अखबारों में भी वह केस छपा। मैंने भी लिख कर गृह मन्त्री जी को दिया। मैंने कहा कि जब तक उस थानेदार को आप ट्रांसफर नहीं करेंगे कोई शहादत उनके खिलाफ नहीं मिलेगी, और सही बात का पता नहीं चलेगा। मगर उस थानेदार का तबादला नहीं किया गया। नतीजा यह हुआ कि शहादत नहीं मिली और वह मुकदमा छूट गया। उस केस में थानेदार ने फर्जी जमानत नामा तैयार कराया। उसकी किसी एक्सपर्ट से जांच तक नहीं करायी गयी। एक २२ साल का नौजवान कुत्ते की मौत मर गया। अभी हाल ही में जब माननीया मुख्य मन्त्री कोल कालोनी का उद्घाटन करने गयीं, तब उनसे राम जियावन कुर्मी के घरवालों ने उनसे मिलना चाहा। पुलिस वालों ने उन्हें रोका। किन्तु सुचेता जी ने उन लोगों को बुला कर उनकी बात सुनी। उसकी औरत रोई, उनसे सब बातें उनसे कहीं। उसके बाद उस थानेदार का तबादला किया गया।

एक दूसरी घटना और ४ तारीख की है पहाड़ी थाना, जिला बांदा की। वहां के एक बुड्ढे को वहां का थानेदार ८ मील तक घसीटकर थाने में लाया, उसको अपने थाने में बन्द कर दिया। उसकी हालत इतनी खराब हो गयी कि रात को वह मर गया, थानेदार का कुछ नहीं हुआ। उसको शायद लाइन हाजिर किया गया था।

एक घटना और गरवां थाने की है। वहां का थानेदार बस पर आ रहा था। कुछ लड़के सड़क पर पड़े ड्रमों से खेल रहे थे। मोटर को आता देख लड़के भाग खड़े हुए। थानेदार ने वहां पर खड़े एक चमार से पूछा, लड़के कहां गए? उस चमार ने कहा मैं नहीं जानता। इस पर उसी की लाठी उससे छीन कर उसके ऊपर चला दी जिससे उसका हाथ टूट गया। बाद में वह एस० पी० के यहां अपनी फरियाद लेकर गया, लेकिन उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं की गयी।

एक थानेदार सैयद मुहम्मद हारून के समय में सन् १९६५ के अन्दर उनके हल्के में २० कत्ल हुए जिनमें आधे से अधिक कत्ल इस थानेदार की शरारत से ही हुए। रामपुर गांव में ५ भाई थे जिनमें तीन भाई एक तरफ और दो भाई एक तरफ थे। थाने दार ने दो भाइयों को शह देकर तीन भाइयों का कत्ल करवा डाला। जब इस बारे में बहुत शिकायत आयी तब एस० पी० महोदय ने उनका तबादला कर दिया। ये थानेदार झांसी से एक लड़की को भगा लाए। उस लड़की का काम यह था कि जब कोई मेहमान वहां पहुंचता था तो उसे वह चाय पिलाने का काम करती थी। यह बात ग्राम सबादा, थाना पैलानी, जिला बांदा की है। सबादा गांव की आबादी ५ हजार की है जिसमें साढ़े ४ हजार की आबादी मुसलमानों की है। ५०० की आबादी केवटों तथा अहीरों की है। मुसलमान केवटों की ४ गायों को एक दिन पकड़ कर ले आए और उन्हें ईद के दिन ही काट डाला। जब इसकी शिकायत की गयी तो ६-७ आदमियों का चालान हुआ। वहां के एस० पी० मुसलमान थे जिनसे जाकर मुसलमानों ने कहा कि हिन्दू हमें लूट लेंगे, उनसे हमारी रक्षा की जाय, जो कि बिल्कुल गलत बात थी। इस पर वहां पुलिस तैनात कर दी गयी। इस सम्बन्ध में मैंने सवाल भी किया था तो बतलाया गया कि एस० पी० उसकी जांच कर रहे हैं। चूंकि आसपास के व्यक्तियों ने उनकी कोई मदद नहीं की इसलिए ५-७ मील के अन्दर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम लिखे जा रहे हैं और इस तरह से उनके ऊपर कोई कार्यवाही करने की फिक्र में पुलिस है।

जिला बांदा के थाना बबेरू के बस स्टैंड पर कुछ मुल्जिम को लेकर पुलिस वाले खड़े थे जिनसे कुछ लड़के बातचीत कर रहे थे, जैसा कि अमूमन लोग कैदियों से बात किया करते हैं। इस पर पुलिस वाले ने लड़कों को गाली दी और एक लड़के को डंडा मार दिया। इस पर लड़के उत्तेजित हो गए और उन्होंने एक कांस्टेबिल के हाथ से जो दूसरे थाने का था एक डंडा लेकर उसे मार दिया। उसकी रिपोर्ट की गयी। फिर रात को एक जगह जहां नौटंकी हो रही थी थानेदार मय पुलिस फोर्स के पहुंच गए और कहने लगे कि लड़कों को बाहर निकालो। इस पर वहां के लोगों ने कहा कि छुट्टी का दिन है, लड़के यहां नहीं हैं। इस तरह से बहुत कहने सुनने पर थानेदार साहब वहां से हटे। इस पर मैंने कल सवाल किया था तो मालूम हुआ कि अभी तक इसकी कोई जांच नहीं हुई है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इसकी जांच करावें। अगर यही हालत रही तो मैं विश्वास करता हूं और पेशीनगोई करता हूं—कि पुलिस और लड़कों में संघर्ष ऐसे ही चलता रहा तो उत्तर प्रदेश की हालत बंगाल से भी बदतर हो जायगी।

बिजनौर जिले में नगीना एक कस्बा है। वहां मुसलमानों ने कम से कम ५०-६० दूकानें लूट ली हैं और करीब १४-१५ लाख का सामान छीन ले गए हैं तथा उनको गाड़ियों पर लाद कर ले गए हैं। इस सम्बन्ध में वहां के डी० वाई० एस० पी० और डी० एम० का ध्यान दिलाया गया लेकिन उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं, माननीय गृह मंत्री द्वारा अनुदान का जो प्रस्ताव पेश हुआ है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। महोदय, कल से पुलिस बजट पर विवाद हो रहा है परन्तु किसी विरोधी भाई ने यह नहीं कहा कि पुलिस ने यह अच्छा काम किया सबने बुराइयां ही बुराइयां बतलाईं। इतना बड़ा माघ का मेला लगा जिसमें सत्तर लाख जनता ने स्नान किया, एक भी अप्रिय कांड नहीं हुआ। यहां तक कि अभी भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई, काश्मीर और पंजाब में य०पी० की पुलिस ने जो काम किया वह किसी से छिपा नहीं है। पुलिस ने गुंडों और बदमाशों को किस ढंग से रोका इसका किसी ने तजकिरा नहीं किया। आप सभी साथी कहते हैं कि रिश्वतखोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है लेकिन कभी उन्होंने विचार किया कि यह भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है। भ्रष्टाचार में कौन से लोग शरीक होते हैं यह उन्होंने कभी विचार नहीं किया। यह भी उन्होंने विचार नहीं किया कि अगर हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो उसका समाज पर क्या असर पड़ता है या पड़ेगा। हम भ्रष्टाचार चिल्ला

[श्री बंशीलाल]

चिल्ला कर देश में जो इस ढंग का वातावरण पैदा कर रहे हैं, क्या उससे देश का सुधार हो जायेगा। उधर के भाई अगर इधर बैठ जायेंगे तो इस ढंग से देश तो बनेगा नहीं समाज का सुधार होगा नहीं। दूसरी तरफ वे यह नहीं सोचते हैं कि समाज और पुलिस दोनों का क्या कर्त्तव्य है। हम कहते हैं कि हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जो थानों में बैठते हैं, एस०पी० के यहां सिफारिश करते हैं। अगर कोई चोरी डकैती में आ जाता है तो वोट के लालच में दबाव डालते हैं और आकर सरकार को बदनाम करते हैं उल्टा कि सरकार रोक नहीं पाती है। हमने यह देखा है कि अगर दलाल ने रिश्वत ले ली तो जनता ने उसका विरोध किया है पर दूसरी तरफ जो रिश्वत दिलाते हैं उन आदमियों की कोई भर्त्सना नहीं करता है। बस यही कहा जाता है कि सरकार निकम्मी है, पुलिस मंत्री कुछ नहीं करते हैं। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह कहा जाता है कि कांग्रेस बहुत बुरी है। परन्तु जब कांग्रेसियों पर पुलिस के डंडे पड़ते थे तब ये कहां थे।

हमारे साथियों ने कही भ्रष्टाचार की बात। भ्रष्टाचार की बात सही है मैं मानता हूं। लेकिन सबसे पहले समाज को बनाना होगा। जैसे शरीर में हाथ होता है, शरीर में किसी तरह का खतरा होने पर सबसे पहले हाथ ही रक्षा करता है, इसी तरह से समाज में पुलिस का स्थान है। अगर कोई रिश्वत लेता है, चोरी डकैती करता है या गांव में गुंडागरी करता है तो हमारा फर्ज है कि पुलिस को बतलावें और अगर पुलिस नहीं सुनती है तो सरकार को बतावें। यह नहीं होना चाहिये कि वोट के लालच में नेता लोग प्रोपैगेंडा करें और सरकार को बदनाम करने की कोशिश करें। इससे किसी का भी हित होने वाला नहीं है।

हमारे क्षेत्र में, इलाहाबाद जिले में, थाना सरायइनायत है जो सैकड़ों वर्षों से बना हुआ है। वहां अभी तक पुलिस के रहने के लिये केवल छोटा सा कच्चा मकान है जिसमें कांस्टेबिल रहता है। वहां कोई हाता भी नहीं है। सब उजड़ा हुआ पड़ा है। वहां एक आफिस है, उसकी भी वही हालत है। सरकार इस तरफ ध्यान दे और थाने की मरम्मत करावे।

आजकल तार-कटिंग बहुत ज्यादा होती है। हमारे माननीय सदस्यों ने कभी यह नहीं बतलाया कि उनके क्षेत्र में कौन बदमाश है। आजकल रेलवे लाइन पर जो चौकीदारों की ड्यूटी लगाई गई है वे रात भर ड्यूटी देते हैं तो दिन में सोवेंगे भी। उन्हें थानेदार डांटते हैं। मुझसे उन्होंने शिकायत की हम सब कुछ करते हैं और रात में जागते हैं, काम करते हैं तो दिन में सोवेंगे भी। उनको केवल ४ आने या ६ आने रोज और कुल लगभग ५ रुपया माहवार और थोड़ा अलाउन्स मिल जाता है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि जो रातभर ड्यूटी दें उनके बच्चों की देख-रेख जरूर की जाय।

थानों में एस०पी० या और इसी प्रकार के अफसरों की ओर से इंस्ट्रक्शन्स जाते हैं कि १०९ और ११० के मुकदमे लावें। इससे ईमानदार थाने दारों के सामने भी बेईमानी करने का सवाल पैदा होकर उन्हें यह करना पड़ता है। उनको बनावटी केस बनाने पड़ते हैं। ऐसे आदेश नहीं होने चाहिये। इसके बाद मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। वे हमारे इलाहाबाद के पास के ही हैं, काफी उनसे मेरा परिचय है। वे ठाकुर स्वभाव के जरूर हैं, लेकिन पुलिस विभाग के अपने कर्त्तव्य को बहुत समझते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं गलत सिफारिश को कभी नहीं मानते। इन शब्दों के साथ मैं पुलिस विभाग को उसके द्वारा कश्मीर में, पंजाब में और यू०पी० के बार्डर पर बड़ा अच्छा कार्य करने के लिये बधाई देता हूं।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, दो घंटे का समय बढ़ा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

और भी बहुत से कार्य हैं। समय नहीं बढ़ेगा।

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

इस समय व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री लखपतराम शर्मा—

आप चेयर पर बैठकर साक्षात भगवान नहीं हैं जो पहले से ही समझ लेते हैं कि कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हमारी पार्टी की तरफ से एक भी सदस्य को बोलने का मौका नहीं दिया गया है। पार्टी की तरफ से नाम भी जा चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। चेअर जिसको उचित समझेगी उसको बोलने का समय देगी।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, इस राज्य में जो पुलिस का ढांचा है वह अंग्रेजी राज्य का ही है। अंग्रेजों ने जो यह पुलिस का ढांचा बनाया था वह इस मकसद से बनाया था कि उनका अपना मकसद हल हो। लेकिन अब स्वतंत्र हिन्दुस्तान में पुलिस का ढांचा किस प्रकार का होना चाहिये, इसके ऊपर इन १७–१८ सालों में विचार नहीं किया गया। एक खास वर्ग विशेष के फायदे के लिये इस ढांचे को खड़ा किया गया था और मौलिक रूप से पुलिस स्टेट बनाया गया था। उसकी मौलिकता में आजादी के बाद भी कोई अन्तर नहीं आया है। दुनिया का नक्शा उठा कर देखिये। इस तरह का पुलिस का ढांचा कहीं नहीं है। इगलैन्ड में भी पुलिस का ढांचा इस प्रकार का नहीं है। वहां की पुलिस काउन्टी काउसिल्स के अधीन रहती है। यह काउन्सिल इसी प्रकार की है जिस प्रकार की हमारी जिला परिषद् है। पुलिस स्थानीय नुमायन्दों के द्वारा नियंत्रित रहती है। हमारे यहां आई०जी० डी०आई०जी० आदि बड़े बड़े ओहदे रखे गये हैं। मैं समझता हूं कि स्वतंत्र भारत में इन ओहदों को खत्म होना चाहिये और पुलिस का ढांचा ऐसा हो कि जिस पर लोकतांत्रिक नियंत्रण हो सके। हमारे यहां भी पुलिस के लोकल यूनिट्स होने चाहिये जिस तरह की ग्रेट ब्रिटेन में हैं और ग्राम प्रधानों और ब्लाक प्रमुखों का उन पर नियंत्रण रहे। आज यहां होता क्या है? बड़े से बड़े आई०सी०एस० और आई०ए०एस० अफसर की इन्क्वायरी एक सिपाही को सौंप दी जाती है और यह जिम्मेदारी उसकी हो जाती है कि वह उन के खिलाफ इन्कवायरी करे। आप जानते हैं कि पिछले सौ सालों में किस तरह से उसकी शिक्षा नगण्य रही है और किस ढंग की रही है और वह आज के समाज में अपने को किसी तरह से भी फिट नहीं कर पाता है। हम चाहते हैं कि एक आमूल परिवर्तन इस विभाग के पूरे ढांचे में किया जाय और एक ईमानदारी के ढंग से सुचारुरूप से इस विभाग को चलाया जाना चाहिये। हम तो चाहते हैं कि इन पुलिस विभाग के लोगों का करैक्टररोल भी इन ग्रामीण इकाईयों के प्रधानों और ब्लाक प्रमुखों के सुपुर्द होना चाहिये। इस तरह से बहुत सा भार पुलिस का कम हो जायगा और अच्छी व्यवस्था हो सकती है। इसलिये मेरा पहला सुझाव यह है कि सरकार को आमूल परिवर्तन इस पुलिस के ढांचे में करना चाहिये।

बहुत से लोगों ने अंग्रेजी राज्य की पुलिस की तारीफ की, लेकिन जिस तरह की पुलिस अंग्रेजी राज्य में थी और जो गड़बड़ी उस जमाने में थी वह अगर बुरी थी तो अब वह और भी बुरी हो गई है। अंग्रेजी जमाने में भ्रष्टाचार ऊपर नहीं था केवल थानेदार और सिपाहियों में था, लेकिन आज वह सिपाही से लेकर होम मिनिस्टर, आई०जी०, डी०आई०जी० तक पहुंच गया है जो ऊंची कुर्सियों पर विराजमान हैं। पार्टीबाजी वहां तक पहुंच गई है। माननीय

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

सदस्यों ने ठीक कहा कि शिकायत करने पर जो कार्यवाही अंग्रेजी राज में हो जाती थी वह आज नहीं होती। मैं इस का सबूत दूंगा। हमारे यहां जियाउल हक साहब का मर्डर हुआ। उस केस में गृह मंत्री जी चाहते थे कि मुलजिमान पर मुकदमा न चले, लेकिन किसी तरह से बड़े दबाव के बाद मुकदमा चलाना पड़ा और मुजरिम को कोर्ट से फांसी की सजा हुई और वह मामला अपील में गया हुआ है। आज पुलिस कभी इस दल के और कभी कांग्रेस की गुटबन्दी में फसी रहती है, इसी सांठगांठ में राजनैतिक प्रभाव में वह आसानी से चली जाती है। आज गृह मंत्री से नीचे के सिपाही तक पार्टीबन्दी बढ़ी हुई है और पुलिस में भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है कि हमारे जिले बलिया से लगा हुआ बिहार का सूबा है। वहां पर जैसे अनुग्रह बाबू और श्री बाबू के दो गुट थे ठीक उसी तरह से हमारे यहां यह हो रहा है कि कौन किस गुट का है, कौन गुप्ता गुट का है, कौन कमलापति त्रिपाठी ग्रुप का है। इसी दलबन्दी में पुलिस काम करती है। सन् ६७ का इलेक्शन आने वाला है। अब यह सवाल है कि किस जिले में कौन एस० पी० रखे जायं, कहां कौन दरोगा भेजा जाय ताकि एलेक्शन में काम ठीक से चले और विरोधी दल को और कमलापति के दल को हराने में मदद कर सके। तो जब पुलिस के पर्सनल में यह होगा कि कौन गुप्ता जी के दल का है और कौन कमलापति जी के दल का है। तो कैसे पुलिस की व्यवस्था ठीक रह सकेगी ?

तीसरे यह भाई भतीजावाद और कुनबापरस्ती इस जोर पर है कि मैं क्या बताऊ, केवल एक उदाहरण मैं देता हूं। डी०आई०एस पी० कम्पलेंट्स का एक दफ्तर था वह टूट गया। उस दफ्तर में सारे यू०पी० में ३२-३३ आदमी थे। सारे स्टेनो हटाये गये एक आदमी के लिये और आर०एस०मिश्रा का अप्वाइंटमेंट किया गया। यह भेदभाव क्यों किया गया ? जी०ओ० की भी कापी मेरे पास है। कापी आफ जी० ओ० नम्बर १८७८/८-ए-४४५/६३, डेटेड अगस्त २७, १९६५, होम पुलिस ए० विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ टु दि इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।.....Subjet—Representation of copiest Sri R. S. Misra, District police officer with reference to.....the Governor is pleased to order.....तो श्रीमन, जिस प्रकार से जी०ओ० निकलता है उसी प्रकार से एक आदमी को रिइंस्टेट करने के लिये यह आदेश निकाला गया है।

एक सदस्य—

क्या वे श्री मिश्रा हैं ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

जी हां मिश्रा हैं। हम उनका केस प्लीड नहीं कर रहे हैं लेकिन हमारा कहना केवल यह है कि जिस तरह से यह एक व्यक्ति के लिये, उसको इंक्रीमेंट देने के लिये उसको नौकरी देने के लिये यह जी०ओ० निकाला गया है, उसी प्रकार से उन ३२ आदमियों के लिये भी निकाला जाना चाहिये था। अगर ऐसा किया जाता तो हम समझते कि आपके विभाग में ईमानदारी से काम होता है, लेकिन इससे, श्रीमन, हम क्या समझें।

आज आपके विभाग में चाहे वह आई०जी० हों या सेक्रेटरी हों सब यह समझते हैं कि जब मिनिस्टर ही -३ या ४-४ गल्तियां कराते हैं तो हम भी अगर एक कर लें तो क्या नुकसान है। नीचे के अधिकारी समझते हैं कि अगर मिनिस्टर अपनी मर्जी से ३-३ थानेदारों के तबादले करवाते हैं तो वे भी अपनी मरजी से कर देते हैं। अगर माननीय मंत्री जी २-४ अपने काम करवाते हैं तो नीचे के अधिकारी जो होते हैं वे भी मिनिस्टर की गल्तियों को, उनकी कमजोरियों को भांपते रहते हैं कि वे कहां पर हैं। इस तरह से वे बेलगाम होकर काम करते हैं। आज पुलिस में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। हम लोग जो शिकायत करते हैं, वे सुनी नहीं जाती हैं। वे चाहते हैं कि आज जो हालत बंगाल में है, वही हालत वे यहां पर भी पैदा करें।

(माननीय शिव प्रसाद गुप्त का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)––

उपाध्यक्ष महोदय, आखीर में मंत्री तो जवाब देंगे ही । हम को भी कुछ कहने का अवसर होना चाहिये ।

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी आलोचनाओं को, जो माननीय सदस्यों ने की हैं, बड़े ध्यान से सुन रहा था । आलोचनाओं का होना बड़ा स्वाभाविक है । और खास तौर से पुलिस विभाग की क्योंकि यह विभाग सबसे ज्यादा जनता से संबंध रखता है, चाहे उन आदमियों से हो, जो कानून का पालन नहीं करते हैं और चाहे वह संबंध जन साधारण से रखता हो । आदमियों की आवश्यकतायें बहुत बढ़ गयी हैं । इन आवश्यकताओं की पूर्ति जब नहीं होती तो वह धन से परेशान होकर गलत तरीकों पर आ जाता है । तो ऐसे युग में जहां कि धन की बड़ी आवश्यकता हो और धन की समाज में मान्यता मिलती हो, तो जुर्मों का बढ़ना बड़ा स्वाभाविक है । पुलिस की शिकायत करना मुझे कोई साधारण बात मालूम नहीं होती क्योंकि जब नागरिक अपमानित होता है, उसको इंसाफ नहीं मिलता है, पुलिस कड़ाई करती है, तो उसका दूषित होना स्वाभाविक है । आपके सामने माननीय सदस्यों ने बड़ी मिसालें रखीं कि पुलिस के दरोगा ने किसी को पकड़ा, मारा पीटा और बन्द कर दिया, डाकुओं ने १६–१६ कत्ल कर दिये, कहीं पर दारोगा ने बलात्कार किया । वास्तव में ये बातें बहुत बुरी हैं । मैं भी उनका समर्थक नहीं हूं ।

एक बात मैं यह भी बता दूं कि मैं पुलिस के अधिकारियों की, जो गलत तरीके से कार्य करते हैं, उनकी वकालत करने भी नहीं खड़ा हुआ हूं । मैं तो यह समझता हूं कि जो अधिकारी हैं, चाहे वह पुलिस विभाग में हों, या अन्य किसी विभाग में हैं, यदि वे अपना दायित्व पूरा नहीं करते हैं, अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करते, कार्य करने में गलती करते हैं तो उसको सजा अवश्य मिलनी चाहिये । लेकिन क्या श्रीमन्, उस को सजा केवल एक मंत्री और सरकार के द्वारा ही दी जा सकती है ? क्या जितना सबूत सजा देने के लिये काफी है वह किसी अफसर की एक जांच से निकल सकता है ? वह सब सबूत हमको तब मिलेगा जब माननीय सदस्यों का सहयोग हमें प्राप्त होगा । लेकिन माननीय सदस्यों की यह शिकायत हो सकती है कि उन का सहयोग प्राप्त करने का हम प्रयत्न नहीं करते । मैं उपाध्यक्ष जी, आपके द्वारा माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाता हूं कि कोई सरकार और खास तौर से जन कल्याण में जो सरकार कार्य करती हो, प्रजातांत्रिक ढंग पर जो सरकार बनी हो कभी इच्छा नहीं रख सकती कि उस प्रशासन में कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो, उसे भी यह अच्छा नहीं लगेगा । जब उसके नोटिस में यह बात आती है कि उसके अमुक कर्मचारी ने या अधिकारी ने गलत काम कर दिया तो जितना माननीय सदस्य को सुनने में दुख होता है उससे अधिक दुख हमको भी होता है क्योंकि हमारा उत्तरदायित्व भी थोड़ा सा उन से अधिक है । लेकिन हम सब को मिल कर उस का इलाज निकालना होगा और हमें उन परिस्थितियों का भी अवलोकन करना होगा जिनमें पुलिस विभाग कार्य करता है । अभी आप के समक्ष एटा के किसी माननीय सदस्य ने कहा था कि पुलिस थाने में टेलीफोन होना चाहिये, यातायात साधन होना चाहिये, यानी जीप वगैरह होनी चाहिये । पुलिस के कर्मचारियों को तनख्वाह ज्यादा मिलनी चाहिये, जो सिपाही दौरे जाते हैं, जब गश्त पर निकलते हैं तो उन पर जूता भी अच्छा नहीं होता । तो यह सब चीजें सरकार जरूर देना चाहती है, लेकिन क्या जो विभाग केवल सेवा का कार्य करता है उस के ऊपर कितना खर्च किया जाय उस की भी कोई सीमा होगी ?

मैं आपके समक्ष कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं जिससे माननीय सदस्यों को यह जानकारी होगी कि हमारे प्रदेश में पुलिस पर कितना प्रतिशत खर्च होता है । १७ करोड़ के करीब इस विभाग पर खर्च करते हैं जो हमारी आमदनी का अनुपात में ६ परसेंट के लगभग है और प्रदेशों में कहीं १४ परसेंट, कहीं ८ परसेंट और कहीं १२ परसेंट खर्च होता है । माननीय सदस्य यह कह सकते हैं कि आप भी खर्च क्यों नहीं करते कौन रोकता है । ग्रांट रखिये हाउस वोट करेगा

[श्री शिवप्रसाद गुप्त]

और आपको रुपया मिल जायगा। लेकिन जैसा मैंने कहा डेवलपिंग इकोनमी के युग में जहां समाज की आवश्यकतायें हों, जहां उद्योग हों, सिंचाई का प्रबन्ध हो, और जन कल्याणकारी कार्य करने हों, सेवा के एक इंस्टीट्यूशन पर खर्च करने की एक सीमा हो सकती है। सब चाहते हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस के अधिकारी रख दिये जायं। पुलिस की संख्या जो अब ८५ हजार के लगभग हो गई और १९४० में ३३ हजार के लगभग थी लेकिन उसको नाकाफी पाया जा रहा है। आप के समक्ष आलोचना सभी कोनों से आयी, मैं भी उस से अवगत हूं, लेकिन साथ में यह भी मांग माननीय सदस्य आये दिन करते हैं, और उन से उन के क्षेत्र की जनता करती है कि हमारे यहां पुलिस का थाना या चौकी खुलवाइये, पुलिस गार्ड का प्रबन्ध कर दीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, यदि पुलिस के आदमी सभी भ्रष्टाचारी हैं, सभी डाकुओं से मिले हुये हैं, तो उन गद्दारों की संख्या बढ़ाने से लाभ क्या? वह हमारी रक्षा क्या करेंगे। लेकिन मांग माननीय सदस्यों की सदैव यह रहती है कि पुलिस चौकी या थाना हमारे यहां कायम हो, यह हमको अंग रक्षक दिया जाय, हमारे यहां आर्म्ड पुलिस गार्ड दिया जाय। इसका अर्थ जो मेरी समझ में आया है वह यह है कि हो सकता है सभी माननीय सदस्य उससे सहमत न हों, कि पुलिस की उपयोगिता तो है, लेकिन पुलिस के कुछ कर्मचारी गलत काम जब कर देते हैं तब उससे रोष माननीय सदस्यों को उत्पन्न होता है क्योंकि उस बात की जानकारी उनको स्वयं होती है और जब वह देखते हैं कि उस अधिकारी को सजा नहीं मिल पाई तो वह उत्तेजित होते हैं और यहां पर अपना दुख और क्षोभ भी प्रकट करते हैं, क्योंकि यहीं माननीय सदन उनके लिये एक मात्र फोरम रह जाता है जहां वह अपनी बात खुले दिल से कह सकें। यदि उन्होंने देखा कि अमुक पुलिस अधिकारी ने कहीं अन्याय कर दिया तो वह मंत्री जी, मुख्य मंत्री तथा आई०जी० को लिख कर देते हैं। उनकी शंका समाधान नहीं हुई और वह संतुष्ट नहीं हुए तो यह सदन ही उनके लिये एक माध्यम रह जाता है जिसके जरिये वह सरकार का, अधिकारियों के प्रति ध्यान आकर्षित करें। इसलिये उनकी आलोचना का मैं स्वागत करता हूं और वे एक नहीं अनेक आलोचनायें करें और मेरी नोटिस में लावें कि पुलिस अधिकारी कहां अन्याय कर रहे हैं। हम यह उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम पूरा प्रयत्न करेंगे और उनको संतुष्ट करेंगे कि दोषी को सजा दी जाय लेकिन कृपा करके हमको सहयोग भी दें।

जैसा अभी कहा गया कि थानों में समुचित व्यवस्था नहीं है तो मैं माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि अभी तक सड़क के किनारे जो थाने पड़ते हैं उनमें भी हम टेलीफोन नहीं दे पाये। इसलिये नहीं कि सरकार ने मंजूर नहीं किया। सरकार ने मंजूर कर दिया है लेकिन टेलीफोन विभाग कहता है कि उनके पास एपरेटस नहीं हैं। इंटीरियर में तो टेलीफोन ले जाने का सवाल देर में आयेगा। अब ८ मील दूर थाने से डकैती पड़ती है। वहां से आदमी चला तो डेढ़ घंटे में थाने पहुंचा। बहुत हिम्मती और उत्साही थानेदार भी हो तो जब तक वह मौके पर पहुंचता है डाकू और बदमाश वहां से गायब हो जाते हैं। इसलिये अब यह मान कर भी हम चलें कि कर्त्तव्यपरायण अधिकारी दोषी को पकड़ नहीं पाते तो कारण यह है कि साधनों की कमी है। साधन हम ज्यादा उपलब्ध करा नहीं सकते क्योंकि पैसे की हमारे पास कमी है। जैसा पहले निवेदन किया यदि इस पूरे बजट का पैसा शांति व्यवस्था में ही रख दें तो भी शायद नाकाफी हो जाय क्योंकि जो जुर्म की प्रवृत्ति बढ़ रही है उसका कारण यह है कि लोग आज धन के पीछे पागल हो कर दौड़ रहे हैं और धर्म में जो हमारी आस्था थी वह विलीन होती जा रही है।

मैं माननीय सदस्यों से एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि और वह भी शायद सहमत होंगे कि पुलिस के सभी अधिकारी दोषी नहीं। सभी अधिकारी बेईमान नहीं, सभी डरपोक नहीं और यदि ऐसा है तो क्यों हम सभी महकमें की बुराई करें। इससे तो उसे सुधारने का कोई भी ढंग नहीं रहेगा। जो अधिकारी ठीक काम करता है उसकी प्रशंसा की जाय, उत्साहित किया जाय। तनख्वाह हम बढ़ा नहीं सकते, जूते हम कांस्टेबिल को दे नहीं सकते टेलीफोन हम दे

नहीं सकते क्योंकि हमारे पास साधन नहीं हैं। जीप हम उसको दे नहीं सकते। लिहाजा जो अधिकारी ठीक काम करता है उसकी प्रशंसा तो कमसे कम हम कर ही सकते है और उसके करने में हमको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिये। यदि यही रवैया हमारा रहा कि अच्छे आदमियों की तारीफ करते रहे और बुरे आदमी को इंगित करते रहे और सजा दिलवाते रहे तो एक दिन आयेगा जब इसी माननीय सदन के सदस्य एकमत से यह कहेंगे कि इस महकमे का काम अच्छा हो रहा है।

पुलिस की आलोचना स्वाभाविक है क्योंकि जन सम्पर्क उसका रहता है। ऐसा नहीं है कि और महकमों की खामी हम महसूस नहीं करते। और महकमों में भी खामी है क्योंकि हमारा समाज जो बना हुआ है वह उन्हीं तत्वों से बना हुआ है जिनमें यह खामियां होना स्वाभाविक है। अभी बड़े जोर से उधर से कहा गया था कि पुलिस पेशेवर गवाह पेश करती है। मैं उनसे काफी हद तक सहमत हूं। मैं जानता हूं कि भले आदमी पुलिस की गवाही देने आते नहीं, वे गवाही नहीं देना चाहते।

एक सदस्य—

सिक्योरिटी नहीं है।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब जब आप ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़े तो कोई सिक्योरिटी की मांग नहीं की थी। आप लड़े, क्योंकि आपके दिल में देश को स्वतंत्र करने की आग लगी थी। अतः हमारे दिल में यदि इस करप्शन को मिटाने की आग है तो हमें लड़ाई मोल लेनी होगी भ्रष्टाचारियों से, पुलिस के दलालों से, उन तमाम तथाकथित नेताओं से जो पुलिस की दलाली करते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम इस भ्रष्टाचार को कम नहीं कर पायेंगे चाहे जितनी आलोचना हम करें चाहे पचीसों पुलिस मंत्री बदलें चाहे आई० जी० बदलें। श्रीमन्, क्या आपके द्वारा मैं माननीय सदस्यों से यह पूछ सकता हूं कि गांव में एक कत्ल होता है लखनऊ में बैठ कर हम लोगों को भले ही न मालूम हो, लेकिन गांव वाले जानते हैं कि किसने कत्ल किया किस हथियार से किया किस वक्त कत्ल किया। लेकिन जब गवाही की बात आती है तो कहते हैं कि हमने नहीं देखा। ऐसा क्यों कहते हैं? इस डर के मारे कहते हैं कि यह तो इतना आततायी है कि कल मेरे लड़के को छुरा मार देगा, मुझे छुरा मार देगा।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

मंत्रीजी से क्या मैं जान सकता हूं कि मेरे क्षेत्र में ग्राम जवा, थाना कोसी में एक भगवती देवी नाम की औरत का कत्ल हुआ। वहां के प्रधान ने दरख्वास्त भेजी खुद सबूत के लिये तैयार है, आपको टेलीफोन भी आया, प्रार्थना-पत्र भी भेजा लेकिन कोसी और छाता की पुलिस ने उस कत्ल को दबा दिया।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि इस तरह की शंकायें माननीय सदस्यों के पास १००–२०० होंगी। जिसका माननीय सदस्य ने जिक्र किया मेरे पास टेलीफोन आया, यह सही है लेकिन माननीय सदस्य ने मुझसे यह नहीं पूछा कि मैंने क्या उत्तर दिया। मैंने कहा कि आपके पास जो सबूत है कृपया मुझे आ कर बता दें और यदि मुझको आप समझा देंगे तो मैं जरूर उस पर कार्यवाही करूंगा, लेकिन अभी तक तो मेरे पास कोई सबूत आया नहीं।

मैंने इस एक बात की चर्चा नहीं की। मैंने सभी बातों का जिक्र किया था कि यदि किसी बात को आप कहेंगे, उसका सबूत देंगे, यह भी जरूरी नहीं है कि सबूत आपके पास हो, इसलिये यदि मुझको वह साधन बता देंगे कि कैसे वह सबूत इकट्ठा करा सकते हैं तो उसमें भी मुझे

[श्री शिवप्रसाद गुप्त]

हर्ष होगा, मैं आपके ऊपर वह बोझा नहीं डालना चाहता जो पुलिस अधिकारियों का कार्य-है लेकिन केवल अपना सहयोग दे दीजिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने इसी सदन में कई बार पी० ए० सी० की प्रशंसा की है । पी० ए० सी० भी पुलिस की एक शाखा है । उसके जवानों ने अपनी मां बीवी और बच्चों का खयाल न कर के इस देश के लिये जान कुर्बान की है और उनको हमने नत मस्तक हो कर श्रद्धान्जलि दी है इसी सदन में । ऐसे जवानों की, जो बहादुरी से हमारे देश के लिये लड़े, प्रशंसा करना भी हमारा कर्त्तव्य है और हमारा कर्म है । उन पुलिस के आदमियों को जो डाकुओं से अंधेरे में कुछ बन्दूकों के सामने बिना पूरे साधनों के जिनसे उनके जीवन की हिफाजत होसके, पूर्ण आहूति लगा देते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि मैं भी उसी क्षेत्र का रहने वाला हूं जहां पर हमेशा डाकुओं की चर्चा सुनी जाती है और मैं शुरू से देखता चला आ रहा हूं कि वहां पर साल में कोई भी महीना ऐसा नहीं जाता जिसमें १–२ पुलिस के सिपाही डाकुओं से मुकाबला करते करते अपने प्राणों की बलि न दे देते हों । चम्बल की घाटियां डाकुओं का गढ़ है जहां पर नामी नामी, भयानक डाकू रहते हैं और आस पास अपना आतंक फैलाये रहते हैं । मानसिंह डाकू कितना खतरनाक डाकू था उसने कितने ईनोसेन्ट बे कसूर आदमियों को मारा, लेकिन फिर भी उससे उसके दल से पुलिस बराबर लड़ती रही बिना अपनी जान की कोई परवाह किये हुये ।

मैं श्रीमन्, आपके माध्यम से माननीय सदस्यों के सन्तोष के लिये उनकी नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि सन् ६५ में उस चम्बल में कोई भी दुर्घटना नहीं होने पायी । अभी जो नैवेदा में ११–१२ लड़कों को जो बारात के थे डाकू पकड़ कर ले गये, उस घटना का माननीय सदस्यों ने जिक्र किया । इस घटना के संबंध में जब ही मुझे मालूम हुआ है मैं भी वहां पर मौके पर गया क्योंकि मैं वहीं का रहने वाला हूं मैंने वहां पर जाकर पूरी जांच की कि डाकू कहां से आए, थाना वहां से कितनी दूर है, थानेदार कहां था, वह समय पर क्यों न पहुंचा, पुलिस ने उसमें अपना क्या कर्त्तव्य पालन किया आदि सब बातों की मैंने तहकीकात की । मैं मौके पर पहुंचा तो मैंने लाला श्री चन्द्र से जिनके यहां से इस घटना का संबंध है अकेले में जाकर पूछा । मैंने उनसे कहा कि जब आप के यहां दिल्ली के एक मालदार आदमी के यहां से बारात आ रही थी तो क्या आपने इसकी सूचना पुलिस को दी थी, तो उन्होंने कहा मेरी मति मारी गयी थी मैं ऐसा नहीं कर पाया था, मैं ऐसा करने के विचार से घर से थोड़ी दूर गया अवश्य, लेकिन फिर मैं लौट आया और मैंने ऐसा नहीं किया मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी थी मैंने ऐसा नहीं किया जो कि हमें करना चाहिये था । यह सही है कि बिना भेद के कोई ऐसी घटनाएं नहीं होती और पड़ोसियों ने इसका भेद दिया होगा । लेकिन जो हुआ सो हुआ परन्तु अब आपको यह जानकर खुशी होगी कि थोड़े समय में ही ९ लड़के छुटकारा पाकर आ गए हैं और केवल अब ३ बाकी रह गये हैं । इस बात के लिये मैं प्रशंसा नहीं करता कि ९ लड़के आ गये हैं । लेकिन वह सतर्क हैं और उन्होंने अपना कर्त्तव्य निभाया है, यह मानना चाहिये । यह भी सही है कि बाज वक्त पुलिस वालों का काम असहय हो जाता है, मैं उनकी वकालत नहीं करना चाहता हूं, जब जब उनका दोष मिलेगा उनको कानून के अनुसार अवश्य कड़ी सजा दी जाएगी ।

माननीय दुबे जी ने कल अपने भाषण में बहुत सी बातों का उल्लेख किया उन सभी चर्चाओं का मैं उत्तर दे सकूं, यह मेरे लिये सम्भव नहीं है, क्योंकि घटना इतनी हैं कि हर एक की जानकारी हमारे पास नहीं है और इतने थोड़े समय में इकट्ठा करना भी सम्भव नहीं था । लेकिन श्रीमन्, दो एक बातें जो विशेषतौर पर कही थीं मैं उनकी चर्चा चाहता हूं । यह कहा गया कि डी० आई० एस० पी०, श्री सालिक राम जो जौनपुर में हैं के खिलाफ कोर्ट ने कुछ स्ट्रिक्टर पास किये किन्तु उसका ध्यान दिये बिना उल्टे उनकी उन्नति करके उनको सहारनपुर भेज दिया गया । मैं इस संबंध में उनकी सूचनार्थ यह कहना चाहता हूं कि उनकी कोई पदोन्नति नहीं की गयी है और वह जहां थे वहीं

हैं। कोर्ट ने उनके खिलाफ जो स्ट्रक्चर पास कर दिये हैं, उस पर हम कार्यवाही कर रहे हैं। और यदि उसमें उनको दोषी पाया गया तो उस कसूर की जो भी सजा होगी वह उनको दी जायगी। यह भी कहा गया कि सी० आई० डी० हेड क्वार्टर में ५० हजार रुपया का गबन कर लिया गया है। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वहां कोई गबन है नहीं चूंकि स्टोर क्लर्क श्री तिवारी बिना छुट्टी के गैर हाजिर हो गये थे इसलिये उन्हें बरखास्त कर दिया गया है। श्री शिवनारायण ने उसके विरुद्ध रिपोर्ट की थी कि उन्होंने उनसे साईकिल के स्टेन्ड का ठेका दिलाने के निस्बत उनसे १६० रुपया ले लिया था। जब ठेकेदार ने विभाग से अपना रुपया वापस मांगा तो उस पर विभाग ने कहा कि वह आदमी तो बरखास्त कर दिया गया है नौकरी से और यदि तुमने उसे कोई रुपया दिया है तो उससे वापस मांगो। आप उसकी चारा जोई अदालत में कर लीजिये। अब हमसे इसका संबंध नहीं है।

दूबे जी ने कल यह भी फरमाया था कि प्रान्त में बहुत से लोग बिना लाइसेंस के हथियार रखे हुये हैं। यह सही है। लेकिन हमको इसकी जानकारी नहीं है और अगर हमको होती तो हम पकड़ भी लेते लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गतवर्ष १९६५ में हमने १६८ बी० एल गन्स, ६१ मजिल गन्स, २६२ कंट्रो मेड बन्दूकें, ३१ विलायती रिवाल्वर, २८ देशी रिवाल्वर, विलायती राइफिल ८ और देशी राइफिल्स ७, १ स्टेन गन और १ ब्रेन गन पकड़ी। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम लोगों की जानकारी होती है तब पुलिस हमेशा सतर्क रहती है। और कोई आदमी बिना लाइसेंस के फायरआर्म लिये होता है तब उसको पकड़ती है। हम आभारी होंगे अगर किसी माननीय सदस्य के पास कोई सूचना हो कि अमुक स्थान पर कहीं इस तरह के फायर आर्म्स छिपे हुये हैं तो हम उसको पकड़वाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। श्रीमन् कल दुबे जी ने एक चर्चा यह भी की थी कि ६० हजार रुपये का गमन हुआ और पुलिस उसमें कुछ नहीं कर पायी। गबन हुआ, इसका दुख है। गबन बुरी बात है लेकिन सी० आई० डी० ने ६० हजार रुपये पकड़ लिये थे, वह हमको रिकवर हो गये, बाकी के लिये मुकदमा चलाया गया। उनको सजा मिली और १५१८ रुपये ५२ पैसे रह गये थे और अदालत ने हुक्म दिया कि वह भी वसूल कर लिया जाय। लेकिन उसने हाईकोर्ट में अपील कर दी। हम मजबूर हैं। हमें इंतिजार करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक पुलिस की सतर्कता का सवाल है, उन्होंने पता लगाया गया और ६० हजार रुपये वसूल हो गये।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रघुवीर सहाय यादव ने एक बात का उल्लेख किया था कि एटा में एक जाति विशेष की आप मदद कर रहे हैं और कुछ डाकुओं को उन्होंने मदद किया। मुझे तो केवल यह निवेदन करना है कि किसी जाति के सब आदमी बुरे नहीं होते, किसी जाति के सब आदमी अच्छे नहीं होते, इसलिये जाति विशेष पर यह आरोप लगाना उसके साथ नाइंसाफी करनी है क्योंकि डाकू की कोई जाति नहीं होती, वह कोई जाति नहीं मानता, डाकू का प्रेम धन से है, गलत लाभ से है और वह उसी को उठाने की चेष्टा करता है। यदि ब्राह्मण डाकू है और ब्राह्मण का माल है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डाकू उसका लिहाज करने वाला नहीं है कि पंडित जी आपके पास रुपया रखा है आप बारात में आराम से सोइये। पंडित जब सबेरे उठेंगे तो अपनी गर्दन साफ पायेंगे और रुपया गायब। इसलिये किसी जाति पर दोष लगाना गलत है। हम प्रयास कर रहे हैं और जैसे ही सरकार को पता लगेगा हम उनको अरेस्ट करेंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे लेकिन ऐसा सोचना हमारे साथ नाइंसाफी होगी कि हम किसी को प्रोटेक्शन दे रहे हैं क्योंकि बदमाश तत्वों को बचाना अपना ही अहित करना है और वह हमारे लिये खुद विष का काम होगा। उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें कहीं और वे नोट होती रही हैं। किन्तु मैं माननीय सदस्यों को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि पुलिस अफसरों में जो खामियां और कमियां बताई जायगी और भविष्य में यदि वे सरकार के नोटिस में लाई जायगीं तो उन पर अवश्य कार्यवाही की

[श्री शिवप्रसाद गुप्त]

जायगी। यदि मैं इस समय उन सब बातों का उत्तर नहीं दे पाया हूं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि मैंने उनको सुना नहीं है या मेरा ध्यान उस तरफ नहीं है उन बातों की पूरी जानकारी करने का प्रयत्न किया जायगा और जो भी उचित समाधान उसका हो सकता है उसको करने का प्रयास किया जायगा।

श्री लखपतराम शर्मा—

मैं गृहमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि अभी जो आपने यह बतलाया है कि १२ बच्चे डाकू उठा ले गये थे और उनमें से ९ बच्चे मिल गये हैं तो इस घटना में जो ९ बच्चे उन डाकुओं ने वापस किये हैं क्या उन्होंने बच्चे वालों से कुछ रुपया लेकर उन बच्चों को वापस किया है ?

श्री गंगाप्रसाद वर्मा—

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि एटा जिले के अन्दर जो राजनैतिक लोग डाकुओं को और गुंडों को शरण देते हैं उनके आप लाइसेन्स जप्त क्यों नहीं करते क्योंकि इससे डाकुओं को बढ़ावा मिलता है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे यह निवेदन किया था कि जितने भी आरोप इस तरह के हैं उन आरोपों को हमने नोट कर लिया है और बाद में उनका शंका समाधान करेंगे। जो दोषी पाये जायेंगे उनको सजा दी जायगी। जहां तक माननीय सदस्य के सवाल की बात है अभी इसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि किस तरह से वे छूट कर आये हैं दो लड़कों के बारे में पुलिस कप्तान ने बताया था कि डाकू दो लड़कों को राजा खेड़ा में छोड़ कर भाग गये हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों का आभारी हूं जो इधर की तरफ से बोले और उधर की तरफ से मेरे कटौती के प्रस्ताव पर बोले। सारे भाषणों को सुनने के बाद और अभी जो शिव प्रसाद जी गुप्त का भाषण हुआ उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने आरगुमेंट के योग्य होने के लायक केस में सुन्दर आरगुमेंट प्रस्तुत की। इसलिये वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने २, ३ बातें कहीं जो मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। कुछ कहने के पूर्व मैं उनका उत्तर देना चाहता हूं।

माननीय शिव प्रसादजी गुप्त ने यह कहा कि जहां तक मैं सुन पाया कि साधनों का अभाव है। थाना एक जगह है वहां से ८ मील पर घटना होती है, जीप्स का अभाव है, टेलीफोन्स का अभाव है, कांस्टेबिलों को जूता भी ठीक तरह से दे नहीं पाते हैं। तो इन अभावों के कारण गड़-बड़ होती है। इस तरह के आरगुमेंन्ट उन्होंने दिये। मैं यह बात समझ नहीं पाया कि जूते और जीप के अभाव से दृष्टिकोण में क्या परिवर्तन हो जाता है। क्या दृष्टिकोण जूते और जीप से ही बनेगा ? मैं यह मान सकता हूं कि ८ मील दूरी होने के बाद जीप के अभाव में साइकिल पर एक घंटा के बाद आदमी पहुंचेगा या १।। घंटे के बाद पहुंचेगा लेकिन जो आज पुलिस का दृष्टिकोण है वह दूसरी तरह का दृष्टिकोण है उसमें परिवर्तन इसके कारण नहीं हो सकता है। आज जो पुलिस का दृष्टिकोण है वह सेमी आर्म्स फोर्स, फोर्स आफ आकुपेशन का दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण के कारण जो ज्यादती होती है और उसी दृष्टिकोण के कारण जो सारी एमीनिटीज लेने का प्रयास होता है उस का यह परिणाम है कि आज पुलिस प्रशासन में यह भ्रष्टाचार है। तो जूते और जीप से दृष्टिकोण नहीं बनता। आवश्यकता है मारेल और दृष्टिकोण को बदलने की। प्रश्न यह है कि यह दृष्टिकोण कैसे बदले ? मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मारेल बदलता है बाई सेटिंग ऐन एक्जाम्पिल। यानी मान लीजिये कि मैं ही एस० पी० हूं किसी जिले " और रोज मेरे बंगले से थाने में या कोतवाली में फोन जाता है कि आप चार मसहरी की लकड़ी

का इंतजाम करा दीजिये, या बर्फ भेज दीजिये, या मेम साहब शापिंग के लिये जा रही हैं, उनका इंतजाम कर दीजिये या सिनेमा के पासेज भिजवा दीजिये तो मैं नम्र निवेदन करूंगा कि यह सब भी करप्शन के कारण हैं। करप्शन के माने खाली पैसा लेना ही नहीं है। आब्लीगेशन इन एनी फार्म इज करप्शन।

मैं पब्लिक सर्विस का कैरेक्टर क्या होता है उसका एक ही उदाहरण देना चाहता हूं। श्री विश्वेसरया को आप सभी लोग जानते हैं। वे मैसूर के दीवान थे। जब वह दौरे पर जाते थे तो उनके साथ सरकारी सामान--मोमबत्ती, लालटेन आदि एक बक्स में जाता था और दूसरे बक्स में उनका अपना सामान--मोमबत्ती, लालटेन, मिट्टी का तेल अपने साथ में चलता था। जिस समय वह सरकारी फाइलें देखना खत्म कर देते थे और अपना निजी काम ले कर बैठते थे तो उनके अपने बक्स की मोमबत्ती और लालटेन निकाली जाती थी और उसे जला कर वह काम शुरू करते थे। उस समय सरकारी चीज का वह इस्तेमाल नहीं करते थे। हमारे प्रदेश में माननीय टंडन जी का भी यही आदर्श था। परन्तु आज अफसर लोग दौरे पर जाते हैं तो दावत का इंतजाम भले ही वह प्रत्यक्ष हो अथवा अप्रत्यक्ष, वह कराया जाता है। वह दोनों ही एक प्रकार के आब्लीगेशन्स हैं। आज इस प्रकार की एक्जाम्पिल्स सेट होनी चाहिये। यह जो स्टेन्डर्ड की कमी है इस के लिये आप ने क्या किया है? कैसे यह मारेल अप्रोच लाया जाय, इसके लिये आप ने क्या किया है? जैसी अंग्रेजी कहावत है कि सीजर कीवाइफ को केवल शक से बरी ही नहीं, शक से ऊपर रहना चाहिये, उसी तरह से आप का यह ही केवल प्रयास न हो कि वह गड़बड़ी न करें, परन्तु उसके लिये आवश्यक है कि हमारा दैनिक आचार, व्यवहार इस बात का चमकता हुआ उदाहरण होना चाहिये कि हमारे ऊपर कोई उंगली न उठा सके। आज आप सिनेमा प्रोप्राइटर्स से पासेज लेते हैं, उनका उपयोग आप करते हैं। यह आप पर आब्लीगेशन है।

आज हमारे देश का मारेल फाइबर चकनाचूर हो गया है। धर्म का नाम केवल घंटा बजाना और पूजा करना ही नहीं है और मैं आप से इस बात में सहमत हूं कि धर्म एक जीवन का व्यवहार है, कैरेक्टर है और आज समाज में इस भित्ति का, इस विश्वास का पतन होता जा रहा है। इसके साथ ही दूसरी आस्थायें भी नष्ट हो रही हैं। मोह आ रहा है धन का। जैसा आप ने कहा हम ने अपनी आवश्यकतायें जबरदस्ती बढ़ा ली हैं और जिसको आज स्टेंडर्ड का नाम दिया जाता है, वही हममें गड़बड़ी का एक बड़ा कारण है। आज आप समाज में चारों तरफ देखें, हजरतगंज में खड़े हो जांय तो दुख के साथ कहना पड़ता है कि धोती कुर्ता पहनने वाले आदमी को समझा जाता है कि वह मूर्ख है। आज वहां आपको चारों तरफ टेरीलीन की पतलूनों की परम्परा ही दिखायी पड़ेगी जो आज से बीस वर्ष पहले कहीं दिखायी नहीं पड़ती थी। आज से २० वर्ष पहले हमें राष्ट्रीय वेशभूषा पर अभिमान था, आज परकीय वेशभूषा में अभिमान है। मैंने अपने कान से सुना है, मैं उदाहरण दूं। मैं यह धोती कुर्ता पहने हूं। मैं एक शहर की दुकान में गया। नाम नहीं लूंगा। दूकान में कमिश्नर महोदय भी उपस्थित थे कुछ और लोग भी थे। कुछ प्रोफेसर्स थे, कुछ धनाढ्य लोग भी थे। मैं धोती कुर्ता जैसा पहने हूं वैसा पहने हुए था। दूकान में गया। मुझे देर तक खड़े रहना पड़ा। मैंने जब कहा कि जरा मेरी ओर भी ध्यान दें, तो दूकानदार ने कहा कि जरा तुम ठहर जाओ, पहले साहब लोगों का काम कर लूं। और साहब लोग कहते हैं, 'हू' इज दिस इंडियन इन धोती एंड कुर्ता? वे समझे कि धोती कुर्ते में मैं अंग्रेजी नहीं समझता। यह हमारी वृत्ति है। यह समाज की जो वृत्ति बन गयी है इसके निर्माता कौन हैं? २० वर्ष से आज समाज का चलन हमारे हाथ में है। हम, आप इस समाज का चालन कर रहे हैं और उस चालन की जिम्मेदारी आप पर है। २० वर्ष तक राजतंत्र आप के हाथ में रहा और प्लान्स के नाम पर, आर्थिक उत्थान के नाम पर समाज का जिस प्रकार से शोषण हुआ और जो भावनाएं फैलायी गयीं उसी का परिणाम आज समाज को भुगतना पड़ रहा है। आप भाग नहीं सकते।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या आप उस दायित्व से मुक्त हैं?

श्री यादवेन्द्रदत्त—

इसका जवाब भी दूंगा, पहले उनसे निपट लूं। पालीवाल जी से क्या कहूं, बुड्ढे आदमी हैं। मैं कह रहा था कि हमें उन भावनाओं के परिणामों को फेस करना पड़ेगा और आल्टरनेटिव रख कर फेस करना पड़ेगा।

श्रीमन्, हमारे शिवप्रसाद जी ने बहुत सी बातें कहीं और कहा कि हमें बहुत दुःख है। मैं मानता हूं कि उन को दुख है, जानकारी भी है। हमारी छोटी सी शिकायत है कि यह सब होने के बाद आप ने क्या किया? जब काम करने और स्टेट को सुधारने का समय आता है तो सरकार भागती है और ओट लेती है कानून की, परम्पराओं की और सिस्टम की। सिस्टम बनता है समाज के लिये, न कि समाज बनता है सिस्टम के लिए। आप तो जिसे 'हेचिंग" कहते हैं वह करते हैं। गंगवार जी का प्रश्न हुआ था कि बरेली में एक सज्जन को गवर्नमेंट आफ इंडिया के इंटेलिजेंस के आधार पर पकड़ा गया ऐंटी नेशनल ऐक्टिविटी में और आप की सरकार ने छोड़ दिया। उत्तर यह हुआ कि यह संबंधित तो भारत सरकार से है तो यह जो सिस्टम की ओट लेने की बात है वह बहुत अनुचित है। आपको ऐसे सिस्टम को बदलना चाहिए। मैं मानता हूं कि कठिनाइयां आती हैं, लेकिन शाब्दिक रूप से उन को हल नहीं किया जा सकता। अंग्रेजी में कहावत है, "माई हार्ट ब्लीड्स टु यू, बट माई पाकेट इज क्लोज्ड टू यू।" यह उचित नहीं है। जो आप कहें, वह करें।

अभी शिव प्रसाद जी ने कहा कि हमको सूचना नहीं है, जितनी सूचना मिली उतने हमने हथियार पकड़े।

श्री उपाध्यक्ष—

१५ मिनट हो गये, ५ मिनट शेष हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

इतना कहा गया, उत्तर तो देने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आप दस मिनट में समाप्त कर लें।

श्री यादवेन्द्र दत्त—

माननीय गुप्त जी ने कहा कि जितनी हमें सूचना मिली, हमने हथियार पकड़े। यह भी कहा कि इस सूबे में हथियार बहुत हैं। लेकिन मेरा जो चार्ज था उसका उत्तर मुझे नहीं मिला। हथियार न मिलने का कारण क्या है? उसका कारण है आप के इन्टेलीजेन्स का फैल्योर। आप कहते हैं हमें सबूत दें। हमें कोआपरेशन दें। जब पाकिस्तान से वार छिड़ी हुई थी, मैंने सरकार से कहा कि वह इसकी जाच करे कि जो आर्म्स ऐन्ड एम्युनिशन के डीलर हैं उनके यहां से जून १ से १५ अक्टूबर तक कितना कितना बारूद, कितनी कितनी गोलियां किस किस ने खरीदीं, इसकी जांच करायी जाय और इस बात का भी जांच करायी जाय कि उन लोगों ने उसका किस तरह से प्रयोग किया। श्रीमन्, इस सब का रिकार्ड डीलर के यहां होता है कि किसने क्या क्या चीज खरीदी। अगर यह उत्तर मिले कि शिकार के लिये उसे खरीदा, तो मान्यवर. जून १ से १५ अक्टूबर तक शिकार के लिये बैन होता है, इस पीरियड में शिकार नहीं खेला जाता, अगर कोई कहता है कि उसने शिकार खेला तो उसको अरेस्ट कीजिये, उसने कानून की अवहेलना की। अगर वह उसका हिसाब नहीं देता तो भी आप उसको अरेस्ट कीजिये। मगर सरकार ने कोई जांच उस की नहीं की।

कुंवर श्रीपालसिंह जी ने सरकार को लिख कर दिया कि कितने ट्रान्समीटर्स हमारे यहां काम कर रहे हैं। आपने कितनों को पकड़ा? आप का इन्टेलीजेन्स विभाग इसमें भी फेल्योर रहा। जो सूचना हम आप को देते हैं आप उस पर कार्यवाही नहीं करते। फिर कहते हैं कोआपरेशन नहीं मिलता।

स्ट्रिक्चर की बात मैं फिर दोहराना चाहता हूं। जब एक बार जुडिशियल स्ट्रिक्चर पास हो तो आपको उसके अनुसार कार्यवाही अवश्य करनी चाहिये। जज का दिमाग गलत हो या सही, इसका विवेचन करने का हमें अधिकार नहीं है। जब भी वह आप को रेफर हो, आप को कार्यवाही करना चाहिये। किन्तु आप कार्यवाही न कर के, उसकी जांच कराते हैं, और उस जांच में तरह तरह के प्रेशर और काऊन्टर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाते हैं और नतीजा यह होता है कि मामले को दबा दिया जाता है या यह होता है जैसा कि नय्यर साहब ने कहा कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, आप अंत में एक रुपया जुर्माना कर देते हैं।

एक बात मैं गोरखपुर के संबंध में कहना चाहता हूं। गोरखपुर नगर में क्राइम्स की स्थिति दिन प्रति दिन खराब होती जा रही है। इस सदन के माननीय सदस्य, श्री शिब्बन लाल सक्सेना को घंटों पुलिस ने बंद रखा। आपने क्या कार्यवाही की अधिकारियों के खिलाफ? जो चार्ज है वह यह है कि आप उचित समय से और उचित अधिकारियों द्वारा मामले की जांच नहीं कराते। सारे भाषणों को सुन कर मेरे मस्तिष्क में एक ही बात आयी है कि इधर से जो भी माननीय सदस्य बोले हैं, अगर सारी जिस्ट स्पीच की ली जाय या उसका निचोड़ लिया जाय तो वह यही है कि पुलिस का वर्चुअल कंडेमनेशन हर तरफ से हुआ है। और उसके सारे निचोड़ को लें तो उसके अन्दर तीन ही बातें आती हैं। एक तो पुलिस का कंडेमनेशन करप्शन के ऊपर हुआ, दूसरा कंडेमनेशन उसके मिसडीड पर हुआ और मैं क्षमा किया जाऊं अगर मैं यह कहूं कि तीसरा कंडेमनेशन जो जुर्म करने वालों के साथ पुलिस का गठबन्धन है, उसके ऊपर हुआ। यह बात अपने स्थान पर आज भी इस प्रदेश में मौजूद है और यह चीज विचार करने की है। इस सदन में आप का बहुमत है, और आप व्हिप इश्यू करा कर अनुशासन के नाम पर बहुमत के बल पर इस बजट को पास करा लेंगे, लेकिन विचार करने की बात यह है कि बजट पास होना या उसका फैल्योर होना कोई ज्यादा महत्व नहीं रखता। जनतंत्र में सब से मूल्यवान चीज होती है बहस मुबाहसे की जिस्ट। और यह बात स्पष्ट है कि पुलिस के ऊपर तीन तरह के आरोप स्पष्ट हैं।

यह सोचने की बात है कि अब इस पर क्या होना चाहिये। इस जिस्ट से स्पष्ट मालूम होता है कि सरकार और मंत्री महोदय की कमजोरी है जिससे उनका इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। विरोधी पक्ष के लोग बार बार कहते हैं कि इस कमजोरी को दूर करो। चाहे जिस तरीके से भी हो। अगर वह किसी व्यक्ति को हटाने से दूर हो तो उस व्यक्ति को हटाओ, क्योंकि आज स्थिति बड़ी विचित्र है। उपाध्यक्ष महोदय, आप देखें कि आज बंगाल में क्या हो रहा है, नागालैंड की क्या हालत है, मिजो के अन्दर विद्रोह खड़ा हो गया, भगवान न करे कि कल को कहीं खासी और गारो में विद्रोह खड़ा हो जाय जो एक तरह से सारे देश के लिये विप्लव, उपद्रव, और विघटन की सारी जड़ है। अगर वह अग्नि जलने लगी तो फिर हमारे इस प्रान्त का क्या होगा? इस तरह से हम अपनी सुरक्षा भी नहीं कर सकेंगे। क्योंकि इतिहास से स्पष्ट है कि जिसने उत्तर प्रदेश को अपने हाथ में रखा है उसी ने सारे भारत वर्ष के इतिहास को बनाया है। तो अगर यही हालत रही तो और भी आवश्यक है कि इस स्थिति को हमें बदलना चाहिये। यह कोई आरोप प्रत्यारोप के लिये मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो। इन सब बातों पर विचार करने के बाद जो मैंने केवल १६ आने की कटौती का प्रस्ताव रखा है, जहां सदन करोड़ों रुपये का बजट पास कर रहा है वहां मुझे आशा है कि वह इस १६ आने की कटौती के प्रस्ताव को भी अवश्य स्वीकार करेगा।

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

श्रीमन्, मैं माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने इस बजट के सम्बन्ध में अपने विचार बड़ी स्पष्टता से व्यक्त किये। बड़ा सुन्दर रहा होता यदि उसमें व्यक्ति का प्रवेश न किया जाता, लेकिन मुझे इसका दुख है कि उसका प्रवेश किया गया। एक बात आरम्भ में ही मैं स्पष्ट करना चाहता हूं और वह यह है कि चाहे माननीय सदस्य उसमें विश्वास करें या न करें, लेकिन मैं अन्तःकरण से यह कह रहा हूं कि मैं पदलोलुप नहीं हूं और जिस समय मुझे यह विश्वास हो जाय कि मेरे यहां से हट जाने से प्रान्त की व्यवस्था ठीक हो जायेगी तो माननीय सदस्यों के और दोस्तों के आग्रह पर भी मैं समझता हूं उस बलिदान पर न कभी पीछे रहा और न अब भी रहूंगा। यह बहुत कहा गया और मैंने सुना भी और दिल ही में चुपके चुपकेउस पीड़ा को सहन भी किया कि पुलिस हमारी नाक की बाल है। मैं माननीय सदस्यों को चाहे वे इस तरफ बैठते हों चाहे इस तरफ बैठते हों, चाहे गैलरी में बैठे हों, आह्वाहन करता हूं कि यदि मेरे कार्य काल में एक ऐसा उदाहरण मेरे सामने प्रस्तुत कर दें जिसमें मैंने किसी भ्रष्ट पुलिस अधिकारी का पक्षपात किया हो, उस को बचाने का प्रयत्न किया हो, उसके ऊपर नियम से बंधे हो कर नियमों के अनुकूल अधिक से अधिक जितना हमारे अधिकार में था दंड न दिया हो तो इसकी आवश्यकता आप को नहीं पड़ेगी कि आप यहां कोई प्रदर्शन करें। आप रात में दारुलशफा के कमरे में कोई मीटिंग करें। मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि आप हमारे सामने आ जायं, वह दृष्टान्त बतायें, दो चार की बात नहीं करता, एक की बात कहता हूं। अगर एक भी ऐसा केस आप हमारे सन्मुख उपस्थित कर दें और यदि मैं आप को उसमें सन्तुष्ट न करूं तो मैं जरूर इस्तीफा दे दूंगा।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष जी, इन्होंने राधेश्याम शर्मा, भ्रष्ट डी० वाई० एस० पी० की वकालत करके उसकी रक्षा की है, उसकी मदद की है, उसको जौनपुर में ही रक्खा है। गवर्नर के कहने पर बाद में हटाया है। एक व्यक्ति मुन्नू को जो जेल में था उस को एक डकैती में फंसाया गया और उस को फंसाने वाले दारोगा को छोड़ दिया गया और दूसरे बेगुनाह को मुअत्तल कर दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

यह बाद की बात है, वे सन्तुष्ट कर देंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र—

माननीय गृह मंत्री जी ने जो चुनौती दी है हम लोगों को कि उदाहरण दें, उसके लिये उदाहरण तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने कहा है कि उसके लिये मौका होगा, आप बैठ जाइये।

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, मुझे दुःख है इस बात का। मैं चैलेंज इसलिये करता हूं कि मुझे अपनी न्यायप्रियता पर विश्वास है। मुझे विश्वास है अपनी ईमानदारी पर। इसलिये मैं कह रहा हूं और आप के सामने एक खुला पत्र दे रहा हूं कि यदि आप मेरे तीन चार वर्ष के गृहमंत्री काल में मैं दावे से कह सकता हूं, हमारे यहां पुलिस अफसरान बैठे हुए हैं, उनके सामने कहता हूं कि किसी की यह हिम्मत नहीं जो यह कह दे कि कभी किसी के लिये मैंने उनसे या किसी से कोई सिफारिश की हो।

श्री मैनेजरसिंह—

एक कांग्रेसी की हत्या के सिलसिले में एक डी० आई जी० के पास एक विधायक को इन्होंने भेजा था।

श्री काशीनाथ मिश्र--

योगेन्द्र सिंह थानदार को इन्होंने मुअत्तिल किया, हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ लिखा है।

श्री उपाध्यक्ष---

सदन की यह मर्यादा है कि जब तक माननीय मंत्री जी बैठ न जायं तब तक आप कुछ न कहें।

श्री हरगोविन्दसिंह--

अब तो दलील की कोई बात नहीं है। मैंने तो सीधासादा आपके सामने निमंत्रण रख दिया है। हम लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यह हमारे लिये बड़े सौभाग्य की बात है कि हममें से बहुत से लोग ऐसे हैं.....

श्री काशीनाथ मिश्र---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि अगर एक भी ऐसा उदाहरण दे दिया जाय कि उन्होंने किसी भ्रष्ट....

श्री उपाध्यक्ष--

यह व्यवस्था का सवाल नहीं है। विवाद में आप चाहे जो कहें और वे जो चाहे कह सकते हैं। आप बैठ जाइये।

श्री काशीनाथ मिश्र--

वह तो चैलेन्ज कर रहे हैं और आप हमें बोलने नहीं देते हैं। इलाहाबाद मजिस्ट्रेट के यहां १४५-६५ नंबर का एक केस है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बिलकुल बेकायदा बोल रहे हैं। आप कृपा कर के बैठ जायं।

श्री हरगोविन्दसिंह---

मैं यह कह रहा था कि हमारे लिये और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों के लिये यह सौभाग्य की बात है कि हममें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है और उससे ज्यादा सौभाग्य की बात यह है कि हम को मर्यादा बनानी है---संसदीय शासन पद्धति को। यदि संसदीय शासन पद्धति की मर्यादा बनाने में हम असफल रहे, तो, श्रीमन्, मेरी यह प्रार्थना है कि वह हमारी स्वतंत्रता के लिये बड़ा घातक होगा। इसीलिये मैं कल से सब की बात सुनता रहा, अब मेरी बात भी सुन लीजिये। जो जनतंत्र हमने अपनाया है उसमें एक अभियुक्त को भी यह अधिकार है कि वह अपनी बात कहे और उच्च न्यायालय तक कहे और उसकी सुनवाई हो, लेकिन आप थोड़ी ही देर में इतने उतावले हो जाते हैं। जो चैलेंज मैंने दिया है उसका उत्तर.....

श्री मैनेजरसिंह---

यह हमारी गलतफहमी को क्या दूर करेंगे, यह हमें क्या समझायेंगे?....

श्री बांकेलाल---

यह हमें चैलेंज देंगे और हम सुनते रहेंगे.....

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठ जायं।

श्री हरगोविन्दसिंह--

तो मैं यह कह रहा था कि संसदीय शासन पद्धति में वाद-विवाद से ही शासन होता है। यदि आपको हमारी ईमानदारी में, हमारे पक्षपात रहित होने में, सन्देह था तो माननीय सदस्य होने के नाते आपका यह अधिकार है, सुरक्षित अधिकार है, कि आप मुझसे आकर पूछें, मुझको लिखें और उस के बाद अगर सन्तोषजनक उत्तर मैं आप को न दे सकूं तब तो आप का यह अधिकार है कि आप इस सदन में खड़े हो कर मेरे व्यक्तित्व के ऊपर आक्षेप करें। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से नम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि शायद वह अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं जबकि वह यहां आकर किसी को ईमानदारी पर आक्षेप करते हैं।

दुनिया में अभी तक कई शासन पद्धतियों का तजुर्बा हो चुका है। एक शासन पद्धति तो ऐसी है जिस में कि यह सोचा जाता है और हमारे डाक्टर साहब उसके मानने वाले हैं और हिमायती हैं तो उसमें यह समझा जाता है कि विकास की एक अवस्था ऐसी भी आयेगी कि जब समाज स्वतः इतना व्यवस्थित हो जायगा कि उसमें किसी शासन की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। वह अवस्था अभी दुनिया के किसी कोने में किसी देश में सम्भव नहीं हो सकी है। ईश्वर जाने, मैं तो उसमें विश्वास करता हूं। पता नहीं वह अवस्था कभी आयेगी या नहीं, लेकिन जब तक वह अवस्था नहीं आती तब तक कोई भी शासन पद्धति हो उसमें एक कोअर्सिव फोर्स का रखना आवश्यक होगा। इसी दृष्टि से माननीय सदस्यों को पुलिस की तरफ देखना चाहिये। यह कोअर्सिव फोर्स जब तक कि वह अवस्था नहीं आ जाती कि जिसमें समाज स्वतः व्यवस्थित हो जाता है, जिसमें कि किसी नियंत्रण की आवश्यकता नहीं रहती, जिस में कि मनुष्यमात्र स्वतः इतना नियंत्रित हो जायगा कि किसी दूसरी शक्ति की आवश्यकता ही नहीं रह जायगी तब तक हमें एक शासन नियंत्रण के लिये रखना ही होगा। इसीलिये पुलिस रखना अनिवार्य है। हम उसके प्रति आंख नहीं मूंद सकते।

अब जब वह चीज अनिवार्य है तो सोचने की बात यह होती है और इस बात में मैं अपने राजासाहब जौनपुर से सहमत नहीं हूं कि यह मेरे ही ऊपर जिम्मेदारी है। उनके ऊपर न हो। यह नहीं है। यह सारे समाज के ऊपर जिम्मेदारी है कि हम सब बैठ कर यह सोचें कि किस प्रकार से कोअर्सिव फोर्स को, नियंत्रण वाली जो शक्ति है उस को किस प्रकार से सुधारें। यह सब का फर्ज हो जाता है। मुझे कभी २ यह सुनने को मिलता है कि मैं ऐसा गृह मंत्री हूं जो यह कहता है कि हम पुलिस के बहुत से कार्यों से संतुष्ट नहीं हैं और कभी-कभी यह आक्षेप भी होता है। मेरे पास मेरे एक बड़े भारी मित्र ने, जो कि पहले गवर्नर रह चुके हैं, एक दफा मैंने कौंसिल में या यहां पर ही कहा था कि श्री श्रीप्रकाश जी ने एक पत्र लिखा कि तुम ऐसे गृह मंत्री हो कि तुम यह कहते हो कि जो प्रदेश में ला ऐंड आर्डर की व्यवस्था है, वह संतोष-जनक नहीं है। उन्होंने कुछ एक उदाहरण भी दिये हैं कि मैंने फलां से बातचीत करते हुए यह बात कही और फलां से यह बात कही। मैं वह अभागा गृह मंत्री हूं जो कभी उस बात को छिपाता नहीं हूं। मैं प्रयास करता हूं कि हमारी पुलिस दूध की धुली हो जाय।

माननीय काशीनाथ जी ने यहां पर कहा और ठीक ही कहा कि इस प्रदेश में पुलिस का जब निर्माण हुआ था तो जिस उद्देश्य से इसका निर्माण हुआ था, उस समय की सरकार ने किया था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उसका प्रयास नहीं किया गया। प्रयास तो किया गया। आपने देखा होगा कि यहां पर पुलिस कमीशन बैठा और प्रान्तों में भी पुलिस कमीशन बैठा लेकिन बावजूद सब टटोलने के वे इसी नतीजे पर आये कि जिस ढांचे में कोई आमूल परिवर्तन नहीं हो सकता है। समाज को देखते हुए, इसकी प्रवृत्ति को देखते हुए, समाज की कठिनाइयों को देखते हुए जिस संकट-काल से समाज बिछड़ी रही है, वे इस नतीजे पर आये हैं कि इसके ढांचे में कोई आमूल परिवर्तन करना संभव नहीं था। तो यह बात तो नहीं है कि इसकी ओर कोई प्रयास नहीं किया गया है। किसी माननीय सदस्य ने कहा कि वे पुलिस वाले हमारे घर वाले हैं। आपके

घर वाले हो सकते हैं लेकिन मेरा कोई सगा सम्बन्धी, भाई भतीजा, या कुन्बे का कोई पुलिस विभाग में नहीं है। हां, अभी-अभी आज सुबह कानपुर से किसी साहब ने फोन किया कि यहां उन्होंने कोई नाम "सिंह" बताया, जो कहता है कि वह गृह मंत्री का रिश्तेदार है। जब से मैं गृह मंत्री हूं तब से ही "सिंह" मेरे रिश्तेदार हो गये, तो इसलिए यह बात सही नहीं है कि कुन्बा परस्ती हो रही है। और अगर कुनबा परस्ती की बात जो आप करते हो तो जिस जोगेन्दर सिंह की बात आप ने कही वह मैं बता दूं। मेरे बड़े भाई के दामाद के छोटे भाई के वह समधी हैं। इतना नजदीकी रिश्ता है। उनको मैंने सस्पेंड जरूर कराया और उसके कारण थे। मैं यह जानता हूं कि उन के और कुछ कर्मचारी यहां हैं जो रात दिन दारुलशफा के कमरों में घूमा करते हैं और आप से मेरे प्रति बहुत सी बातें कहते हैं और शायद आप उससे प्रभावित होते हों और प्रदर्शन से ऐसा मालूम भी होता है कि आपके ऊपर कुछ प्रभाव है। लेकिन आपने इतनी कृपा नहीं की कि उसके बारे में मुझ से पूछ तो लेते।

श्री रघुवीरराम––

मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूं, मैं गया था और मुझे धक्का दे कर निकाल दिया गया।

श्री हरगोविन्दसिंह––

आपने एक बात कही, वह मुझे याद आ गई। आप मेरे कमरे में आये और बहुत से लोगों को साथ लेकर आये, जिस रोज की घटना है उस रोज के सुबह आये। पहले फोन किया। मैंने कहा कि मैं तो १० बजे आ जाता हूं, क्लर्की करता हूं और रात को ७, ८ बजे दफ्तर छोड़ता हूं इसलिये आप दफ्तर में आयें। आपने मुझसे कहा। मैंने कहा यह तो आप ने हम को बता दिया, आप ने कहा कि पुलिस ने हमारा चालान कर दिया। मैंने कहा कि मैं अभी उनसे पूछ लेता हूं कि उनकी तरफ से क्या बात है, उस को जान लूं तब किसी निर्णय पर आऊं और तब कुछ करूं। लेकिन उस के बाद जब मैं सदन में आया तो पाया कि एक कामरोको प्रस्ताव उसी पर आ गया। तब मैंने कहा कि चूंकि अब आप ने कामरोको प्रस्ताव दे दिया है इसलिए इस पर मैं वहां से टिप्पणी मंगाऊंगा, ३, ४ रोज का वक्त चाहिये और जो वहां से आया वह आपके सामने पढ़ कर सुना दिया। उसमें मेरा क्या दोष था ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)––

कामरोको की वजह से आप को रोष आया ?

श्री हरगोविन्दसिंह––

कामरोको की वजह से मुझे रोष नहीं आया। मैंने यही कहा कि इस पर चूंकि वक्तव्य देना है, इस को मैं वहां भेज रहा हूं और भेजने के बाद जब दो, तीन रोज में उत्तर आवेगा तभी कुछ बता सकूंगा। आप सम्भवतः यह चाहते थे कि इनके ऊपर कोई मुकदमा न चले। इस में मैंने अपनी असमर्थता जरूर प्रकट की।

हम सब का प्रयत्न होना चाहिये कि किस प्रकार से इसको दुरुस्त करें। एक दम से काला ब्रश ले कर यह कह देना कि पुलिस बड़ी खराब है, डाकुओं से मिली हुई है डाका डलवाती है। मेरे पास वह आंकड़े हैं पुलिस जो डाकुओं से मिली हुई है उस पुलिस ने क्या किया ? सन् १९६५ में उसने ८९ डाकू मारे और ८२६२ डाकुओं को पकड़ा। आर्म्स कितने पकड़े गये यह डिप्टी मिनिस्टर साहब ने बतलाये। मैं उसके उपरान्त बतलाना चाहता हूं। १७ कारखाने पकड़े गये जहां आर्म्स बनते थे। बड़ी दिलेरी का काम है और वही पकड़ सकता है जो अपनी जान हथेली पर रखता हो। यह उन्हीं पुलिस वालों ने किया जिनके लिये राजा साहब जौनपुर कहते हैं कि वह डाकुओं से मिली हुई है। यह उन पुलिस वालों ने किया

[श्री हरगोविन्दसिंह]
जिन को हम १००,५० रुपये देते हैं और साथ में ढेर सी गालो देते हैं। १२ राइफिल्स पकड़ीं। ५०८ बन्दूकें पकड़ीं। ६४ रिवाल्वर और २८८१ पिस्टल पकड़े।

(व्यवधान)

अब जो आंकड़े हमारे कागजात में अंकित हैं उन्हीं को मैं बतला रहा हूं।

श्री राधेश्याम शर्मा--

कागज पुलिस वाले बनाते हैं और झूठे भी रख देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

जो कुछ उनके पास है उसको वह बतला रहे हैं।

श्री हरगोविन्दसिंह--

कागज बनाना वह भी सीख लें। खुदा न ख्वास्ता इधर बैठने का मौका मिला तो काम आयेगा। जिस पुलिस को वह हमारी नाक का बाल बताते हैं उसके बारे में हमने क्या किया ? इस समय विजिलेंस कमीशन जो है उसके सामने २० एस० पी० और डी० एस० पी० के मामले हैं जिनके खिलाफ जांच हो रही है। उनमें ११ एस० पी० और ९ डी० एस० पी० हैं। ४,१९९ पुलिस आफिशियल्स को हमने पनिश किया है। श्रीमन्, डिसमिस हुये १०२, रेमूव हुये ३४, ४४४ को रेड्यूस किया, ५०३ को सस्पेन्ड किया और ५१ को कम्पलसरी रिटायर किया। और छोटे मोटे, जिनका इन्क्रीमेन्ट रोका या रैन्क घटाया, ऐसे आदमी २,९९७ हैं। तो इतने आदमियों पर हमने सन् १९६५ में ऐक्शन लिया। मैं समझता हूं यह हमारे लिये दुःख की बात जरूर है और लज्जा की भी है कि हमें अपने उन कर्मचारियों के खिलाफ, जिन्हें हम क्या तनख्वाह देते हैं, यह आप जानते हैं, जिनसे हम चौबीसों घंटे काम लेते हैं, यह भी हम और आप जानते हैं, ऐक्शन लेना पड़ा। ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ हमें ऐक्शन लेना पड़ा और सजा देनी पड़ी यह हमारे लिये, इस सदन के लिये और देश के लिये कोई सुखद बात नहीं है। इसलिये यह कहना कि पुलिस हमारी नाक की बाल है, उसकी रक्षा करना ही हमारा काम है, उचित नहीं है। हां, एक बात जरूर है। बहुत से सदस्य मेरे पास भी आते हैं और हमारे डिप्टी मिनिस्टर के पास भी आते हैं और यह चाहते हैं कि फलां दारोगा का तबादला कर दीजिये। मैं उनसे एक चीज कहता हूं कि मैं ट्रान्सफर करने के पक्ष में नहीं हूं इसलिये कि ट्रान्सफर के साथ सम्बन्ध है शान्ति और सुरक्षा का। अगर रोज हम हर दरोगा को आई० जी० से कह कर ट्रान्सफर कराया करें तो जो कुछ भी शान्ति और व्यवस्था है वह भी बिगड़ जायगी। इसलिये ट्रान्सफर तो मैं नहीं करता।

श्री उपाध्यक्ष--

सदन का समय १५ मिनट के लिये बढ़ाया जाता है। आप १० मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दीजिये।

श्री हरगोविन्दसिंह--

एक बात जरूर कहता हूं कि आप किसी थानेदार, डी० एस० पी०, एस० पी० या बड़े से बड़ा अफसर हो, सही शिकायत हमको दीजिये, हम उसकी जांच सी० आई० डी० से करायेंगे। और सी० आई० डी० से जांच कराते हैं। आज तक एक भी भ्रष्टाचार की शिकायत मैंने किसी दूसरे के पास नहीं भेजी है। हमारे पास डी० आई० जी० (सी० आई० डी०) आते हैं और आई० जी० आते हैं, वे कहते हैं कि सी० आई० डी० के पास बहुत काम हो गया है। यह बात सही है कि पहले यह हुआ कि डी० आई० जी० (सी० आई० डी०) ने यह कहा था कि हमारा स्तर गिर जायगा अगर हमारी इंक्वायरी ठीक तरह से नहीं हुई, इसलिये हम वृद्धि नहीं

करना चाहते हैं । लेकिन हमारे विचाराधीन है कि इसमें वृद्धि की जाय। इसलिये हमको और आपको मिलकर यह सोचना चाहिये कि किस तरह से कुछ सुधारें । यदि आप थोड़े से बिगड़े हुये को बार-बार यह कहें कि यह बिगड़ा है, बिगड़ा है, बिगड़ा है, तो वह अवश्य बिगड़ जायेगा । मीनकैम्प में हिटलर ने कहा है कि एक झूंठ को बार-बार दोहरायें तो आपको विश्वास होने लगेगा कि यह सच है । मुझे बड़ी खुशी हुई होती यहां पर दृष्टान्त बतलाने के बजाय यदि वे मेरे पास आते, तो मैं सब की जांच कराता और उनको संतोष होता ।

श्री इम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, इसमें कोई सवाल नहीं है । सदन के सामने दर्जनों मसले उठ चुके हैं नियम ५२ वगैरह के जरिये । इसलिये माननीय सदस्यों को उनको अलग सूचना देने की जरूरत नहीं है । माननीय सदस्यों को उनके यहां हाजरी देने की जरूरत नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह यह कहते हैं कि आप उनको लिखकर भेज सकते हैं ।

श्री हरगोविन्दसिंह—

पोस्ट आफिस है, दो पैसे का टिकट लगाकर भेज सकते हैं। माननीय राजा साहब ने जोर दिया कि जब हाई कोर्ट से किसी अधिकारी के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास हो जाये तो जांच कराने की बात कहां होती है । मैंने कहा कि जनतंत्र है और हम कायदे कानून में बंधे हुये हैं । एक तो हमारे यहां दफा ५०० का कायदा है और हाई कोर्ट ने स्वतः यह कहा है कि जब हम कोई फैसला देते हैं और उसमें किसी अधिकारी के खिलाफ कोई बात लिखते हैं तो जो मयाद उस समय हमारे सामने होता है, उसी को अपने सामने रखकर फैसला देते हैं और उसमें यह भी है कि जिस आदमी के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास करते हैं उसको मौका नहीं मिलता है कि वह अपनी बात कह सके । इसलिये कभी भी उसको अंतिम नहीं समझना चाहिये । विभाग को चाहिये कि उसके बाद उसकी जांच कराये और उससे पूछे । उसके बाद यदि उसका संतोषजनक एक्सप्लेनेशन हो तो उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिये और यदि संतोषजनक न हो तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये और ठीक यही सरकार करती है । इसलिये हम इन कानूनों से बंधे हुये हैं और हाई कोर्ट भी स्वतः कहती है इसलिये यह कहना कि एक स्ट्रिक्चर हाई कोर्ट से पास हो गया तो उसे कता कलम कर दिया जाय तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह चीज ठीक नहीं होगी ।

एक बात आपने हिन्दुस्तान लीवर की कही, वह ठीक है । मैं वहां गया था । मैनेजर साहब मुझ से मिलने के लिये आये । मैंने उनसे कहा कि आप डेढ़ दो लाख रुपया एक साथ भेजते हैं और तारीफ यह कि आप पहले से अपना प्रोग्राम छपवाकर बटवां देते हैं कि फलां जगह पर उस समय आप आयेंगे, वहां रुपया लेने वाले आ जायं । मैंने उनसे कहा कि आपने कोई भी व्यवस्था की जब कि हम ट्रेजरी से २–४–१० हजार रुपया कहीं भेजते हैं तो आर्म्ड फोर्स उसके साथ जाता है दो दो, ढाई ढाई लाख रुपया लेकर आप जाते हैं दिन दहाड़े, वहां बांटते हो और आपने उसका प्रबन्ध कभी नहीं सोचा । तो उन्होंने यह कहा कि साहब मैंने कई दफा गवर्नमेन्ट को लिखा कि हमको पुलिस दी जाये । मैंने कहा कि देखिये, वह चीज तो मेरे पास आई थी, लेकिन यहां पर बहुत से प्राइवेट बैंक्स हैं, बहुत से प्राइवेट फर्म्स हैं, हम उन सबको पुलिस नहीं दे सकते और आपकी कम्पनी भी एक प्राइवेट फर्म ही है । इसलिये आपको यह चाहिये कि आप लाइसेन्स के लिये हमारे यहां अप्लाई करें, आप अपने यहां अपने नौकर रखें इस कार्य के लिये और हम उनको लाइसेन्स दे दें, जैसे बैंक लेते हैं । बैंक के सन्तरी आर्म्ड लेकर खड़े रहते हैं, उसके नाम लाइसेन्स रहता है, बैंक के नाम लाईसेन्स रहता है । तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उनके सामने हमको बताया कि दसों बार मैंने उनसे कहा कि हम इस कार्य के लिये आपको पुलिस

[श्री हरगोबिन्दसिंह]

नहीं दे सकते, आप रोज जिले भर में बाटेंगे रुपया और रोज हमारे पुलिस आपके साथ घूमते रहे, तो इसका हम इन्तजाम नहीं कर सकते । तब उन्होंने बहुत बाद में लाइसेन्स की दरख्वास्त हमारे यहां दी, लेकिन उसमें जो दरख्वास्त दी, वह नैपालियों के नाम दी, तो नैपालियों का पुलिस वेरीफिकेशन कैसे हो , नैपाली अगर बन्दूक लेकर भाग जायें तो उसका हम क्या कर सकते हैं । तो इसलिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कहा कि मैंने उनसे यह कहा कि आप एटा के लोगों के या जिनकी तस्दीक यहां से हो सके, उन लोग के नाम दरख्वास्त दीजिये तब हम लाइसेन्स देंगे । मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने ऐसा कहके और करके ठीक ही किया । मैंने डी० एम० से कहा कि यहां के आदमी के नाम से जितने भी लाइसेन्स मांगे, उन्हें आप दीजिये, और अब शायद उनको दिया था । तो मैं समझता हूं इसमें. . . . . .

श्री गंगाप्रसाद वर्मा--

नैपाली तो वह मिलेट्री के आदमी थे, उनका करेक्टर वैरीफिकेशन कराने की जरूरत ही नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

जब तक मंत्री जी खड़े हैं आप बैठ जाइये ।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा--

मैं कैसे बैठूं, यह झूठ बोल रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

कौन झूठ बोल रहा है, इसका निर्णय मैं नहीं करूंगा ।

श्री हरिशकुमार गंगवार--

श्रीमन्, यदि कूड़ा कचरा यहां होगा तो उसकी सफाई होगी ही ।

श्री हरगोविन्दसिंह--

इस बात को मैं अब यहीं समाप्त करता हूं । सीतापुर का केस बड़ा इन्ट्रेस्टिंग है और यह तो मैं आपको यदि बतला दूं माननीय सदस्यों को कि जो मेरे पास इतना खबर आई थी एक वक्तव्य के सिलसिले में । उसी वक्त मैंने एस० आई० को लाइन हाजिर किया, उसी वक्त केस को सी० आई० डी० को दे दिया जांच करने के लिये । लेकिन साथ ही एक दूसरा पक्ष भी मैंने सोचा और वह छिपाने की बात नहीं है और वह यह सोचा कि आखिर पुलिस वाला यह क्यों करेगा ? एक आदमी गायब हुआ, उसके लड़के ने रिपोर्ट की, हमारा बाप गायब हो गया । हमें शक है कि चार फलां आदमियों ने उनको मार डाला । पुलिस ने इन्वेस्टीगेशन शुरू किया । ६, ७ रोज के बाद एक लाश मिली नाले में बहती हुई और पुलिस ने नहीं, वहां के चौकीदार ने रिपोर्ट की कि लाश नाले में बही जा रही है । वह लाश पुलिस ने पाई और उसको पोस्ट मार्टम के लिये भेजा । उन्होंने कहा कि यह लाश सड़ गई है । हम यह नहीं बता सकते कि इसकी मृत्यु का कारण क्या है । फिर पुलिस ने लड़के को बुलाया । उसने कहा कि यह लाश हमारे बाप की है । जब उन्होंने चार आदमियों को पकड़ा, उनको यह मालूम हुआ कि सोने प्रधान का भी उसमें हाथ था तब उसको भी पकड़ा । उसने यह बताया कि उसका नाम था नन्दा । और नन्दा का अंगोछा और कंठा फलां जगह पड़ा है । पुलिस ने उसे बरामद किया । इस बीच में ४, ५ आदमियों को जेल भेजा गया । अभी चार्जशीट सबमिट नहीं की गयी थी कि ऐसा मालूम होता है कि ये लोग जानते थे कि यह नन्दा कहां है और जब ये जेल पहुंच गये तब उन्होंने उसको खबर दी कि तुम्हारे ऊपर मुकदमा चल रहा है और नन्दा आकर हाजिर हो गया । मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर पुलिस की इसमें क्या साजिश हो सकती है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद––

मंत्री जी की समझ में यह बात तो आ गयी कि मुलजिमों ने नन्दा को बुलवा लिया ।

श्री हरगोविन्दसिंह––

नहीं, वह जमानत पर छूटने वाले थे । कुछ तो अपने से हाजिर हुये और कुछ जमानत पर छूटकर आये । फिर भी मैंने क्या ऐक्शन लिया वह सुनिये । राजा साहब ने जब पूछा था उसी रोज मैंने एक दारोगा को जिसने इन्वेस्टीगेशन किया था उसको लाइन हाजिर किया था और मामले को सी० आई० डी० के सुपुर्द कर दिया इन्वेस्टीगेशन करने के लिये और इससे ज्यादा क्या करता ? आप गृह मंत्री होते तो आप क्या करते ? कौन सी वह बात करते जो मैंने नहीं की ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद––

इस गलती पर इस्तीफा दे देता ?

श्री उपाध्यक्ष––

अब माननीय मंत्री जी, आप समाप्त कीजिये ।

श्री हरगोविन्दसिंह––

ठीक है, श्रीमन, राजा साहब ने जितनी बातें कही थीं वह मैंने सब नोट करवा ली हैं और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर राजा साहब मुझे मौका दें कि उन सब का उत्तर उनकी संतुष्टि के लिये देकर उनको समझा दूं । चूंकि अब समय समाप्त हो गया है इसलिये मैं इन शब्दों के साथ आशा करता हूं कि सदन इस बजट को पास करेगा ।

श्री रामसिंह (जिला एटा)––

मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं । मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि एटा जिले में अयार गांव में जो पी० ए० सी० वालों ने गलती की है क्या उसके खिलाफ वे सी० आई० डी० एन्क्वायरी करायेंगे ।

श्री हरगोविन्दसिंह––

नहीं । मैं वहां स्वतः गया था । मैंने जो पी० ए० सी० स्टेशन है उसको देखा, फासला देखा और मैं इस नतीजे पर आया कि वहां पी० ए० सी० वाले जो दूसरे गांव में थे उनकी कोई गलती नहीं थी ।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १४ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(विभाजन की मांग होने पर)

श्री उपाध्यक्ष––

जब तक मतदान समाप्त नहीं होगा तब तक हम लोग बैठेंगे ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद––

आप एक बार समय बढ़ा चुके हैं । दोबारा नहीं बढ़ा सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष––

जब प्रश्न उपस्थित कर दिया गया हो तो फिर समय बढ़ाने का प्रश्न पैदा नहीं होगा ।

कुंवर श्रीपालसिंह---

अभी आपने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । मुख्य प्रश्न उपस्थित नहीं किया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

वह समय के अन्दर ही उपस्थित हो गया है । अब कोई समय का प्रश्न नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १४ के अन्तर्गत मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

(शोर के बीच)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १४–पुलिस, के अन्तर्गत १७,६९,३४,८०० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर १६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
११ मार्च, १९६६ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न सं० ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९० पर।]

सूची

क्रम-संख्या	नाम काश्तकार	जमीन जो ली गई बीघा	विस्वा	वि.	आपसी बात-चीत द्वारा निश्चित मुआवजे की धनराशि रु०	पै०	मुआवजे का भुगतान हो गया या नहीं
१	२	३			४		५
१	कालिका व विहारी पुत्र राम स्वरूप व भरोसे पुत्र रोहन व डोरी पुत्र लेखन व कुस्सा पुत्र प्रताप व पंचम व जनेशी पुत्र ठाकुर व पुत्तीलाल पुत्र महादेव निवासी देह।	०	६	०	३२	८०	मुआवजा दे दिया गया।
२	गया प्रसाद पुत्र भगवानदीन निवासी देह	०	०	५	१	६०	मुआवजा दे दिया गया।
३	गुलाम रजा पुत्र नाजिम हुसैन निवासी देह ..	०	९	५	१८२	६०	मुआवजा दे दिया गया।
४	सैयद जफर हैदर व सैयद बदील हैदर पुत्र गनी हैदर व इवाद हैदर पुत्र जफर हैदर व इफतखार हैदर पुत्री वहीद हैदर निवासी देह	०	१८	५	१८६	४०	मुआवजा दे दिया गया।
५	जामिन हुसैन पुत्र नादिर हुसैन निवासी देह ..	०	१	१५	४४	२०	मुआवजा दे दिया गया।
६	जोधा पुत्र लछिमन निवासी देह ..	०	१५	५	३२०	४०	मुआवजा दे दिया गया।
७	जानकी पुत्र नोखे निवासी देह ..	०	८	०	१९६	८०	मुआवजा दे दिया गया।
८	बनवारी पुत्र राय चरन निवासी देह	०	९	१५	१७१	८०	मुआवजा के भुगतान के लिये सूचना दे दी गई है। उपस्थित होने पर भुगतान कर दिया जायगा।

१	२	३	४	५
९	मुफ्ती पुत्र नन्हुआ निवासी देह ..	० १ ६	११ ४०	मुआवजा दे दिया गया है
१०	मुन्नी व सत्तार पुत्र अब्दुला निवासी देह	० ० ७	२०	मुआवजा दे दिया गया है।
११	राम बिलास पुत्र छोटलाल व श्री विश्राम व बांकेलाल व नन्हेलाल पुत्र राम भजन निवासी लखनऊ	० ९ ५	२१६ ८०	मुआवजे के भुगतान के लिये सूचना दे दी गई है। उपस्थित होने पर भुगतान कर दिया जायेगा।
१२	सम्मुख पुत्र हीरा व मोहमनि व दुर्गा पुत्र चिन्ना निवासी देह ..	० ११ ०	१४७ ४०	मुआवजा दे दिया गया है।
१३	शिवराम पुत्र मोलाई निवासी देह ..	० ३ ०	२७ ६०	मुआवजा दे दिया गया है।
१४	अमीर खां पुत्र नूरुल खां निवासी देह	० ६ ०	११९ ००	मुआवजा दे दिया गया है।
१५	सखावत खां पुत्र फकीरे खां निवासी देह	० ५ ०	९६ २०	यह सज्जन हज करने गये हैं, उन के वापस आने पर मुआवजा के भुगतान की कार्यवाही की जायगी।
१६	बेचा पुत्र कसे निवासी देह ..	० १ १५	९ ६०	मुआवजा दे दिया गया है।
१७	नन्ना पुत्र देवी व शिवराम पुत्र मनोहर निवासी देह ..	० ८ ५	१७९ ४०	मुआवजा दे दिया गया है।
१८	श्रीमती पन्ना विधवा साहेबदीन व बाबूलाल पुत्र मुखबसे निवासी देह	० ५ ०	६० ४०	मुआवजा दे दिया गया है।

विधान सभा प्रदेश उत्तर

१	२	३	४	५
१९	जुगी लाल व राम खिलावन पुत्र नरेशदास निवासी देह रसूलाबाद	० ४ २	२२ ४०	मुआवजा दे दिया गया है।
२०	असरफ खां, नसरत खां पुत्र रसूला खां व सखावत खां पुत्र फकीरे खां निवासी देह ..	० १ ०	७ ६०	
२१	कल्लू पुत्र मवरा नि० देह ..	० ९ ०	५९ ६०	
२२	श्रीमती गुजराला बेवा गया प्रसाद निवासी देह ..	० १ १०	१२ ८०	
२३	जे०नारायन व प्राग नारायन व रूप नारायन व राज नारायन पुत्र लाल निवासी देह ..	० ११ ५	५२ ००	
२४	चिरंजा पुत्र देवी निवासी देह ..	० १३ १०	३७ ४०	क्रम संख्या २० से ४७ तक के किसान सीरदार हैं। उनको मुआवजा देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।
२५	डोरा पुत्र दलगंजन निवासी देह ..	० ० ५	० ८०	
२६	डोरी पुत्र लक्खन निवासी देह ..	० ४ १०	२० ६०	
२७	नन्हा व मुन्ना व चुन्ना पुत्र महादीप निवासी देह	० २ ०	१४ ८०	
२८	जैराम पुत्र जोथी निवासी देह ..	० ३ ०	२२ ४०	
२९	नेवाज व खमुआ पुत्र नन्हे निवासी देह	० ८ ०	४४ ४०	
३०	पंचम व गनेशी पुत्र ठाकुर निवासी देह	० १ १५	७ ००	
३१	पियारे पुत्र जयकरन निवासी देह ..	० ११ ५	५२ ६०	
३२	पियारे पुत्र बदारी मिठन पुत्र वचान व पगाल पुत्र नैनसुत्त बगीने पुत्र गयादीन निवासी देह	० ९ ०	५७ २०	
३३	रामआसरे व कल्लू पुत्र माखन निवासी देह	० १३ ०	८५ ८०	
३४	सरजू व राम खिलावन पुत्र विखराम बलदेव निवाही देह	० ० २	० ६०	
३५	भभूती पुत्र लछिमन निवासी देह..	० ११ ०	३० ४०	
३६	भिखुआ पुत्र खुशहाल व घसीटे पुत्र दउवां निवासी देह	० १६ १९	८३ ६०	
३७	मैकू पुत्र किरण व छेदा पुत्र खुमान निवासी देह	० ११ १०	५३ ८०	
३८	मुराद खां व सहिजाद खां पुत्र पुधागे खां व अमार खां व मुनीर खां व तुराब खां निवासी देह	० ३ ०	२४ ००	
३९	श्रीमती मिडामा बेवा राम उवार व ठाकुर व नन्हु विसराम, व तुलसी पुत्र दुआ व भभूती पुत्र तुलसी नि० देह	१ १ १५	११२ ४०	
४०	राम लाल व बाबूलाल व लल्लू पुत्र गया नन्हा निवासी देह	० ७ १०	५१ ६०	
४१	राम रतन पुत्र शिवराम नि० देह	० २ १०	२९ ८०	

१	२	३	४	५
४२	राजबहादुर छेदा व वलायत पुत्र वमम्या लाल तत्र पुत्र गयादीन निवासी देह	० २ ०	९ १०	क्रम-संख्या २० से ४७ तक के किसान सीरदार हैं। उनको मुआवजा देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।
४३	लोचन पुत्र गंगादीन निवासी देह . .	१ ३ ७	१२१ ४०	
४४	सूरजबली व राम आसरे पुत्र माखन निवासी देह	० १ १०	११ २०	
४५	सखावत खां पुत्र फतीरे खां निवासी देह	० १२ ३	९१ ४०	
४६	जवाहर पुत्र हमेन्चल निवासी देह. .	० २ ५	१६ ६०	
४७	जब्बार हैदर पुत्र हैदर निवासी देह	० १३ १९	३९ २०	

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०० पर]

पटेल आयोग की संस्तुति के आधार पर सड़कों के विकास के लिए उपलब्ध धनराशि तथा उस पर व्यय।

आंकड़े लाख रुपये

जिला	१९६४–६५ से उपलब्ध धनराशि		१९६४–६५ में व्यय		१९६५–६६ में उपलब्ध धनराशि		१–४–१९६५ से ३१–१२–१९६५ तक व्यय	
	सामान्य योजना के लिये	त्वरित विकास योजना के लिये	सामान्य योजना पर	त्वरित विकास योजना पर	सामान्य योजना के लिये	त्वरित विकास योजना के लिये	सामान्य योजना पर	त्वरित विकास योजना पर
१	२	३	४	५	६	७	८	९
आजमगढ़	३.१६८	१९.२५०	७.२८८	१९.२५८	३.२७०	३४.०००	१.३६५	३१.५६७
देवरिया	४.१८१	०.७५०	५.४७१	०.७५७	७.६८९	८.०००	२.०१३	१.१६१
जौनपुर	४.४०९	२.०००	१.६१७	२.०२२	२.१३०	१३.०००	१.४१०	४.४७६
गाजीपुर	६.५४६	३.०००	१.९७०	२,६२६	११.०९७	१०.०००	४.७१३	६.२५६
	१८.३०४	२५.०००	१६.३४६	२४.६६३	२४.१८६	६५.०००	९.५०१	४३.४६०
सर्वेक्षण उपकरण तथा संयत्र इत्यादि विविध मद ..	..	..	..	..	..	५.०००	..	०.१९७
योग ..	१८.३०४	२५.०००	१६.३४६	२४.६६३	२४.१८६	७०.०००	९.५०१	४३.६५७

अवि विधान सभा

नत्थी 'ग'

[देखिये तारांकित प्रश्न ५–६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०१ पर]

सूची (अ)

प्रधान अध्यापकों के पद हेतु चुने गए अध्यापकों की सूची

क्रमांक	प्राप्त सूची के अनुसार क्रम-संख्या	चरित्र पंजिका सूची	नाम अध्यापक
१	२	३	४
१	४	२०७२	श्री बंशराज सिंह
२	७	१४१२	श्री देवदत्त
३	८	१४९३	श्री अचल कुमार
४	९	१४४७	श्री मोहम्मद मतीन
५	१०	१३२५	श्री केदार बख्श
६	११	१६०४	श्री कमल बहादुर
७	१४	१६८६	श्री अब्दुल मजीद
८	१५	१६२१	श्री प्रयाग दत्त द्विवेदी
९	१७	१७११	श्री छत्रपाल सिंह
१०	१८	१७१०	श्री फरहम हुसेन
११	१९	१३५६	श्री महादेव प्रसाद

सूची (ब)

प्रधान अध्यापकों के पद हेतु चुने गए अध्यापकों की सूची

क्रमांक	प्राप्त सूची के अनुसार क्रम-संख्या	चरित्र पंजिका सूची	नाम अध्यापक
१	२	३	४
१	२०	१३१६	श्री बाबू राम
२	२२	१८१८	श्री हरिहर दत्त मिश्र
३	२३	१६५८	श्री त्रिभुवन दत्त त्रिपाठी
४	२४	१५०४	श्री कृष्ण नारायण मिश्र
५	२५	१३३३	श्री गौरी शंकर वर्मा
६	२६	१२१३	श्री सर्वजीत प्रसाद
७	२७	१३०९	श्री हसन अली
८	३२	१६३२	श्री गया प्रसाद
९	३३	२०१७	श्री रिसेश दत्त शुक्ला
१०	३४	१९८०	श्री सुरेश चन्द्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०५ पर)

कक्षा ६ की पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की योजना की रूपरेखा

प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों तथा जूनियर हाई स्कूलों में चलने वाली पुस्तकों की दो सिरीज "कृषि विज्ञान" एवं "हमारे पूर्वज" की भांति ही शासन का विचार है कि कक्षा ६ की हिन्दी व गणित की राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकें शिक्षा सत्र १९६६–६७ से चलायी जायें। इन राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकों की रचना विभागीय एवं गैर-सरकारी विशेषज्ञों द्वारा करायी जाती हैं। इसके पश्चात् समीक्षकों द्वारा उनकी समीक्षा करायी जाती है और उनके सुझावों व टिप्पणियों के अनुसार पुस्तकें दुहराई जाती हैं। इस प्रकार तैयार की गई पुस्तकें प्राइवेट प्रकाशकों/मुद्रकों द्वारा छपवाई जाती हैं। छपने वाली पुस्तकों की संख्या शासन द्वारा निर्धारित की जाती है और प्रकाशकों/मुद्रकों का खर्चा व मुनाफा एवं उनके द्वारा शासन के कोष में जमा की जाने वाली रायलटी को ध्यान में रखते हुये पुस्तकों का मूल्य जो कम से कम सम्भव हो सकता है वह निर्धारित किया जाता है। शासन को इस प्रणाली द्वारा पुस्तकों के प्रकाशन पर कोई व्यय नहीं करना पड़ता।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० ७८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१५ पर)

प्रश्न ७८ के उत्तर में उल्लिखित विवरण

विद्यालय का नाम		मान्यता कब तथा किस कक्षा तक की दी गई
१—जनियर हाई स्कूल	साँतमऊ ..	कक्षा ६ तक २६—१०—१९६५
२— ,, ,,	जाफरगंज ..	,, ६ ,, २५—११—१९६५
३—बांके बिहारी जू० हा० स्कूल,	डिघरुवा ..	,, ६ ,, २६—१०—१९६५
४—जनियर हाई स्कूल,	गाजीखेरा ..	,, ६ ,, २७—११—१९६५
५— ,, ,,	उसरहा खेरा ..	,, ६ ,, २९—१२—१९६५
६— ,, ,,	आबू नगर ..	,, ६ ,, १५—२—१९६६

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ३ एल० ए०—१९६६—८६२।